वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मंडल की बैठकों के कार्यवाही विवरण

(24 से 41)

24th Meeting (54)

An emergent meeting of the Board of Management was held at Regional Centre, Jaipur on 2.4.1994 at 11-30 A.M. The following were present :

1)	Prof.T.N.Bhardwaja Vice-Chancellor	Chairman
2)	Prof.Devesh Kishore Director Communication Divn. IGNOU	Member
3)	Prof.S N Dube Director Science & Technology Kota Open University	Member
4)	Prof.M.D.Agarwal Head, Deptt.of Commerce, Kota Open University	Member
5)	Shri Anil Vaish Secretary Education Deptt. Govt.of Rajasthan	Member
6)	Shri G.S.Sindhu Spl.Secy.(Finance) Govt.of Rajasthan	Member
	Shri S.K.Agarwal Registrar	Secretary

The only item of agenda discussed in the meeting related to nomination of the Board of Management's nominee under Section 16 Statute (1) Sub Clause (3) appended to the Kota Open University Act-1987. After protracted discussions, it was decided that the meeting be adjourned and be reconvened at 6-30 P.M. at the same place and on the same day.

The adjourned meeting reconvened as above and decided by consensus the name of Prof.Sharda Sharan Singh, Ex-Professor of the M.B.M.Engineering

College , University of Jodhpur, Jodhpur as its nominee. Information be sent accordingly.

The meeting ended with a vote of thanks to the chair.

T.N. Bhardwaj

(ANIL VATSU)

(G. S. SANDHU)

(DEVESH KISHORE)

(S.N. DUBE)

2-4-94

(M.D. Agrawal)

(S.K. Agrawal)

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की 25 वीं बैठक दिनांक 21.4.94 को प्रस्तावित थी, किन्तु बैठक हेतु निर्धारित संख्या में सदस्यों की उपस्थिति संभव नहीं हो सकने के कारण बैठक आयोजित नहीं की गई।

कुलसचिव

प्रबन्ध मण्डल की 26 वीं बैठक दिनांक 08-08-1994 को प्रात: 11.00 बजे क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा खुला विश्वविद्यालय, जयपुर पर आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये:-

1. प्रो0 एस0एन0 दुबे — अध्यक्ष
कुलपति, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

2. श्री अनिल वैश्य, — सदस्य
शासन सचिव (उच्च शिक्षा) राज0 सरकार, जयपुर।

3. प्रो0 बी0एन0 कौल, — सदस्य
प्रति-कुलपति, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

4. श्री निरन्जन आर्य, — सदस्य
उप शासन सचिव (वित्त) राजस्थान सरकार, जयपुर।

5. डॉ0 एस0के0 वर्मा, — सदस्य
कोटा।

6. प्रो0 एम0डी0 अग्रवाल, — सदस्य
प्रो0 ऑफ कॉमर्स, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा।

7. डॉ0 के0के0 खेतान, — सदस्य
निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा खुला विश्वविद्यालय, अजमेर।

8. डॉ0 एन0एन0 चतुर्वेदी, — सचिव
कुलसचिव, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा।

बैठक का कार्यवाही विवरण इस प्रकार हैं:-

आईटम नं0 26/1 दिनांक 25-09-93 एवं दिनांक 02-04-1994 की प्रबन्ध मण्डल की पूर्व बैठकों के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

गत बैठक जो दिनांक 25-09-93 को आयोजित की गई थी उसकी अनुपालना प्रतिवेदन के सन्दर्भ में उच्च शिक्षा सचिव महोदय ने यह अवगत कराया कि जहाँ तक वास्तुविद की सेवायें लेने का प्रश्न है, प्रथमत: राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम से वार्ता की जाए एवं इसी के साथ राजस्थान

कार्य को कर रहा हैं। कोटा खुला विश्वविद्यालय में छात्रों की निरन्तर घटती संख्या तथा विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए विकेन्द्रीकरण का जो प्रस्ताव लाया गया था उस पर कुलसचिव महोदय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि प्रो० एम०डी० अग्रवाल, सदस्य प्रबन्ध मण्डल को दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के लिए अधिकृत किया जाता हैं। कुलसचिव इस सन्दर्भ में उनकी सहायता करेगें। कोटा खुला विश्वविद्यालय के प्रवेश, परीक्षा एवं इसके संघठनात्मक सुधारों के सम्बन्ध में यह रिपोर्ट एक विस्तृत आधार तैयार कर प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखी जायेगी एवं वह बैठक मात्र एक सूत्र पर ही विचार करेगी।

प्रो० एम०डी० अग्रवाल को अपना प्रतिवेदन सितम्बर माह तक प्रस्तुत करना है तथा अक्तूबर, 94 के प्रथम सप्ताह में अगली बैठक बुलाई जानी है।

उच्च शिक्षा सचिव ने यह भी विचार रखा कि प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में कार्यसूची बनाते समय यह ध्यान रखा जावे कि शैक्षणिक मुद्दे विद्यापरिषद में तथा वित्तीय मुद्दे वित्त समिति में तथा नीतिगत एवं प्रशासनिक मामले ही प्रबन्ध मण्डल में रखे जाये।

भ्रमण अनुदान के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने यह निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में अलग से प्रस्ताव बना वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

~~उच्च शिक्षा सचिव ने छात्रों की घटती संख्या एवं विश्वविद्यालय वर्ष की समीक्षा करते हुए कहा कि यह गम्भीर चिन्ता का विषय हैं,~~ उनका यह भी कथन था कि कुलपति का आना/जाना एक स्वभाविक प्रक्रिया है। इससे विश्वविद्यालय के कार्य संचालन में बाधा नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों और निदेशकों को यह प्रयास करना चाहिए कि विश्वविद्यालय

"deleted at the time of confirmation of minutes."

लगातार----3

की प्रतिष्ठा को बनाये रखे। उन्होने कुलसचिव को निर्देश दिया कि सांख्यकीय सहायक जो विश्वविधालय में उपलब्ध है उनके द्वारा राज्य सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर भिजवावें ताकि विभिन्न विषयों के प्रवेश की संख्या तथा शुल्क के ढाँचे के सम्बन्ध में विवेचना की जा सकें।

भ्रमण अनुदान के सम्बन्ध में अगर पिछला कोई निर्णय प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया हो तो आगामी बैठक में प्रबन्ध मण्डल को अवगत करावें।

श्री दिनेश शर्मा के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि पृथक से ऐजेण्डा बनाकर प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में रखा जायें।

वेकेशन के सम्बन्ध में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविधालय के पेटर्न पर दुबारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।

आईटम नं0 26/2 कोटा खुला विश्वविधालय अधिनियम, 1987 की धारा 9(1)(बी) के अनुसार प्लानिंग बोर्ड हेतु प्रबन्ध मण्डल के नोमीनी का मनोनयन।

प्रो0 बी0एन0 कौल, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविधालय, नई दिल्ली का मनोनयन किया गया।

आईटम नं0 26/3 पुनरीक्षित वेतनमान, 1989 के अनुसार निर्धारित वेतनमानों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/तृतीय श्रेणी कर्मचारी जो आईसोलेटेड पदों पर कार्यरत है को नो/अठ्ठारह/सत्ताइस वर्षो की संतोषजनक सेवाऐं समाप्त करने के उपरान्त चयन वेतन श्रृंखला देने की योजना पर स्वीकृति हेतु।

यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक एफ 20(1) एफ डी/गुप-2/92 दिनांक 25-01-92 के अनुसार ही लागू किया जाए उसमें जो निर्देश है उन्हीं की पालना की जाए।

लगातार----4

आईटम नं0 26/4 प्रिन्टिंग असिस्टेन्ट के पद को प्रूफरीडर के पद में परिवर्तित करने हेतु।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि पृथक से ऐजेण्डा नोट बनाकर वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायें।

आईटम नं0 26/5 प्रोग्रामर कम ओपरेटर के पद को पुन: परिवर्तित करने के क्रम में।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया कि पृथक से ऐजेण्डा नोट बनाकर वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

आईटम नं0 26/6 विदेश यात्रा सम्बन्धी अनुदान की स्वीकृति के बारे में।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक में सिव्तृत विचार किया गया एवं निर्णय लिया गया कि नियमान्तर्गत दूरस्थ शिक्षा परिषद से जितनी राशि विदेश यात्रा हेतु प्राप्त होती है उतनी ही राशि का प्रबन्ध मेचिंग ग्रान्ट के रूप में विश्वविद्यालय को करना पड़ता है परन्तु आशार्थी को विदेश यात्रा करने पर उसके द्वारा किये गये खर्चे का 50% ही देय होगा। अत: प्रत्येक आशार्थी का जिन्होने (फोरेन ट्रेवल ग्रान्ट) के तहत यात्रा की है, अलग प्रकरण बनाया जाए तथा नियमों के अन्तर्गत जो पालना की गई है इस सम्बन्ध में पृथक-पृथक आगामी बैठक में रखा जायें।

यह भी निर्णय लिया गया कि अगर विश्वविद्यालय ने इस हेतु अग्रिम राशि दे दी है तो उसकी वसूली की जाए तथा पूर्व में कोई राशि बकाया हो तो उसकी रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए।

आईटम नं0 26/7 परीविक्षण काल की समाप्ति के उपरान्तअस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने वाबत्।

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया कि विस्तृत प्रस्ताव मय कर्मचारियों की सूची के वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

आईटम नं0 26/8 विश्वविद्यालय कर्मचारियों के बच्चों की ट्यूशन फीस के पुन: संधारण की दरों का रिवीजन।

लगातार---5

यह मामला वित्त समिति में रखा जावे, साथ ही कितने व्यक्ति/कर्मचारी लाभान्वित होगें एवं कितनी राशि व्यय होगी इसका विवरण भी प्रस्तुत किया जायें।

आईटम नं0 26/9 पूर्व में घोषित विभिन्न ईकाई अध्यक्षों को प्रदत्त वित्तीय एवं क्रय शक्तियों में संशोधन हेतु।

इस सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल के पूर्व निर्णय दिनांक 05-05-89 को निरस्त करते हुए निर्णय लिया गया कि अधिक से अधिक खरीद केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की जाये और उच्च स्तरीय समिति के आदेश क्रमांक एफ 2/को0खु0वि0/सा0प्र0/5742। दिनांक 08-03-1989 की पालना में जो प्रबन्ध मण्डल के पूर्व आदेश क्रमांक 06 दिनांक 28-10-87 द्वारा रू0 10,000/- तक की राशि रखा गई है उसे ही यूनिट हेड के लिए सीमा रखी जायें।

आईटम नं0 26/10 विधा परिषद की बैठक दिनांक 04-07-94 के कार्यवाही विवरण की स्वीकृति।

सभी सदस्यों ने इसकी सूचना ली।

आईटम नं0 26/11 वित्त समिति की बैठक दिनांक 03-08-94 के कार्यवाही विवरण की स्वीकृति।
सूचना ली। कार्यवाही विवरण में दो माह में "प्रति" शब्द जो छूट गया था उसे सम्मलित करते हुए कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

आईटम नं0 26/12 श्री अलताफ हुसैन, वाहन चालक को वेतन पोषण का लाभ देते हुए वाहन चालक स्थान पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनाने के क्रम में।
यह निर्णय लिया गया कि पृथक से नोट बनाकर वित्त समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा जायें।

आईटम नं0/26/13 बजट परिनिर्णायक समिति के आधार पर कोटा खुला विश्वविद्यालय में स्थिर वेतनभोगी तृतीय श्रेणी/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाओं को नियमित वेतन श्रंखला में।

लगातार---6

यह निर्णय लिया गया कि कुलसचिव इस सम्बन्ध में नियमान्तर्गत कार्यवाही करें।

आईटम नं0 26/14 करणी नगर विकास समिति के 24 अभ्यार्थियों को सर्टीफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग मे प्रवेश देने तथा श्री करणी नगर विकास समिति को सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग हेतु कोटा खुला विश्वविधालय का अध्ययन केन्द्र बनाने की स्वीकृति हेतु।

यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में 24 अभ्यार्थियों को वांछित पाठ्यक्रम में प्रवेश एवं परीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। परन्तु कोटा खुला विश्वविधालय को अध्ययन केन्द्र बनाने हेतु निर्देश दिये जाते हैकि करणी नगर विकास समिति इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से वार्ता/पत्र व्यवहार करें तद्नुसार करणी नगर विकास समिति को सूचित कर दिया जायें।

सप्लीमेन्ट्री आईटम्स : अध्यक्ष की स्वीकृति से अन्य बिन्दु:-

आईटम नं0 26/15 राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 06-08-89 जो विश्वविधालय अनुदान आयोग के सम्बन्ध में लागू हुआ है उसके अनुसार कोटा खुला विश्वविधालय से सम्बन्धित योजना लागू करने के लिए समिति के गठन की स्वीकृति वाबत्।

समिति के गठन के सन्दर्भ में यह निर्णय लिया कि विश्वविधालय में डीन का पद नहीं हैं अत: इस स्थान पर निदेशक (शैक्षणिक) अगर वह प्रोफेसर है तो उसे मनोनीत कर दिया जावें।

क्रमांक 04 और 05 के सम्बन्ध में पृथक से राज्य सरकार को लिखा जावे ताकि राज्य सरकार अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सके। प्रबन्ध मण्डल के प्रतिनिधि के सम्बन्धमें राज्य सरकार को सूची भेजी जाए ताकि राज्य सरकार नाम प्रस्तावित कर सके।

तत्पश्चात समिति का गठन होगा।

लगातार-7

आईटम नं0 26/16 कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के नियम 17 तथा विश्वविद्यालय कर्मचारियों की सेवाशर्तों की धारा 65 के अनुसार नियमान्तर्गत कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

यह निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध मण्डल ने कही पर भी विधि सम्मत प्रक्रिया को रोकने के लिए आदेश नहींदिये हैं। अत: विधि सम्मत कार्यवाही लागू करने के लिए स्वयं कुलसचिव अधिकृत है।

आईटम नं0 26/17 प्रबन्ध मण्डल की पाँचवी बैठक दिनांक 07-06-88 के निर्णय 8 के अनुसार विभिन्न अधिकारियों के कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के सन्दर्भ मे प्रस्तावित कार्यवाही के अनुमोदन के क्रम में।

यह निर्णय लिया गया कि प्रो0 एम0डी0 अग्रवाल की एक सदस्यीय समिति विचार कर प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

आगामी बैठक में जो कार्यवाही सूची बनाई जाए वह बिन्दुवार मद, क्रमांक एवं व्याख्या विवेचन तथा प्रबन्ध मण्डल से क्या कार्यवाही अपेक्षित हैं तथा साथ ही अन्य परिशिष्ठ संलग्न करें। सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर ही बैठक बुलाई जाए।

प्रबन्ध मण्डल की कार्यवाही विवरण हिन्दी में बनाई जाए एवं विश्वविद्यालय के समस्त कार्य यथासंभव हिन्दी में हो। यह भी निर्देश दिए गऐं।

Added at the time of confirmation of minutes.

धन्यवाद सहित बैठक का समापन हुआ।

17/9/94

सचिव
(प्रबन्ध मण्डल)
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

कमल140717

प्रबन्ध मण्डल की 27वीं बैठक दिनांक 21-12-1994 को पुष्पा निवास, स्टेशन रोड, कोटा में आयोजित की गई । इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1 : प्रो० एस०एन० दुबे — अध्यक्ष
कुलपति
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

2 : श्री सुनिल वैश्य — सदस्य
शासन सचिव : उच्च शिक्षा :
राजस्थान सरकार, जयपुर

3 : डॉ० करण सिंह यादव — सदस्य
प्रोफेसर : कार्डियो सर्जरी :
सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय
जयपुर

4 : डॉ० एस०के० वर्मा — सदस्य
सेवानिवृत्त प्राचार्य
37-ए, न्यू कॉलोनी
गुमानपुरा, कोटा

5 : प्रो० बी०एन० कौल — सदस्य
प्रति कुलपति, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त
विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

6 : प्रो० एम०डी० अग्रवाल — सदस्य
प्रोफेसर इन कॉमर्स, को०खु०वि०
कोटा

7 : डॉ० के०के० खेतान — सदस्य
निदेशक-क्षेत्रीय केन्द्र
को०खु०वि०, बीकानेर

8 : डॉ० एन०एन० चतुर्वेदी — सचिव
कुल सचिव
को०खु०वि०, कोटा

[illegible] बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, अतः उनको बैठक में सम्मिलित नहीं होने की [illegible] प्रदान की गई।

The Chairman, at the very first outset, welcomed Dr. Karan Singh Yadav as the new honourable member of the Board.

Thereafter, the Chairman enumerated the progress being made in the University functioning. He stated that -

"It gives me pleasure in bringing to your kind notice the following developments pertaining to the growth and development of the University :

1) The examinations of 1992-93 batch for various courses are scheduled for February, 1995 for which necessary preparations are nearing completion. The schedule for examinations also includes examinations for Diploma in Tourism and Hotel Management (THM) and Diploma in Labour Law, etc. (D.L.L.). The students admitted to 1993-94 batch shall have their examinations during July, 1995.

2) The results of the examinations held during February-March, 1994 & July, 1994 are under quick processings. B.Ed., B.A., B.Com., DIM, ADIM & BJMC results are already out. All other results shall be declared during this month.

3) The longstanding need for printing paper has been partially met with. To cater to the expedient requirement the University has entered into an agreement with the Hindustan Paper Corporation Ltd. (HPCL)- a Govt. of India Undertaking for purchasing 300 MT printing paper worth Rs. 72 lacs. We have already made an advance to the firm as per agreement.

We are, thus, committed to work zealously for fulfilling our institutional obligations to our distant learners".

प्रस्ताव न0 27/1	दिनांक 08-08-94 को सम्पन्न 26वीं प्रबन्ध मण्डल की कार्यवाही की पुष्टि करना ।
	पद क्रमांक 27/2 में अंकित संविधान के साथ 26वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई ।
प्रस्ताव न0 27/2	26वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना में कार्यों की प्रगति ।
	प्रबन्ध मण्डल की 26वीं बैठक दिनांक 08-08-94 को प्रातः 11-00 बजे क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा खुला विश्वविद्यालय, जयपुर पर आयोजित की गई । उस बैठक का कार्यवाही विवरण निम्न संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया ।
26/1	माननीय कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारम्भ में माननीय सदस्य प्रो0 बी0एन0 कौल, प्रति-कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली एवं डा0 एस0के0 वर्मा तथा डॉ0 के0के0 खेतान, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा खुला विश्वविद्यालय, अजमेर का प्रबन्ध मण्डल की बैठक में नये सदस्यों के रूप में परिचय कराते हुए स्वागत किया । यह उल्लेख पूर्व बैठक में छूट गया था, अतः शामिल किया जाये । प्रबन्ध मण्डल की कार्यवाही विवरण प्रथम पृष्ठ एवं द्वितीय पृष्ठ पर जहाँ सदस्यों का नाम अथवा पद अंकित किया गया है, उन्हें कार्यवाही विवरण से हटा दिया जाए । भविष्य में केवल प्रबन्ध मण्डल का निर्णय ही लिखा जाए ।
26/1-:3:	संलग्न परिशिष्ट पाँच को कार्यवाही विवरण से हटाने का निर्णय लिया गया । कार्यवाही विवरण के पृष्ठ 2 में छात्रों की घटती संख्या और विश्वविद्यालय के खर्चे की समीक्षा संबंधी जो पद है, उसे हटाये जाने बाबत निर्णय लिया गया । तदानुसार कार्यवाही विवरण में संशोधन करने हेतु निर्णय लिया ।

26/6 कार्यवाही विवरण में अंकन किया गया है, उसी स्थिति में रखे जाने बाबत प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया

" कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व दूरस्थ शिक्षा परिषद के अन्तर्गत जो नियम एवं दिशा निर्देश दिये गये हैं, उनकी पालना की जावे" ।

अतः इस अनुसरण में प्रत्येक आशार्थी का जिसने फारेन ट्रेवल ग्रान्ट के अन्तर्गत यात्रा की है, अलग प्रकरण बनाया जाये तथा नियमान्तर्गत पृथक से प्रकरण बनाकर वित्त समिति के माध्यम से आगामी बैठक में रखा जाये ।

26/16 इस संदर्भ में कार्यवाही विवरण की पुष्टि करते हुए निर्णय लिया गया कि कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1 तथा विश्वविद्यालय सेवा नियम की शर्तों की धारा 0-65 के संदर्भ में कुलसचिव नियमानुसार कार्यवाही करें ।

26/17 कार्यवाही विवरण की पुष्टि करते हुए विश्वविद्यालय के समस्त कार्य हिन्दी में हों, इस शब्द को हटाते हुए "यथा संभव" कार्य हिन्दी में हों, इस संशोधन के साथ कार्यवाही विवरण स्वीकार किया गया ।

वि. स. नं 27/1 दिनांक 08-12-94 को सम्पन्न वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही अनुमोदन हेतु ।

इस संदर्भ में निर्णय लिया गया कि वित्त समिति के कार्यवाही विवरण को आगामी वित्त समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जाये । तदोपरान्त ही कार्यवाही विवरण को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष लाया जाए । प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में विभिन्न समितियों के कार्यवाही विवरण को उनकी आगामी बैठक में अनुमोदित होने के पश्चात् ही प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखा जाए ।

यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय से संबंधित सभी समितियों की बैठक के लिए पंचांग बनाया जाए और प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में रखा जाए । प्रबन्ध मण्डल/वित्त समिति/विद्या परिषद और योजना बोर्ड की

बैठकों के बारे में प्रारम्भ से ही विस्तृत विवरण पहले से ही तैयार किया जाये । साथ ही आधार संहिता : Rules of Business : का भी निर्माण कराया जाये और समस्त सदस्यों को विचारार्थ भेज दिया जाए ।

आइटम न0 27/4

26वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्रो0एम0डी0 अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के सन्दर्भ में ।

सर्वप्रथम प्रो0 एम0डी0 अग्रवाल को वांछित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया । तदोपरान्त प्रतिवेदन पर गम्भीरता से विचार किया गया ।

इस संदर्भ में निर्णय लिया गया कि प्रतिवेदन को विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजकर निर्देशित किया जाये कि किन-किन बिन्दुओ पर, किस-किस स्तर पर, क्या-क्या किया जाना प्रस्तावित है, के आधार पर "क्रिया न्वति प्रतिवेदन" प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

आइटम न0 27/5

प्रबन्ध मण्डल की दूसरी बैठक में निर्धारित उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव की अर्हताओ में परिवर्तन हेतु ।

इस संदर्भ में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाये ।

आइटम न0 27/6

डा0 एम0के0 गड़ोलिया के वेतन स्थरीकरण के संदर्भ में ।

इस संदर्भ में निर्णय लिया गया कि 27/9:4: के तहत गठित समिति के समक्ष इस प्रकरण को पुनर्विचार हेतु रखा जाए ।

आइटम नं0 27/7

प्रो0 ए0वी0 रामानुजम, भवन निर्माण सलाहकार के संदर्भ में ।

यह निर्णय लिया गया कि प्रो0 ए0वी0 रामानुजम, भवन निर्माण सलाहकार की सेवाओ की सराहना करते हुए माह जून, 1994 से नियमान्तर्गत सेवा मुक्त कर दिया जाए । तत्पश्चात् माननीय कुलपति महोदय को, भवन निर्माण सलाहकार के पद पर, प्रबन्ध मण्डल के पूर्व निर्णय के अनुसार शर्तों एवं अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया ।

आइटम नं0 27/8

कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 में कु ति को 8:4 के अधीन प्रदत्त श क्तयों के अनुसरण में लिये गये निर्णयों की सूचना ।

कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 8:4 के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों के बारे में प्रबन्ध मण्डल ने सूचना ली तथा स्वीकृति प्रदान की ।

<u>अन्य प्रकरण माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से</u> -

आइटम नं0 27/9:1:

कोटा खुला विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के भवन किराए, बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाओ के संबंध में ।

इस संदर्भ में स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया तथा निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित दरें 01-01-1995 से ही लागू होंगी ।

आइटम नं0 27/9:2:

वित्त समिति की दिनांक 08-12-1994 की बैठक के निर्णय के अनुसरण में आडियो-वीडियो उपकरणों के क्रय संदर्भ में ।

यह निर्णय लिया गया कि निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के आडियो-वीडियो विभाग की परिकल्पना के आधार पर

मशीनरी, उपकरण आदि से संबंधित एक संरचनात्मक प्रतिवेदन तैयार करवा कर प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में रखा जाए ।

आइटम न0 27/9:3: कोटा खुला विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में आवास विकास संस्थान द्वारा निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु ।

इस संदर्भ में निर्णय लिया गया कि आवास विकास संस्थान के महा प्रबन्धक से सम्पर्क किया जाये । प्रबन्ध मण्डल का यह भी अभिमत था कि आवास विकास संस्थान द्वारा छोटे ठेकेदारों से करवाये जाने वाले निर्माण कार्य के अनुबन्ध की मान्यता, नियमों के अनुसार कोटा खुला विश्वविद्यालय के प्रशासन से करा ली जाये तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये ।

आइटम न0 27/9:4: प्रबन्ध मण्डल की पूर्व की विभिन्न बैठकों के लंबित प्रकरणों के निर्णयार्थ समिति के गठन के अनुमोदन के क्रम में ।

निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित समिति के गठन में निम्नानुसार संशोधन करके लंबित प्रकरणों पर निर्णय ले लिया जाए :

1:	डॉ0 एस0के0 वर्मा	संयोजक
2:	प्रो0 एम0डी0 अग्रवाल	सदस्य
3:	डॉ0 के0के0 खेतान	सदस्य
4:	वित्त अधिकारी	सदस्य
5:	कुल सचिव	सदस्य सचिव

आइटम न0 27/9:5: माननीय कुलपति महोदय को वित्त समिति दिनांक 08-12-1994 की बैठक में पारित बजट के अनुसरण में खर्च करने की अनुमति हेतु ।

इस विषय में यह निर्णय लिया गया कि माननीय कुलपति महोदय को पारित बजट के अनुसार खर्च करने की अनुमति दी जाती है । प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में पूंजीगत खर्च प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति के बाद ही बजट में रखा जाए और किसी भी दशा में "रिएप्रोप्रियेशन" न किया जाए ।

आइटम नं0 27/9:6: 1988 से अब तक विभिन्न पाठ्यक्रमों म उत्तीर्ण छात्रों को डिग्री देने के लिए दीक्षान्त समारोह के संबंध में ।

माननीय कुलपति महोदय ने उदाहरणार्थ डिग्री का प्रारूप प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखा । माननीय सदस्यों ने इस कार्य के लिए प्रसन्नता व्यक्त की ।

डिग्री लेने वाले छात्रों की अधिक संख्या होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि डिग्री रजिस्ट्री द्वारा छात्रों के पते पर भिजवा दी जाएँ ।

कुलसचिव
एवं
सचिव, प्रबन्ध मण्डल
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अनुमोदित

कुलपति
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पार · ब (7)

28 th Meeting of B.O.M.

प्रबन्ध मण्डल - कोटा खुला विश्वविधालय की आपातकालीन बैठक दिनांक 22-04-1995 को क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा खुला विश्वविधालय, कॉमर्स कॉलेज केम्पस, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में मध्यान्ह 2·00 बजे आहूत हुई, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे:-

1·	प्रो0 बी0एस0 शर्मा कुलपति	अध्यक्ष
2·	श्री अनिल वैश्य शासन सचिव (उच्च शिक्षा) राज0 सरकार, जयपुर	सदस्य
3·	डॉ0 करणी सिंह यादव जयपुर	सदस्य
4·	प्रो0 एस0के0 वर्मा कोटा	सदस्य
5·	प्रो0 एस0एन0 दुबे निदेशक, (विज्ञान एवं तकनीकी) कोटा खुला विश्वविधालय, कोटा	सदस्य
6·	प्रो0 एम0डी0 अग्रवाल प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स कोटा खुला विश्वविधालय, कोटा	सदस्य
7·	डॉ0 के0के0 खेतान निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, बीकानेर	सदस्य
8·	डॉ0 एन0एन0 चतुर्वेदी कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम पूर्व कुलपति प्रो0 एस0एन0 दुबे ने इस आपातकालीन बैठक मे नए कुलपति प्रो0 बी0एस0 शर्मा का स्वागत किया तथा स्वयं की ओर से एवं अन्य सदस्यों के सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।

इस बैठक मे विचारणीय बिन्दु एक ही था। इस सन्दर्भ मे कोटा खुला विश्वविधालय के परीक्षा विभाग में बी0एड0 की परीक्षा की पुर्नगणना में हुई अनियमितताओं पर प्राप्त दो जॉच प्रतिवेदनों पर विचार किया गया।

24/4/95

प्रबन्ध मण्डल ने इस सन्दर्भ मे निर्णय लिया कि कुलसचिव, कोटा खुला विश्वविधालय को जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कुलसचिव

लगातार---2

कोटा खुला विश्वविद्यालय के अधिनियम 17 तथा कोटा खुला विश्वविद्यालय के अध्यादेश 60 से 64 के प्रावधानों के अन्तर्गत शीघ्र ही जाँच कर कार्यवाही प्रस्तावित करें। तथा दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट स्थापना शाखा द्वारा विधि के सम्यक अनुक्रम में दर्ज कराई जावें। इस क्रियान्विति के अनुसरण में अन्य आदेश जारी करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता हैं। वे नियमान्तर्गत कार्यवाही करें।

कुलपति महोदय ने उपरोक्त आदेश की पालना हेतु विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढाँचे में कुछ परिवर्तन के लिए सदस्यों को अवगत कराया तथा जो साक्षात्कार विश्वविद्यालय में नियमान्तर्गत आयोजित किये गये, उनकी अनुमति प्रबन्ध मण्डल से ली जानी अनिवार्य है, उस हेतु निवेदन किया।

प्रबन्ध मण्डल ने विभिन्न चयन समितियों द्वारा दिनांक 27-3-95, को निदेशक, क्षेत्रीय सेवाऐं, दिनांक 28-3-95 को निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, दिनांक 29-3-95 को परीक्षा नियन्त्रक एवं उप कुलसचिव, दिनांक 20-4-95 को सहायक कुलसचिव तथा दिनांक 21-4-95 को सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदो पर लिये गये निर्णयों की पुष्टि की तथा निर्देश दिये कि इनके नियुक्ति आदेश तुरन्त जारी कर दिये जावें। सम्बन्धित विस्तृत सूचना परिशिष्ट अ,ब,स,द, क एवं ख पर संलग्न हैं।

कुलसचिव
एवं
सचिव प्रबन्ध मण्डल
24/4/95

अनुमोदित

24/4/95
कुलपति
कोटा खुला विश्वविद्यालय

प्रबन्ध मण्डल की 29वीं बैठक दिनांक 31-07-95 को कुलपति सचिवालय, नवीन परिसर कोटा के बैठक कक्ष में आयोजित की गई । इस बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए :-

1: प्रो0 बी. एस. शर्मा — अध्यक्ष
कुलपति
कोटा खुला विश्वविद्यालय
कोटा

2: प्रो0 बी. एन. कौल — सदस्य
सम-कुलपति
इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
दिल्ली

3: डॉ0 करण सिंह यादव — सदस्य
प्रोफेसर :कार्डियो सर्जरी:
सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय
जयपुर

4: डॉ0 एस0के0 वर्मा — सदस्य
सेवा निवृत्त प्राचार्य
39-ए, गुमानपुरा, कोटा

5: प्रो0 एस. एन. दुबे — सदस्य
निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

6: प्रो0 एम. डी. अग्रवाल — सदस्य
प्रोफेसर ऑफ कामर्स
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

7: डॉ० के.के. खेतान — सदस्य
निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, बीकानेर
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

8: श्री श्रीगोपाल शर्मा — सचिव
कार्यवाहक कुलसचिव
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया ।

डॉ० आदर्श किशोर सक्सेना, शासन सचिव :वित्त एवं लेखा: तथा श्री अनिल वैश्य, शासन सचिव, उच्च शिक्षा की बैठक में उपस्थिति संभव नहीं हो सकी ।

अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल को यह अवगत कराया कि कुल सचिव, डॉ० एन०एन० चतुर्वेदी तथा वित्त अधिकारी, श्री के०एल० शर्मा का स्थानान्तरण हो गया है एवं नियमानुसार उक्त दोनों अधिकारियों को विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त किया जा चुका है । राज्य सरकार ने नये कुल सचिव की नियुक्ति कर दी है तथा अध्यक्ष महोदय की नये कुलसचिव से हुई वार्ता के अनुसार उन्होंने यह अवगत कराया है कि जब भी उनके स्थान पर अन्य अधिकारी उपस्थिति दे देगा, वे कार्यमुक्त होकर विश्वविद्यालय में कुलसचिव का कार्यभार ग्रहण कर लेगें । वित्त अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है । ऐसी स्थिति में कोटा खुला विश्वविद्यालय के अधिनियमानुसार श्री श्रीगोपाल शर्मा, परीक्षा नियंत्रक को उनके कार्य के अतिरिक्त कुलसचिव का कार्यभार भी सौंप दिया गया है । इसी प्रकार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की परम्परानुसार वित्त अधिकारी का कार्यभार वित्त एवं लेखा विभाग में कार्यरत श्री बी.एम. भार्गव, उप कुलसचिव:लेखा एवं वित्त: को उनके कार्य के अतिरिक्त सौंप दिया है ।

विचारणीय बिन्दुओ पर विचार विमर्श के पूर्व अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के सूचनार्थ प्रवेश परीक्षाओं तथा पठन-पाठन सामग्री मुद्रण एवं वितरण की प्रगति के बारे में अवगत कराया एवं विस्तृत स्थिति प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की । प्रबन्ध मण्डल ने इस प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए विचार विमर्श के उपरान्त बैठक में विचारणीय बिन्दुओ पर निम्नानुसार निर्णय लिये :-

29/1/1 दिनांक 21-12-1994 को सम्पन्न हुई 27वीं प्रबन्ध मण्डल की एवं दिनांक 22-04-1995 को सम्पन्न हुई 28वीं प्रबन्ध मण्डल की :आपातकालीन: बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना तथा निर्णयों के अनुपालनार्थ कार्यों का प्रगति विवरण सूचनार्थ ।

– :अ: दिनांक 21-12-1994 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध मण्डल की 27वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई ।

:ब: दिनांक 22-04-1995 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध मण्डल की 28वीं बैठक की कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई ।

29-1/2 :27-3: वित्त समिति की 10वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के बारे में सूचना ली गई एवं कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई ।

विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों की बैठकों के निर्धारण हेतु बनाये गये पंचांग को देखा गया एवं पुष्टि की गई ।

:27-5: उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव की अर्हताओं में परिवर्तन बाबत राज्य सरकार के मार्गदर्शन के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ली गई ।

:27-6: डॉ0 एम.के. गडोलिया, एसोसियेट प्रोफेसर:अर्थशास्त्र: के वेतन स्थिरीकरण हेतु गठित वर्मा समिति की रपट पर आगामी बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया ।

:27-7: प्रो0 ए.वी. रामानुजम भवन निर्माण सलाहकार को सेवामुक्त करने के प्रकरण की सूचना ली गई ।

:27-8: सूचना ली गई ।

:27-9: 1. सूचना ली गई ।

:27-9: 2. आगामी बैठक हेतु प्रस्तावित था ।

:27-9: 3. सूचना ली गई ।

:27-9: 5. सूचना ली गई ।

:27-9: 6. सूचना ली गई ।

29-1/3 :28-1: सूचना ली गई ।

:28-2: सूचना ली गई ।

27वीं एवं 28वीं बैठक तथा इनमें हुई कार्यवाही के अनुमोदन उपरान्त प्रबन्ध मण्डल के ध्यान में यह लाया गया कि प्रोफेसर एम0डी0 अग्रवाल, प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा ने 27वीं बैठक की कार्यवाही के बारे में किसी त्रुटि की ओर संकेत करते हुए एक पत्र लिखा था । प्रबन्ध मण्डल ने माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया कि वे उस पत्र की जाँच कर लें और नियमानुसार उचित कार्यवाही करें ।

29/2 प्रबन्ध मण्डल की 27वीं बैठक के पद क्रमांक 9/4 के अनुसरण में लंबित प्रकरणों के निर्णयार्थ प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य डॉ0 एस.के. वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन विचारार्थ एवं निर्णयार्थ ।

– विभिन्न लंबित प्रकरणों के निर्णयार्थ प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य डॉ0 एस.के. वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर आगामी बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया ।

29/3 प्रबन्ध मण्डल की 27वीं बैठक के पद क्रमांक 4 के निर्णय के अनुसरण में प्रो0 एम.डी.अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर निर्देशानुसार क्रियान्विति प्रतिवेदन ।

– आगामी बैठक हेतु प्रस्तावित था ।

29/4 दिनांक 19 अप्रेल, 1995 को कोटा खुला विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की बैठक का कार्यवाही विवरण सूचनार्थ ।

– :अ: दिनांक 19-04-1995 को हुई कोटा खुला विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

:ब: प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिनांक कि 27-07-1995 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई ।

:परिशिष्ट 1,2:

29/5 दिनांक 28-02-1995 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 11वीं बैठक तथा दिनांक 27-05-1995 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 12वीं बैठक का कार्यवाही विवरण सूचनार्थ ।

– दिनांक 28-02-1995 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 11वीं बैठक एवं दिनांक 27-05-1995 को सम्पन्न हुई 12वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की सूचना ली गई एवं अनुमोदन प्रदान किया गया ।

29/6 दिनांक 17-04-1995 को सम्पन्न हुई भवन निर्माण समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

– दिनांक 17-04-1995 को सम्पन्न हुई भवन निर्माण समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण की सूचना ली गई एवं अनुमोदन प्रदान किया गया ।

:परिशिष्ट 3:

29/7 दिनांक 09-05-1995 को माननीय कुलपति महोदय द्वारा कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 8:4: के अन्तर्गत मुद्रण सलाहकार समिति के गठन एवं समिति की प्रथम एवं द्वितीय बैठक दिनांक 04-06-1995 के प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 की धारा 8:4: के अन्तर्गत गठित मुद्रण सलाहकार समिति की प्रथम एवं द्वितीय बैठक के प्रतिवेदन की सूचना ली गई एवं अनुमोदन प्रदान किया गया ।

:अ: माननीय कुलपति जी ने प्रबन्ध मण्डल के समक्ष कोटा खुला विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1987 की धारा 8:4: के अन्तर्गत गठित मुद्रण सलाहकार समिति की आवश्यकता के लिये कुछ तथ्य रखे, जिसमें प्रमुख बात यह बताई गई कि विश्वविवद्यालय में मुद्रण का कार्य भूतकाल में कई मुद्रकों से करवाया है और यह भी पाया गया है कि अलग-अलग मुद्रकों की अलग-अलग दरें रही हैं और जो भी अनुबन्ध किये गये हैं, उनमें कई त्रुटियाँ रही हैं - विशेषकर "नेगेटिव्ज" का नहीं लौटाना, कागज व्यर्थ कितना हुआ है, के विवरण का नहीं होना और किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं लेना तथा मुद्रकों से प्राप्त सूचना उपयुक्त प्रारूप में नही होना आदि-आदि । इन कारणों से विश्वविद्यालय बहुत संदिग्धता के घेरे में ग्रस्त पाया गया । इन सब प्रकरणों पर चिन्तनोपरान्त यह महसूस किया गया कि विश्वविद्यालय में संबंधित तकनीकि विशेषज्ञ के अभाव के कारण ये सारी समस्याऐं खड़ी हुई हैं तथा ऐसी स्थिति में इन सबका होना स्वाभाविक भी था ।

:ब: दूसरा तथ्य जो प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखा गया, वह था कि जिन मुद्रकों से टेन्डर मंगाये गये थे, उनमें 2 या 3 को छोड़कर बाकी सभी बहुत ही छोटे मुद्रक थे एवं उनके पास साधन भी अपर्याप्त थे और साथ ही हमारे भुगतान की व्यवस्था तथा पुरानी दरों पर काम करने के लिये उच्च स्तरीय मुद्रक कार्य करने को तैयार नहीं थे ।

परिणामत: विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी मात्रा में "बैकलॉग" हो गया । इस बैकलॉग को समाप्त करने के लिये सितम्बर, 95 के अन्त तक विद्यार्थियों को समस्त पठन-पाठन सामग्री भी भेजनी थी जिसमें कुछ सामग्री ऐसी थी, जो आपातकालीन आधार पर विद्यार्थियों को भेजी जानी थी और उसे पुरानी ही दरों पर छपवाना था, ताकि मार्च/अप्रेल, 1995 तथा अगस्त, 95 की विशिष्ट परीक्षाऐं समय पर हो सके ।

:स: तीसरा तथ्य यह था कि विश्वविद्यालय नए निविदा प्रपत्र :एन0आई0टी0: बनाने में तात्कालिक स्थिति में असमर्थ था क्योंकि उसमें विधि-विधानों के अन्तर्गत बहुत समय लग सकता था और यह भी आवश्यक था कि हमारी अनुबन्ध दरों पर काम हो जो विशिष्ट ऑडिट द्वारा अनुमोदित थी, अर्थात् उन्हीं दरों पर काम करना था और सम्भव हो तो मुद्रण कार्य स्तरीय मुद्रकों से हो जो इन्हीं दरों पर काम करने को तैयार हो । इन्हीं सब पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर योजना बनाना भी आवश्यक था ।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोटा खुला विश्वविद्यालय के अधिनियम 8:4: के अन्तर्गत गठित मुद्रण सलाहकार समिति की आवश्यकता प्रतिपादित की और माननीय कुलपति जी द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णयों का अनुमोदन किया ।

प्रबन्ध मण्डल ने मुद्रण सलाहकार समिति की प्रथम एवं द्वितीय बैठकों के प्रतिवेदनों की सूचना ली और विस्तृत विचार कर उन दोनों प्रतिवेदनों को जिनमें विश्वविद्यालय को निर्णय लेने है, पूर्णतया अनुमोदन प्रदान कर दिया ।

चूँकि यह समिति माननीय कुलपति महोदय के लिये सलाहकार का काम करेगी, माननीय कुलपति जी ने तकनीकी दृष्टि से इसे और सुदृढ़ करने हेतु, इस समिति के पुनर्गठन के लिये निम्नांकित रूप में समिति बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसका प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन कर दिया ।

1.	वरिष्ठतम निदेशक कोटा खुला विश्वविद्यालय	संयोजक
2.	निदेशक, मुद्रण एवं प्रकाशन विभाग राजस्थान सरकार	सदस्य
3.	निदेशक, मुद्रण एवं प्रकाशन इंदिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
4.	माननीय कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत कोई मुद्रण तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य

5. वित्त अधिकारी — सदस्य
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

6. कुल सचिव — सदस्य सचिव
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम तीन बार होना सुनिश्चित किया जावें ।

29/8 माननीय कुलपति महोदय द्वारा कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 की धारा 8:4: के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्य को नियमित करने एवं परीक्षा सम्बन्धी कोड बनाने हेतु सेवा निवृत्त विशेषाधिकारी की नियुक्ति, वेतन एवं अन्य सुविधाओं का विवरण सूचनार्थ ।

– प्रबन्ध मण्डल द्वारा इसका अनुमोदन किया गया ।

29/9 माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित मुद्रण सलाहकार समिति की बैठक में मैसर्स यूनिक प्रिन्टर्स द्वारा किये गये मुद्रण कार्य पर प्राप्त प्रतिवेदन विचारार्थ एवं आज्ञार्थ ।

– प्रबन्ध मण्डल ने माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित मुद्रण सलाहकार समिति की बैठक में मैसर्स यूनिक प्रिन्टर्स द्वारा किये गये मुद्रण कार्य पर प्राप्त प्रतिवेदन पर विधिक सम्यक अभ्युक्ति लेकर प्रबन्ध मण्डल के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया ।

29/10 कोटा खुला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में गोयल पेपर मार्ट द्वारा मुद्रित उत्तर पुस्तिकाओं के सम्पूर्ण प्रकरण की माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित मुद्रण सलाहकार समिति से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन विचारार्थ एवं आज्ञार्थ ।

– माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित सलाहकार समिति की बैठक में गोयल पेपर मार्ट द्वारा मुद्रित कार्य पर प्राप्त प्रतिवेदन पर सभी

आवश्यक निर्णय लेने हेतु प्रबन्ध मण्डल ने माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत करने का निर्णय लिया ।

29/11 प्रबन्ध मण्डल की 26वीं बैठक के पद क्रमांक 6 के निर्णयानुसार विदेश भ्रमण, समिति का कार्यवाही विवरण सूचनार्थ एवं आज्ञार्थ ।

विदेश भ्रमण समिति का कार्यवाही विवरण वित्त समिति के समक्ष प्रबन्ध मण्डल के निर्देशानुसार प्रस्तुत किया जावेगा ।

29/12 कोटा खुला विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति के प्रशासनिक सचिव के स्वीकृत पद की अर्हताएँ तथा नियुक्ति देने का प्रावधान जो प्रबन्ध मण्डल की दूसरी बैठक दिनांक 09-01-1988 के पद क्रमांक 22 के अन्तर्गत है, में संशोधनार्थ एवं आज्ञार्थ ।

– माननीय कुलपति के सचिव के पद की अर्हताओं तथा नियुक्ति से संबंधित प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 09-01-1988 के पद क्रमांक 22 के अन्तर्गत निर्णय को अब तक के अनुभव के आधार पर विस्तृत विचार विमर्श करने के उपरान्त प्रस्तावित संशोधन को जाँचा गया और कुलपति के सचिव की अर्हताओं एवं नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया ।

Qualification of Secretary to V.C.

The Vice Chancellor at his discretion may designate any person as Secretary to the V.C. from amongst the Readers in the University or the University officers not above the rank of a Deputy Registrar.

OR

The Secretary to the V.C. can also be appointed through direct selection and his qualifications will be as follows :-

A person having atleast Second Class Master's Degree with five years experience as Assistant Registrar or equivalent lecturer.

(Replaced at the time of approval of minutes)

29/13 राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन के नियम 9, आदेश दिनांक 02-12-1991 के अनुसरण में कोटा खुला विश्वविद्यालय में वाहनों के अत्यावश्यक निजि प्रयोग हेतु स्वीकृति के सन्दर्भ में ।

– राज्य सरकार के नियमों के अनुक्रम में ही विश्वविद्यालय के वाहनों को विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को अति-आवश्यक परिस्थितियों में निजि उपयोग हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति पर दिये जाने के प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया । यह सुविधा दिनांक 01-08-1995 से ही लागू मानी जावेगी ।

(परिशिष्ट-4)

29/14 पूर्व रोस्टर में सैनिक कोटे से भरे जाने वाले अभ्यर्थी का, वर्तमान में नवीन रोस्टर में समाप्त होने पर विभागीय पदोन्नति के सम्बन्ध में ।

– इसे प्रबन्ध मण्डल की अनुमति से हटा दिया गया है ।

29/15 कोटा खुला विश्वविद्यालय में विधिक कार्यों हेतु विधिक पैनल की स्वीकृति ।

– कोटा खुला विश्वविद्यालय में विधिक कार्यों हेतु प्रस्तावित निम्नांकित विधिक पैनल का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया :-

<u>राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर</u>

1. डॉ0 आर.के. शर्मा, जयपुर
2. श्री चेतन बैरवा, जयपुर
3. श्री दिलीप सिंह, जयपुर
4. श्री विनोद कुमार गुप्ता, जयपुर
5. श्री यू.सी.एस. सिंघवी, जोधपुर
6. श्री अनिल राजवंशी, जोधपुर
7. श्री शिव कुमार शर्मा, जयपुर
8. श्री डॉ0 अरूण चतुर्वेदी, जयपुर

मुख्यालय स्थत अधीनस्थ न्यायालय

1. श्री हरीश चन्द्र शर्मा, कोटा
2. श्री संतोष सक्सेना, कोटा
3. श्री विनोद कुमार चौबे, कोटा
4. श्री हेमन्त कृष्ण विजयवर्गीय, कोटा
5. श्री सी. बी. सोरल, कोटा
6. श्री गुलाब सिंह, कोटा

29/16 प्रबन्ध मण्डल की 26वीं बैठक के पद क्रमांक 15 के निर्णयानुसार कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न शिक्षकों को दिये गये परिलाभ की संस्तुति सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

– उक्त आइटम के सम्बन्ध में निम्नलिखित विषयों में नियमान्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंसा पर कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के परिलाभ के अनुमोदन का निर्णय लिया गया :-

: परिशिष्ट संख्या-5 :

1. राजनीति विज्ञान 2. शिक्षा 3. अर्थशास्त्र
4. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान 5. आंग्ल भाषा
6. इतिहास 7. वाणिज्य

अनुमोदन के लिये विचार करते समय अर्थशास्त्र के विषय में श्री आर. पी. शर्मा को कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत परिलाभ देने हेतु विस्तृत विचार विमर्श किया गया । इस सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध मण्डल की 16वीं बैठक में श्री आर. पी. शर्मा के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की ओर प्रबन्ध मण्डल का ध्यान आकृष्ट किया जिसके अन्तर्गत अनुपस्थिति का समय, वेतन एवं अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों के निर्णय के लिये माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत कर दिया था । इसके अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया था कि श्री आर0पी0 शर्मा को दिनांक 02-02-1990 से 9 माह 25 दिन का असाधारण

अवकाश स्वीकृत किया गया है । इस सम्बन्ध में श्री आर.पी. शर्मा को पत्र संख्या केओयू/स्था/टी/91/11698 दिनांक 09-12-1991 से सूचित किया जा चुका है, जो कि आवश्यक कारणवश प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया । इस तथ्य को ध्यान में रखकर प्रबन्ध मण्डल ने यह निर्णय लिया कि तत्कालीन माननीय कुलपति महोदय के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में अब उनकी सेवा में निरन्तरता है तथा वे इस कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम में उपयुक्त अभ्यर्थी है । इस सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने यह निर्णय लिया कि माननीय कुलपति महोदय इसके लिये पुनः स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर नियमानुसार कार्यवाही करें ।

:परिशिष्ट-6 :

29/17 अन्य बिन्दु अध्यक्ष की आज्ञा से ।

– माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध मण्डल को सूचित किया कि कोटा खुला विश्वविद्यालय एसोसिएशन ऑफ कामनवेल्थ यूनिवर्सिटीज तथा इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज का सदस्य है और इस सन्दर्भ में अप्रैल, 1996 में माल्टा में कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज के कार्यकारी अध्यक्षों :एक्ज्यूकिटिव हैड्स: का सम्मेलन हो रहा है । इस सम्मेलन में इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व माननीय कुलपति महोदय द्वारा होना प्रस्तावित है । नियोजित आधार पर यें बैठकें नियमित रूप से होती रहती है ।

यदि प्रबन्ध मण्डल अपनी अनुमति दें तो माननीय कुलपति महोदय इस सम्मेलन में भाग ले सकते है । माननीय कुलपति महोदय ने यह भी बताया कि इससे संबंधित व्यय या तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलता है या कोटा खुला विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से मिलेगा या राज्य सरकार इस हेतु व्यवस्था करेगी अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्त्रोतों से वहन किया जावेगा ।

विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने यह निर्णय लिया कि कोटा खुला विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व माननीय कुलपति महोदय करेगें और यथा सम्भव उपलब्ध वांछित स्त्रोतों से व्यय को वहन किया जावें ।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

सचिव
प्रबन्ध मण्डल
एवं
कुल सचिव
कोटा खुला विश्वविद्यालय

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

क्रमांक:एफ॰2 (23)/को॰खु॰वि॰/बोम मि॰/95/817 दिनांक: 9-10-95
10-

" संशोधन "

डा० एस०के० वर्मा माननीय सदस्य प्रबन्ध मण्डल से प्रबन्ध मण्डल की 29 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के पृष्ठ-9 पर पद क्रमांक 29-12 की अन्तिम पंक्ति के अन्तिम शब्द " इक्वीलेन्ट" के स्थान पर "लेक्चरर " शब्द किये जाने का संशोधन प्राप्त हुआ है ।

माननीय कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल के द्वारा उक्त संशोधन पर अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

अतः उपरोक्तानुसार का कार्यवाही विवरण में " इक्वीलेन्ट " के स्थान पर " लेक्चरर शब्द पढ़ा जावे ।

कुल सचिव

क्रमांक:एफ॰2(23)/को॰खु॰वि॰/बोम मि॰/95/817 दिनांक: 9-10-95
10-

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सदस्य प्रबन्ध मण्डल, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा
2. समस्त विभागाध्यक्ष---------- कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटा
3. अनुभागाधिकारी, निजि सहायक, कुलसचिव कार्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त संशोधन की [illegible] आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखा जावे ।

कुलसचिव

प्रबन्ध मण्डल की 30वीं बैठक दिनांक 18-11-1995 (शनिवार) को कुलपति सचिवालय, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा में सम्पन्न हुई । इस बैठक में निम्नांकित आमंत्रित उपस्थित हुए :-

1.	प्रोफेसर बी0एस0 शर्मा कुलपति, कोटा खुला विश्वविद्यालय	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर बी0एन0 कौल सम-कुलपति, इ0गां0रा0मु0वि0वि0	सदस्य
3.	डॉ0 करण सिंह यादव प्रोफेसर, स0मा0सि0आयुर्विज्ञान महा0 जयपुर	सदस्य
4.	डॉ0 एस0के0 वर्मा सेवा निवृत्त प्राचार्य 39-ए, गुमानपुरा, कोटा	सदस्य
5.	प्रोफेसर एम0डी0 अग्रवाल विभागाध्यक्ष (वाणिज्य)	सदस्य
6.	डॉ0 आर0वी0 व्यास निदेशक (क्षेत्रीय सेवायें)	सदस्य
7.	डॉ0 के0के0 खेतान निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, को0खु0वि0वि0 बीकानेर	सदस्य
8.	श्री हेमन्त शेष कुल सचिव, को0खु0वि0वि0	सचिव

डॉ० आदर्श किशोर, वित्त सचिव एवं श्री अनिल वैश्य, सचिव।उच्च शिक्षा।, राजस्थान सरकार, जयपुर की इस बैठक में उपस्थिति सम्भव नहीं हो सकी ।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया एवं यह अवगत कराया कि प्रोफेसर एस०एन० दुबे द्वारा प्रबन्ध मण्डल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया गया है । उनके रिक्त हुए स्थान पर मनोनीत नये सदस्य डॉ० आर०सी० व्यास, निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा का परिचय करवाया गया । सदस्यों ने श्री दुबे की सेवाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए नए सदस्य श्री व्यास का स्वागत किया ।

अध्यक्ष महोदय ने इसी माह के पहले सप्ताह में दूरस्थ शिक्षा परिषद् के दल की कोटा यात्रा का विवरण देते हुए अवगत कराया कि अब तक कतिपय कारणोंवश विश्वविद्यालय को आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई अनुदान दूरस्थ शिक्षा परिषद् से नहीं मिला था, किन्तु विश्वविद्यालय ने जो प्रस्ताव आर्थिक सहायता हेतु परिषद् को भेजे थे, उन पर विस्तृत विचार विमर्श किये जा चुकने के पश्चात् अब यह सम्भावना प्रबल हुई है कि परिषद् से इस विश्वविद्यालय को समुचित धनराशि प्राप्त हो सकेगी । उन्होंने विश्वविद्यालय के विकास कार्यक्रमों पर आर्थिक सहायता मिलने की सम्भावना व्यक्त करते हुए प्रशिक्षण, ऑडियो विजुअल केन्द्र, कम्प्यूटरीकरण, विद्यार्थी - सहायता - सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन विकास आदि प्रस्तावों पर दूरस्थ शिक्षा परिषद् से सहयोग मिलने की आशा जताई । अध्यक्ष महोदय ने इसके पश्चात् गत चार माहों में किये गये प्रमुख कार्यों की जानकारी देते हुए प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय ने अपनी आगामी आवश्यकताओं को देखते हुए पठन सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन का लगभग सम्पूर्ण कार्य पूरा कर लिया है । विद्यार्थियों को अब तक लगभग 17,000 पैकेट्स पठन सामग्री के भिजवाये जा चुके हैं । वर्ष 1994-95 के पंजीकृत विद्यार्थियों को भी पठन सामग्री की पहली किश्त भेजी जा चुकी है और अब इस दिशा में कोई बैकलॉग नहीं है । सत्र 1995-96 के लिये प्रवेश की कार्यवाही क्षेत्रीय निदेशकों के कार्यालयों में चल रही है । विश्वविद्यालय की परीक्षायें एवं विशेष परीक्षायें भी चालू हैं तथा आगे परीक्षाओं में भी कोई बैकलॉग नहीं रहेगा, ऐसी आशा की जा सकती है । अप्रेल, 1996 में भी ऐसे विद्यार्थियों के लिये, जो किसी कारणवश परीक्षायें नहीं दे सके थे, एक विशेष परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है । ली गई परीक्षाओं के परिणाम भी

तत्काल 60 दिवसों के भीतर घोषित किये जाने का संकल्प पूरा किया जा रहा है । उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधियों वितरण करने के लिये लगभग 72,000 डिग्रियों का मुद्रण और लेखन किया जाना था, जिसमें से लगभग 12,000 डिग्रियाँ प्रेषण के लिये तैयार हैं तथा कुछ भेजी जा चुकी हैं । माह जनवरी, 1996 के अन्त तक डिग्री प्रकोष्ठ का भी समस्त बैकलॉग पूरा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है । डिग्रियों पर कैलीग्राफी का काम "लैट इन्जैक्ट" तकनीक से कराना प्रस्तावित है । लगभग 20,000 डिग्रियाँ और छपवाने की व्यवस्था भी की गई है । विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार फरवरी, 1996 के पहले से दूसरे सप्ताह के मध्य एक भव्य दीक्षांत समारोह भी आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये अनौपचारिक रूप से माननीय कुलाधिपति महोदय की सहमति प्राप्त कर ली गई है । कॉमन वैल्थ के एक अन्तर्राष्ट्रीय अकादमिक विद्वान को प्रस्तावित दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण देने हेतु आमंत्रित करने की कार्यवाही भी की जा रही है, और इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय होने पर यथा-सम्भव अग्रिम सूचना प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को दी जाएगी ।

प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने इस प्रगति विवरण पर सन्तोष व्यक्त करते हुए विचार-विमर्श के उपरान्त बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर सर्व-सम्मति से निम्न प्रकार निर्णय लिए :-

30-1 दिनांक 31-07-95 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध मण्डल की 29वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करना ।

उक्त कार्यवाही-विवरण की पुष्टि की गई ।

30-2 दिनांक 31-07-1995 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध मण्डल की 29वीं बैठक के निर्णयों की अनुपालना का प्रगति विववरण सूचनार्थ ।

सूचना ली गई ।

30-3ए दीक्षान्त समारोह एवं मानद डिग्री से संबंधित अधिनियम पर विचार एवं अनुमोदन बाबत ।

कोटा खुला विश्वविद्यालय के वर्तमान अधिनियम 1987 में दीक्षांत समारोह के आयोजन और मानद डिग्री दिये जाने के सम्बन्ध में कानूनी प्रावधान जोड़े जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

30-3अ कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 की धारा 10 (एफ) के अन्तर्गत वित्त समिति हेतु दो सदस्यों का मनोनयन ।

अध्यक्ष महोदय ने कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 की धारा 10(एफ) के अन्तर्गत वित्त समिति हेतु निम्न दो नए सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत किया :-

1. प्रोफेसर एम0वी0 माथुर
2. डॉ0 आर0वी0 व्यास

इन सदस्यों का कार्यकाल मनोनयन होने की तिथि से दो वर्ष का रहेगा । प्रबन्ध मण्डल ने अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त नामांकित सदस्यों को वित्त समिति में मनोनीत करने हेतु अनुमोदन किया ।

30-4 भवन निर्माण समिति के पुनर्गठन का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

प्रबन्ध मण्डल के एक सदस्य प्रोफेसर एम0डी0 अग्रवाल ने प्रस्तावित भवन निर्माण समिति में वरिष्ठ फैकल्टी प्रोफेसर को भी जोड़ने का प्रस्ताव दिया । इस पर अध्यक्ष महोदय ने सहमति व्यक्त करते हुए भवन निर्माण समिति में 16 सदस्यों के स्थान पर कोटा खुला विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टाफ के 1 प्रोफेसर को सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए 17 सदस्यों की भवन निर्माण समिति का अनुमोदन करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर प्रबन्ध मण्डल ने अपनी सहमति प्रदान की ।

30-5 निदेशक (क्षेत्रीय केन्द्र), उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के पदों पर हुए साक्षात्कार के परिणामों पर चयन समिति की अभिशंसाओं का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

बैठक में अध्यक्ष महोदय ने विश्वविद्यालय के निदेशक (क्षेत्रीय केन्द्र), उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के पदों के लिये दिनांक 08 सितम्बर, 1995 को आयोजित चयन समिति की अभिशंसाओं के बन्द लिफ़ाफ़ों को खोलकर इस निर्णय की सूचना दी कि चयन समिति ने निदेशक (क्षेत्रीय केन्द्र) के पद के लिये डॉ0 सोल नगेन्द्र अम्बेडकर का चयन किया है । रिज़र्व सूची में डॉ0 कजोड़ मल गंगोत्री का नाम रखा गया है । उप कुलसचिव के पद हेतु 5 उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से तीन उम्मीदवार साक्षात्कार के लिये उपस्थित हुए । चयन समिति ने इस पद पर किसी भी उम्मीदवार को योग्य नहीं पाया । सहायक कुलसचिव के पद हेतु 8 उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलवाया गया था, जिसमें 7 उम्मीदवार ही साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए । चयन समिति ने सहायक कुलसचिव पद पर अनुसूचित जनजाति संवर्ग में श्री बिशन लाल मीणा तथा अनुसूचित जाति संवर्ग में श्री गोपाल लाल वर्मा तथा श्री ऋषिपाल सिंह का चयन किया है ।

प्रबन्ध मण्डल ने उपरोक्त तीनों को नियुक्ति देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

30-6 परीक्षा में अनुचित तरीकों के उपयोग करने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए बनाए गए नियमों का विवरण अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं पुष्टि हेतु ।

कोटा खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित तरीकों का उपयोग करने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही हेतु प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्तावित नियमों, जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1988 में निर्मित हैं, को अंगीकार किये जाने का अनुमोदन किया ।

30-7 विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में प्रश्न-पत्रों के गोपनीय मुद्रण के व्यय के सम्यक-लेखा-संधारण के नियमों का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

प्रबन्ध मण्डल ने इस प्रस्ताव पर यह मत व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा प्रश्न-पत्रों के गोपनीय मुद्रण के व्यय के सम्यक् लेखा संधारण समिति में दो सदस्यों के बजाय 3 सदस्य होने चाहिऐं । प्रोफेसर बी०एन० कौल, सम-कुलपति, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, डॉ० एस०के० वर्मा, सेवानिवृत्त प्राचार्य तथा प्रोफ़ेसर एम०डी० अग्रवाल, विभागाध्यक्ष (वाणिज्य), कोटा खुला विश्वविद्यालय ने इस प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय की यह सहमति प्राप्त की कि कोटा खुला विश्वविद्यालय में शीघ्र ही एक परीक्षा समिति का गठन किया जाए जो इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की परीक्षा समिति की तरह हो । इस परीक्षा प्रश्न पत्र मुद्रण समिति का अध्यक्ष, गठित की जाने वाली विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का अध्यक्ष होगा । अतः गोपनीय मुद्रण के लिये अब परीक्षा समिति के अध्यक्ष सहित वित्त अधिकारी तथा परीक्षा नियंत्रक की तीन सदस्यीय समिति उत्तरदायी होगी ।

30-8 प्रबन्ध मण्डल की 27वीं बैठक के पद क्रमांक 9/4 एवं 29वीं बैठक के पद क्रमांक 29/2 के अनुसरण में लंबित प्रकरणों के निर्णयार्थ प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य डॉ० एस०के० वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं आज्ञार्थ ।

प्रोफ़ेसर एम०डी० अग्रवाल ने जानना चाहा कि क्या अध्यक्ष महोदय ने डॉ० एस०के० वर्मा समिति की अभिशंसाओं का पूर्व अध्ययन कर अपना अभिमत प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के लिये संधारित कर लिया है ? इस पर अध्यक्ष महोदय ने सूचना दी कि ये अभिशंसाऐं गोपनीय होने के कारण सीधे ही इन्हें प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है । डॉ० वर्मा समिति की राय से कुलपति सहमत हैं या नहीं, यह एक पृथक प्रश्न है, जिसे प्रबन्ध मण्डल के अध्यक्ष की भूमिका से नहीं जोड़ा जाना चाहिये । माननीय सदस्य प्रो०एम०डी० अग्रवाल ने यह भी सूचित किया कि कुछ एक और मामले भी हैं जो डॉ० वर्मा समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सके है, जिन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे तो वह डॉ० वर्मा समिति को प्रस्तुत कर

सकते हैं । अतः निर्णय लिया गया कि डॉ० एस०के० वर्मा की अध्यक्षता में अब नए सदस्यों को नामांकित करते हुए सेवा सम्बन्धी मामलों के प्रकरणों पर निर्णय लेने के लिये एक नई समिति माननीय कुलपति महोदय, कोटा खुला विश्वविद्यालय के विवेकानुसार गठित कर दी जाए जो बकाया सभी मामलों पर निर्णय लेकर अपना प्रतिवेदन यथा-शीघ्र प्रस्तुत करेगी ।

यह भी निर्णय लिया गया कि डॉ० एस०के० वर्मा समिति के प्रतिवेदनों में जो निर्णय माननीय कुलपति महोदय पर छोड़े गये हैं, उन निर्णयों पर प्रशासनिक कार्यवाही कर माननीय कुलपति महोदय प्रबन्ध मण्डल को आगामी बैठक में पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

30-9 माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित मुद्रण सलाहकार समिति की बैठक में मैसर्स यूनीक प्रिन्टर्स द्वारा किये गये मुद्रण-कार्य पर प्राप्त प्रतिवेदन विचारार्थ एवं आज्ञार्थ ।

प्रबन्ध मण्डल के दो सदस्यों डॉ० एस०के० वर्मा एवं प्रो० एम०डी० अग्रवाल ने यह यह सुझाव दिया कि जो प्रतिवेदन मैसर्स यूनीक प्रिन्टर्स के मामले में प्रस्तुत हुआ है, उसकी गम्भीरता को देखते हुए पंच फैसले हेतु एक मध्यस्थ की नियुक्ति कर दी जाए तथा इस फर्म से, जितना कागज बचा हुआ है, उसे वापस आवश्यक-रूप से ले लिया जाए । यदि अध्यक्ष महोदय चाहें, तो मध्यस्थता हेतु दो सदस्यों की एक समिति गठित कर सकते हैं, जो मैसर्स यूनीक प्रिन्टर्स से बात कर लें । अध्यक्ष महोदय ने यह विचार व्यक्त किया कि चूँकि यह अत्यन्त गम्भीर मामला है, अतः प्रबन्ध-मण्डल के सदस्यों के अभिमत एवं भावना को देखते हुए समस्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी आवश्यक है । विचार विमर्श के बाद प्रबन्ध मण्डल ने निम्न 4 सदस्यों की एक समिति मध्यस्थता हेतु गठित करने का निर्णय लिया जो प्रिन्टर को बुलाकर उससे विस्तृत बातचीत करेंगे तथा अपेक्षित कार्यवाही का निर्णय लेंगे । इस समिति में निम्नांकित 4 सदस्य होंगे :-

1।	डॉ0 एस0के0 वर्मा सदस्य- प्रबन्ध मण्डल	अध्यक्ष
2।	प्रो0 एम0डी0 अग्रवाल सदस्य- प्रबन्ध मण्डल	सदस्य
3।	कुलपति महोदय द्वारा नामांकित विश्वविद्यालय का स्थाई-अधिवक्ता	सदस्य
4।	श्री श्याम जी दुबे मुद्रण विशेषज्ञ	सदस्य

इस समिति की सहायतार्थ डॉ0 के0के0 राय, सचिव, कुलपति सचिवालय को भी सदस्य नामांकित करने पर सहमति प्रदान की गई ।

30-10 कोटा खुला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में गोयल पेपर मार्ट द्वारा मुद्रित उत्तर पुस्तिकाओं के सम्पूर्ण प्रकरण की माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित मुद्रण सलाहकार समिति से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन विचारार्थ एवं आज्ञार्थ एवं कोर्ट के निर्णय के क्रम में विचार करते हुए आगे की कार्यवाही के बाबत आदेशार्थ ।

प्रतिवेदन का अनुमोदन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा न्यायालय में रु0 46,746/- जमा कराने के निर्णय का भी अनुमोदन किया गया किन्तु साथ ही प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने यह राय दी कि संबंधित फर्म के विरुद्ध कागज के घोटाले, वांछित स्तर का कागज प्रयोग न करने एवं अन्य दोषों के लिये जालसाज़ी का मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए तथा इस मुक़द्दमे को एक प्रतिष्ठित फौजदारी वकील द्वारा विश्वविद्यालय की ओर से लड़ा जाना चाहिये ।

30-11 विश्वविद्यालय के आवासीय भवनों के आवंटन नियमों का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

प्रस्तावित नियमों का अनुमोदन किया गया किन्तु यह राय व्यक्त की गई कि भवन आवटंन में इन नियमों का पूरा पालन हो, यह विश्वविद्यालय प्रशासन अवश्य संसुचित करें ।

30-12 कोटा खुला विश्वविद्यालय में योजना मद के पदों के विरुद्ध कार्यरत विश्वविद्यालय के अध्यादेश एवं सेवा नियमों के अन्तर्गत स्थाईकरण अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ, आज्ञार्थ ।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों की जानकारी देते हुए उन कारणों का विस्तृत औचित्य प्रस्तुत किया जिनसे प्रशासन ने कर्मचारियों के स्थाईकरण का निर्णय लिया है । प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने लिये गये निर्णय को अनुमोदित करते हुए यह सुझाव दिया कि वित्त विभाग में आयोजित होने वाली आगामी बजट समिति में योजना मद के पदों को गैर-योजना मद के पदों में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव भेजा जाना चाहिये । यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भी भेजा जाए, जिसमें कर्मचारियों के स्थाईकरण से संबंधित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। वि.वि. सेवा-नियमों के नियम 0-19 के प्रसंग में लिये गये स्थाईकरण के निर्णय को राज्य सरकार को भी अवगत कराने का निर्देश प्रबन्ध मण्डल ने प्रदान किया ।

30-13 दिनांक 03-11-1995 को सम्पन्न मुद्रण सलाहकार समिति की बैठक के निर्णयों का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

अनुमोदन किया गया ।

30-14 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पदों की नियुक्ति में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रावधान अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

अनुमोदन किया गया ।

30-15 शैक्षणिक पंचाग अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

अनुमोदन किया गया ।

30-16 अन्य विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप ही इस विश्वविद्यालय में भी सहायक एवं अनुभागाधिकारी के पदों को शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरने का प्रावधान करने बाबत मामला अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं आज्ञार्थ ।

यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में राजस्थान विश्वविद्यालय-जयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय-जोधपुर, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय-अजमेर एवं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय-बीकानेर से यह सूचना प्राप्त कर प्रस्तुत करें कि उन विश्वविद्यालयों में सहायक कुलसचिवों के पदों तक पदोन्नति की क्या अर्हतायें हैं, तथा क्या ये पद भी शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ही भरे जाते हैं, ताकि प्रबन्ध-मण्डल आगामी बैठक में इस विषय में उचित निर्णय ले सके ।

30-17 विश्वविद्यालय में स्वीकृत विभिन्न पदों के लिये वांछित योग्यता व अनुभव अनुमोदित करवाने हेतु ।

Qualification of Posts. IGNOU or State Govt.

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्तुत बिन्दु पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि चूँकि कोटा खुला विश्वविद्यालय का दर्शन, कार्य प्रणाली एवं लक्ष्य राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय की अपेक्षा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के निकटतम है, अतः भविष्य में कोटा खुला विश्वविद्यालय को जिन भी पदों के लिये वांछित योग्यता, अनुभव या अर्हतायें निर्धारित करनी हों, तो वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता, अनुभव एवं अर्हताओं के आधार पर ही निर्धारित हों । यदि कोई पद ऐसा है, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में सृजित ही नहीं है, तो ऐसे पद/पदों के लिये अनुभव, योग्यता एवं अर्हता राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर ही तय की जानी चाहिए । किसी भी पद के लिये उक्त दोनों प्रकारों से निर्धारित की गई योग्यता आदि का अनुमोदन बाद में प्रबन्ध मण्डल से करवाया जाना अपेक्षित होगा।

30-18 विश्वविद्यालय के विधिक कार्यों के लिये तत्कालीन व्यवस्था बाबत पूर्व में नियुक्त स्थायी अधिवक्ताओं की संख्या समाप्ति एवं वर्तमान में नए स्थायी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

अनुमोदन किया गया ।

30-19 विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को अतिरिक्त समय में सम्पन्न किए विश्वविद्यालय के कार्यों के लिये मानदेय निर्धारण हेतु गठित समिति की अभिशंसाओं का विवरण अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं आज्ञार्थ ।

प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गई ।

30-20 विश्वविद्यालय के वाहनों के पूलिंग तथा वाहन चालकों को अतिरिक्त समय में कार्य करने हेतु भत्ता/पारिश्रमिक देने हेतु डॉ० एस०के० वर्मा कमेटी की अभिशंसाएँ अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं आज्ञार्थ ।

अनुमोदन किया गया ।

30-21 विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए संशोधित कार्यपालन-समय/उपस्थिति बाबत लिए निर्णय का विवरण अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं आज्ञार्थ ।

प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गई ।

30-22 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

अनुमोदन किया गया ।

30-23 विधिक कार्यों हेतु नियुक्त स्थायी अधिवक्ता श्री सन्तोष कुमार सक्सेना को देय मानदेय राशि रु० 1500/- प्रति माह का भुगतान अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

अनुमोदन किया गया ।

30-24 परीक्षा विभाग में परीक्षा कोड बनाने के लिये संविदा पर लगाए गए सेवा निवृत्त अधिकारी श्री आर0एस0 शर्मा की कार्यावधि पुनः माह और बढ़ाने बाबत धारा 8(4) के अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय का निर्णय सूचनार्थ ।

सूचना ली गई एवं अनुमोदन किया गया ।

30-25 विश्वविद्यालय की विभिन्न बैठकों में भाग लेने के लिये सदस्यों को देय राशि रु0 100/- प्रति बैठक से बढ़कर रु0 150/- प्रति बैठक एवं अध्यक्ष महोदय को रु0 250/- प्रति बैठक के प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

अनुमोदन किया गया ।

प्रोफेसर एम0डी0 अग्रवाल ने यह माँग की कि विश्वविद्यालय की विभिन्न बैठकों में भाग लेने के लिये आंतरिक सदस्यों को भी मानदेय दिया जाना चाहिये । इस पर अन्य सदस्यों का मत था कि राज्य के दूसरे विश्वविद्यालयों में वस्तु-स्थिति क्या है, यह सूचना मंगवाकर प्रकरण प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

30-26 चिकित्सा पुनर्भरण समिति के निर्णयों/अभिशंसाओं का विववरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

अनुमोदन किया गया ।

30-27 स्नातक योग्यता नहीं रखने वाले सहायकों को भी राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमों के अनुकूल ही 14 वर्ष की सेवा (जिसमें 04 वर्ष का सहायक/लेखाकार/स्टेनोग्राफर ग्रेड-प्रथम का अनुभव) पर अनुभागाधिकारी के पद पर पदोन्नति बाबत प्रस्ताव अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं आज्ञार्थ ।

प्रबन्ध मण्डल ने इस मामले को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि यह अपनी तरह का एक अकेला प्रकरण है और इससे हर व्यक्तिगत डित के मामले में नज़ीर बनने की आशंका पैदा होगी । अतः इस प्रकरण में 9,18,27 वर्षों की वेतन श्रृंखला के प्रावधानों का लाभ श्री अवधेश श्रीवास्तव को दिया जाए, यदि वे इस प्रकार का लाभ पूर्व में प्राप्त नहीं कर रहे हों । श्री श्रीवास्तव की सेवाओं पर राजस्थान विश्वविद्यालय नियमों को लागू करते हुए अनुभागाधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया गया ।

30-28 प्रो0 टी0एन0 भारद्वाज, पूर्व-कुलपति महोदय के विदेश भ्रमण के दावे का विवरण अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं आज्ञार्थ ।

आगामी बैठक में रखा जाए ।

30-29 प्रो0 टी0एन0 भारद्वाज, पूर्वकुलपति महोदय के जयपुर स्थित निवास पर टेलीफोन नं0 563999 के बारे में लगे अंकेक्षण के निराकरण हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

आगामी बैठक में रखा जाए ।

30-30 विश्वविद्यालय के वाहनों की मरम्मत आदि के प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

अनुमोदन किया गया ।

30-31 विश्वविद्यालय के वाहन मेटाडोर को राजकीय नियमों के अन्तर्गत नीलामी का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

मोटर गैरेज राजस्थान सरकार, जयपुर से एक ऑटोमोबाइल इन्जीनियर विश्वविद्यालय व्यय पर कोटा बुलावाया जाए जो विश्वविद्यालय की मेटाडोर का निरीक्षण कर इसकी न्यूनतम नीलामी राशि पुनः निर्धारित करेंगे ।

30-32 विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु गठित कर्मचारी समस्या निवारण सलाहकार समिति के गठन की कार्यवाही अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

अनुमोदन किया गया ।

30-33 विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिये अवकाश-अवधियों का निर्धारण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

आगामी बैठक में रखा जाए ।

<u>अन्य बिन्दु आसन की अनुमति से</u> :-

30-34 दिनांक 30-10-95 को सम्पन्न आयोजना मण्डल (Planning Board) की बैठक के निर्णयों का विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

अनुमोदन किया गया ।

11 अध्यक्ष महोदय ने आगामी माह दिसम्बर 3-5, 1995 को ताइवान में आयोजित एशियन एसोसिएशन ऑफ कॉमनवैल्थ के 9वें वार्षिक अधिवेशन हेतु प्राप्त नामज़द आमंत्रण का उल्लेख करते हुए भाग लेने का प्रस्ताव किया एवं उक्त अधिवेशन के कार्यक्रमों की जानकारी विस्तारपूर्वक दी । निर्णय लिया गया कि अधिवेशन हेतु हवाई यात्रा - टिकट रु0 25,154/- तथा रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित परडाइम 60 अमेरिकन डालर प्रतिदिन में से आधा व्यय कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा वहन करेगा । कुल व्यय का पचास प्रतिशत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा दी गई अनअेसाईन्ड ग्रांट में से नियमानुसार वहन किया जाएगा ।

2। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को यह सूचित किया कि राज्य सरकार से गैर-योजना मद में सहायता की कोई धनराशि अब तक नहीं मिली है । इस दिशा में पूरे प्रयास जारी हैं । प्रबन्ध मण्डल ने माननीय कुलपति महोदय को गैर-योजना मद में बजट उपलब्ध करवाने तथा योजना मद में बकाया किश्तों का धन प्राप्त करने के लिये अधिकृत किया और यह भी बताया कि कुलपति इस बारे में यथा संभव प्रयत्न करें और प्रबन्ध मण्डल को सूचित करें ।

3। विश्वविद्यालय में पूर्व में अस्थाई तदर्थ वेतनभोगी कर्मचारियों को न्यायालय/राज्य सरकार के निर्णयानुसार वेतन श्रृंखला का न्यूनतम तथा उस पर देय भत्ते देने की माँग पर विश्वविद्यालय ने विचार किया और अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस पर लगभग रु० 52 लाख से भी अधिक का वित्तीय भार विश्वविद्यालय पर पड़ेगा । इस हेतु प्रबन्ध मण्डल ने माननीय कुलपति महोदय राज्य सरकार से उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर उसकी स्वीकृति मिलने की दशा में अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया ।

4। कोटा खुला विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को यात्रा भ्रमण अनुदान सुविधा देने के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने यह मत व्यक्त किया कि यह प्रकरण माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा गठित तीन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समिति के समक्ष विचाराधीन है, अतः इस प्रश्न पर उस समिति का प्रतिवेदन आने के बाद राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले निर्णय के अनुरूप ही कार्यवाही की जाए जो व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा बैंक से ऋण दिलवाकर कर्मचारियों को भ्रमण अग्रिम के रूप में दी जा रही है, उसका प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन किया ।

30-35 राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक अशा./पत्र/सं./15। शिक्षा-4/94/ दिनांक 18-10-95 के अनुसरण में कोटा खुला विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की नियुक्ति के अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 21 प्रतिशत

आरक्षण रोस्टर के अनुसार प्रवाह करने हेतु अनुमोदनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

अनुमोदन किया गया ।

आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक समाप्त हुई ।

कुलसचिव

प्रबन्ध मण्डल की 31वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

कोटा खुला विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की 31वीं बैठक दिनांक 15 जनवरी 1996, सोमवार को कुलपति सचिवालय विश्वविद्यालय परिसर में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्नांकित आमंत्रित सदस्य उपस्थित हुए –

1. प्रो. बी.एस. शर्मा — अध्यक्ष
   कुलपति, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा
2. प्रो. बी.एन. कौल — सदस्य
   समकुलपति, इ. गाँ. रा. मु. वि. वि.
   नई दिल्ली
3. डा. एस. के. वर्मा — सदस्य
   सेवा निवृत्त प्राचार्य
   39-ए, गुमानपुरा, कोटा
4. प्रो. एम.डी. अग्रवाल
   विभागाध्यक्ष, वाणिज्य, को.खु.वि.वि.
5. डा. आर.बी. व्यास — सदस्य
   निदेशक क्षेत्रीय सेवायें, को.खु.वि.वि.
6. डा. के.के. खेतान — सदस्य
   निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, को.खु.वि.वि., बीकानेर
7. श्री हेमन्त शेष — सचिव
   कुलसचिव
   को.खु.वि.वि., कोटा

तीन सदस्यों डॉ. आदर्श किशोर, वित्त सचिव, श्री अनिल बैश्य, सचिव उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार तथा डा. करण सिंह यादव प्रो. सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर की उपस्थिति बैठक में सम्भव नहीं हो सकी।

सर्व प्रथम अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा प्रबन्ध मण्डल को एजेन्डा आईटमों पर विचार करने से पूर्व गत बैठक के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों में किए गये कार्यों और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी सूचनार्थ प्रस्तुत की –

1. प्रवेश
2. परीक्षायें
3. पाठ्यक्रम सामग्री का प्रकाशन और वितरण
4. भवन निर्माण
5. दीक्षान्त समारोह

6. डिग्रियों की कैलीग्राफी
7. आगामी एक वर्ष के दौरान आयोज्य नये पाठ्यक्रम
8. आगामी वर्ष के प्रस्तावित कार्यक्रम
9. नयी योजनायें

समिति के सदस्यों ने भूमिका में अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त बिन्दुओं पर आधारित मौखिक प्रतिवेदन पर सन्तोष व्यक्त किया। विचार विमर्श के उपरान्त बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर सर्व सम्मति से निम्न प्रकार निर्णय लिये :-

31.1 दिनांक 18.11.95 को प्रबन्ध मण्डल की 30वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करना ।

उक्त कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई

31.2 दिनांक 18.11.95 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 30वीं बैठक के निर्णयों की अनुपालना का विवरण सूचनार्थ आगामी बैठक में रखने का प्रस्ताव ।

निर्णयों की अनुपालना का विवरण प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई ।

31.3 दिनांक 11 जनवरी 1996 को सम्पन्न हुई 11वीं विद्या परिषद की विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करना ।

§परिशिष्ट-1§

पुष्टि की गई ।

31.4 वित्त समिति की बैठक दिनांक 13 जनवरी 1996 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ

§परिशिष्ट-2§

दिनांक 13.1.96 को आयोजित वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अनुमोदित किया गया ।

31.5 §अ§ दिनांक 10.02.96 को विश्वविद्यालय अपने दीक्षान्त समारोह का भी आयोजन कर रहा है। इस दीक्षान्त समारोह का दीक्षान्त भाषण कामनवेल्थ ऑफ लर्निंग, वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, के अध्यक्ष "डाटो" डा. गजराज धनराजन देंगे। इस अवसर पर महामहिम कुलाधिपति जी द्वारा सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चुके छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जायेंगे। छात्रों को डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी की उपाधि दी जाएगी। समारोह में महामहिम राज्यपाल के अलावा माननीय मुख्य मंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथियों के भाग लेने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

इसी अवसर पर दिनांक 11/2/96 को विश्वविद्यालय द्वारा मुक्त शिक्षा प्रणाली की चुनौतियां विषय पर एक राष्ट्रीय सेमीनार का भी आयोजन किया जाना प्रस्तावित है जिसमें भाग लेने वाले विशिष्ट आमंत्रितों को सादर आमंत्रण पत्र भी दिये गये हैं। अतः विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार आयोज्य दीक्षान्त समारोह तथा राष्ट्रीय सेमिनार के प्रस्ताव का अनुमोदन ~~करें~~ किया गया।

(ब) दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय की विद्या परिषद और कार्यकारी परिषद के डॉ. गजराज धनराजन को दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में उनके अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान और उनकी अकादमिक उपलब्धियों के सम्मान स्वरू- डी.लिट्. की मानद उपाधि देने का प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। डॉ. गजराज धनराजन को दिए जाने वाले प्रशस्ति पत्र "साइटेशन" का प्रारूप संलग्न है।

अध्यक्ष ने दीक्षान्त समारोह का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया तथा प्रबन्ध मण्डल को सूचित किया कि समारोह के दीक्षान्त भाषण के लिए कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, वैन्कूवर, ब्रिटिश कोलम्बिया के अध्यक्ष डा. गजराज धनराजन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसी अवसर पर उन्हें विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डी.लिट्. की मानद उपाधि से सम्मानित करेंगे। 38 छात्रों को स्वर्ण पदक तथा 2/4 शोध विद्यार्थियों को Ph.D. की उपाधि दी जायेगी।

चूँकि लगभग 36 हजार से भी अधिक छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रदान की जाने वाली डिग्रियों का वितरण दीक्षान्त समारोह में कर पाना प्रशासनिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से सम्भव नहीं अतः कुलाधिपति की अनुमति तथा अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार ऐसे विद्यार्थियों को डिग्रियाँ absentia में दिये जाने/भेजे जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल ने किया। इस विचारणीय बिन्दु के भाग 'अ' तथा 'ब' दोनों का अनुमोदन भी किया गया।

31.6 वर्ष 1996 में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए देय अवकाशों का विवरण परिशिष्ट-7 पर अंकित है। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा घोषित समस्त राजपत्रित अवकाश/ऐच्छिक अवकाश के अलावा भी अवकाश कुलपति महोदय द्वारा निर्धारित किए जाने प्रस्तावित हैं वे भी इसमें अंकित कर दिये गये हैं अतः इनका अवलोकन एवं अनुमोदन करें।

आगामी बैठक में विचारार्थ रखने की स्वीकृति दी गई।

31.7 प्रवेश 1996 के लिए 31.12.95 तक बढ़ाई गई अवधि पर निर्णय अनुमोदनार्थ ।

विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अन्तिम-तिथि 15.12.95 को बढ़ाकर 31.12.95 करने का निर्णय लिया गया क्योंकि 15.12.95 प्रवेश-आवेदकों द्वारा प्रवेश अन्तिम तिथि बढ़ाने के लिए दबाव आ रहे थे, अत: माननीय कुलपति महोदय द्वारा दी गई संशोधित तिथि सम्बन्धी अनुमति का अनुमोदन करें ।

अनुमोदन किया गया ।

31.8 गैर आयोजना मद की बजट निर्णयक समिति की दिनांक 14.12.95 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अपने वाहन जीप 2576 एवं कार 2754 को नकारा घोषित कर नीलाम करें ।

प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति को अधिकृत किया कि वह वाहनों की राज्य सरकार के मानदण्डों के अनुसार नीलामी के प्रसंग में राज्य सरकार के वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग आदि से पत्राचार कर उचित प्रस्ताव भिजवायें तथा प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रगति से अवगत करायें ।

31.9 विश्वविद्यालय को अभी तक दूरस्थ शिक्षा परिषद से कोई उल्लेखनीय अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु विश्वविद्यालय ने दूरस्थ शिक्षा परिषद को एक योजना विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में अनुदान प्राप्त क के सम्बन्ध में बनाकर भेजी थी । आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की दूरस्थ शैक्षणिक परिषद ने एक अध्ययन दल कोटा प्रेषित किया था जिसने कोटा में रहकर एवं विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इस विश्वविद्यालय की नीतियों से संतोष प्रकट करते हुए परिशिष्ट-9 के अनुसार राशि प्रदान की है । दूरस्थ शिक्षा परिषद से अनुदान के रूप में दी राशि का विवरण परिशिष्ट-9 पर देखें । सूचनार्थ ।

सूचना ली गई । दूरस्थ शिक्षा परिषद ने निमनानुसार राशि का आवंटन विश्वविद्यालय को किया है यह सूचना देते हुए अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल की ओर से दूरस्थ शिक्षा परिसर को इस अर्थ सहयोग हेतु कृतज्ञता अर्पित की ।

	Details of recmmondation of financial assistance	
1.	Computerisation	30.00 Lacks
2.	Development of learning Materials (print)	20.00 Lacks
3.	Student support services	08.00 laoks
4.	Audio-visual facilities	30.00 Lacks
5.	Staff trainning and development	05.00 Lack
6.	Library (reprographic facilities)	02.00 Lacks
	Total	95.00 Lacks
1.	Unassigned grant	03.00 Lacks
2.	Strenthning of regional services	07.00 Lacks

इस प्रकार आगामी माहों में विश्वविद्यालय को 8वी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के वर्षों में विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए 1 करोड़ 7 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त होने का निर्णय हुआ है। सितम्बर 1995 में 2 लाख रुपये की पुरानी unassigned grants का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज देने जाने की वजह से इस वर्ष सेमिनार आदि कार्यों के लिए 3 लाख रुपयों की unassigned grant मिलने की स्थिति बनी है। प्रबन्ध मण्डल इस सम्बन्ध में कुलपति के विशेष प्रयासों की सराहना करते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि इस राशि से विश्वविद्यालय के आगामी कार्यक्रमों और योजनाओं का क्रियान्वयन सन्तोषजनक रूप से पूरा हो सकेगा।

31.10 मुद्रण सलाहकार की उप समिति की अनुशंषा अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

मुद्रण सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 03.11.95 को आयोजित की थी जिसे प्रबन्ध मण्डल ने अपनी बैठक 10.11.95 को अनुमोदित कर दिये है, उस कार्यक्रम के आईटम न. 9 के द्वारा मुद्रण सलाहकार की उप समिति गठित की गई थी जिसमें प्रो. जनार्दन झा, सम-कुलपति, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 22.11.95 को की गई उप समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

अनुमोदन किया गया।

31-11 कैरियर एडवान्स योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को वरिष्ठ वेतन श्रंखला व व रीडर स्केल देने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ। ।गोपनीय है, बैठक में ही प्रस्तुत किया जायेगा।।

Career Advancement Scheme के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में कार्यरत, निम्नांकित संकाय सदस्यों को Screening Committee की अभिशंसा अनुसार वेतन प्रदान करने करने की सिफारिशों का अनुमोदन किया गया –

1. डा. एम.एल. गुप्ता शिक्षा विभाग को एसोसिएट प्रोफेसर की वेतन श्रंखला उनके निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अर्हता रखने की तिथि से प्रदान की जाये।

2. श्री आर.पी. शर्मा, अर्थशास्त्र विभाग को वरिष्ठ वेतन श्रंखला इस शर्त पर प्रदान की जाये कि वह आगामी दो वर्षों में या तो दो दो रिफ्रेशर कोर्स करें या

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा में डिप्लोमा (D.D.E.) अर्जित करें या specially planned cources को पूरा करें।

3. डा. दिनेश कुमार गुप्ता, पुस्तकालय विज्ञान विभाग को इस शर्त पर वरिष्ठ वेतन श्रंखला प्रदान की जाये कि वह आगामी दो वर्षों में अपेक्षित संख्या में रिफ्रेशर कोर्स पूरा कर लेंगे।

<u>अन्य बिन्दु आसन की अनुमति से</u>

31.12 कोटा खुला विश्वविद्यालय के अधिनियम 1987 के स्टेच्यूट संख्या 21 तथा 22 के अध्यधीन बनाये गये दीक्षान्त समारोह सम्बन्धी नये प्रस्तावित अधिनियम का मसौदा।

।परिशिष्ट–3।

समिति ने दीक्षान्त समारोह सम्बन्धी अधिनियम का अवलोकन कर इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की।

31.13 प्रबन्ध मण्डल की 30वीं बैठक में मद संख्या 35 में लिये गये निर्णयानुसार शैक्षणिक संवर्ग के पदों की रोस्टर के प्रावधानों के अनुरूप सीधी भर्ती से भरने के लिए जारी किये गये विज्ञापन का अनुमोदन।

(परिशिष्ट-4)

शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन का भी अनुमोदन किया गया।

आसन को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।

(हेमन्त शेष)
(सचिव, प्रबन्ध मण्डल)
कुलसचिव, कोटा खुला विश्वविद्यालय,
कोटा

32nd (Emergent) meeting of the Board of Management, Kota Open University held at the Regional Centre , Kota Open University, Commerce College Campus, J.L.N. Marg, Jaipur at 02.00 p.m. on 25-02-1996.

MINUTES

1) The 32nd (Emergent) meeting of the Board of Management was held on 25-02-1996 at Regional Centre, Kota Open University, Jaipur.

a) The following were present :-

i)	Prof. B.S. Sharma Vice Chancellor	Chairman
ii)	Dr. S.K. Verma Retd. Principal 39-A, Gumanpura, Kota	Member
iii)	Dr. K.S. Yadav Medical Superintendent S.M.S. Medical College, Jaipur	Member
iv)	Dr. R.V. Vyas Director(Regional Services), KOU	Member
v)	Prof. M.D. Agrawal Head of the Department Faculty of Commerce, KOU	Member
vi)	Dr. K.K. Khetan Regional Director, KOU, Kota	Member
vii)	Sh. B.M. Bhargava Acting Finance Officer, KOU	Special Invitee
viii)	Sh. Hemant Shesh Registrar, KOU	Secretary

---2/-

3) At the outset, the Chairman welcomed of the members of the Board. In his welcome remarks, he submitted the reasons for holding the emergent meeting of the Board of Management at Jaipur.

4) The members perused the minutes of the Finance Committee and after careful discussion, the Board resolved that the minutes and the recommendation amde by Finance Committee in its meeting held on 16/2/96 at Jaipur, are approved and confirmed. The Board also states that the tempo of activities and the speedy ~~the~~ operation of the University should be maintained and further augmented. Further the Board felt that reallocations as per limits approved by the Finance Committee on 16/2/96, be made and submitted to the Govt. for considering these as the limits of expenditures. The Board authorises the University strict to limits of expenditures as approved and revised by Finance Committee.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

25/2/96

(Hemant Shesh)
Secretary
&
Registrar, KOU

Approved
25/2

प्रबन्ध मण्डल की 33वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

कोटा खुला विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की 33वी बैठक दिनांक 30 मई 1996, गुरूवार को क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कॉमर्स कालेज परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्नांकित आमंत्रित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. प्रो. बी.एस. शर्मा — अध्यक्ष
   कुलपति,
   कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा
2. प्रो. जनार्दन झा — सदस्य
   समकुलपति, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय
   मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
3. डा. करण सिंह यादव — सदस्य
   अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय
   जयपुर
4. डा. एस.के. वर्मा — सदस्य
   सेवा निवृत प्राचार्य
   39-ए, गुमानपुरा, कोटा
5. प्रो. एम.डी. अग्रवाल — सदस्य
   विभागाध्यक्ष, वाणिज्य
   कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा
6. डा. आर.बी. व्यास — सदस्य
   निदेशक, क्षेत्रीय सेवाए
   कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा
7. डा. [श्रीमति] अमृत वालिया — सदस्य
   निदेशिका, क्षेत्रीय केन्द्र
   को.खु.वि.वि., जयपुर
8. श्री बी.एल. भार्गव — विशेष आमंत्रित
   कार्यवाहक वित्त अधिकारी
   कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा
9. श्री हेमन्त शेष — सचिव
   कुल सचिव
   कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

दो सदस्यों डा. आदर्श किशोर सक्सेना, वित्त सचिव, एवं श्री अनिल वैश्य, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर की उपस्थिति बैठक में सम्भव नहीं हो सकी।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय (कुलपति) द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। प्रबन्ध मण्डल ने पूर्व दो सदस्यों – प्रो. बी.एन. कौल तथा डा. के.के. खेतान की मूल्यवान सेवाओं की सराहना करते हुए धन्यवाद पारित किया। अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल में दो नये सदस्यों – प्रो. जनार्दन भा तथा डा. (श्रीमति) अमृत वालिया का परिचय दिया और आशा व्यक्त की कि इनकी प्रबन्ध मण्डल में उपस्थिति वि.वि. की गतिविधियों के सचांलन और योजनाओं की क्रियान्विति में सहायक सिद्ध होंगी। अध्यक्ष महोदय ने यह भी आशा व्यक्त की कि प्रो. कौल का अब अनौपचारिक सहयोग पूर्ववत वि.वि. को मिलता रहेगा।

॥

बैठक के प्रारम्भ में प्रो. एम.डी. अग्रवाल ने व्यवस्था का प्रश्न (Point of order) उठाते हुए यह मत व्यक्त किया कि वि.वि. के पास अभी भी बैठकों के संचालन सम्बन्धी विशिष्ठ नियम बने हुए नहीं है इसलिए मंडल में की गई कार्यवाही तकनीकी रूप से तब तक "अपूर्ण" है जब तक इस सम्बन्ध में विशिष्ठ नियम नहीं बना दिये जाते है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके द्वारा उनके पत्र दिनांक 30.4.96 द्वारा प्रेषित दो विचारणीय बिन्दु इस बैठक की कार्य-सूची में शामिल नहीं किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय ने डॉ. अग्रवाल के व्यवस्था सम्बन्धी आपत्तियों का निराकरण करते हुए अपने प्रत्युत्तर में इस बात पर सहमति व्यक्त की कि अभी भी वि.वि. में विभिन्न संवैधानिक समितियों (Statutory Committees) के कार्य संचालन सम्बन्धी नियम निर्मित और पारित नहीं हैं। अतः यह निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य डा. एस.के. वर्मा तथा प्रो. एम.डी. अग्रवाल की दो सदस्यीय समिति गठित की जाए जो प्रबन्ध मण्डल, वित्त समिति, आयोजना मंडल और विद्या परिषद की बैठकों की कार्यवाही संचालित करने संबंधी प्रक्रिया के नियम यथाशीघ्र बनाकर आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करें। समिति को कुल सचिव सहयोग प्रदान करेगें।

अध्यक्ष महोदय ने प्रो. अग्रवाल के उपर्युक्त उल्लेखित पत्र में अंकित सुझाए गये दोनों विचारणीय बिन्दुओ को कार्य-सूची में टेबल एजेण्डा के रूप में शामिल करने के निर्देश दिये ।

॥

अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के समक्ष 1995-96 के गैर-आयोजना मद के बजट में राज्य सरकार से अपेक्षित रू. 136.50 लाख के अनुदान सम्बन्धी स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने इस संबंध में वि.वि. द्वारा किये गये प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी

और सूचित किया कि वि.वि. के अनथक परिश्रम और प्रयासों के बाद अब माननीय कुलाधिपति महोदय के स्तर पर उनके हस्तक्षेप के उपरान्त राज्य सरकार ने निम्न निर्णय लिये हैं :

1. वर्ष 1995-96 के लिए पुराने फार्मूले (खर्च-आय) के आधार पर ही गैर आयोजना मद का अनुदान जो लगभग रु. 50.00 लाख बनता है, सितम्बर 96 तक ब्लाक ग्रान्ट सिद्धान्त के आधार पर को.खु.वि.वि. को शीघ्र मिल जावेंगें।

2. वर्ष 1996-97 के लिए गैर आयोजना मद के अनुदान दिये जाने के बारे में पूर्व के सिद्धान्त (खर्च-आय) को संशोधित कर दिया गया है और अब 96-97 से विश्वविद्यालयों द्वारा अर्जित आय को गैर-आयोजना मद के अनुदान की गणना करते समय अलग रखा जावेगा अर्थात वि.वि. द्वारा अर्जित आय का सरकार द्वारा गैर आयोजना मद में दिये जाने वाले अनुदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसी आय पर सरकार का दखल नहीं होगा।

॥

अध्यक्ष महोदय ने दीक्षान्त समारोह के अवसर पर स्वागत भाषण/प्रतिवेदन में उनके द्वारा घोषित कुछ नये कार्यक्रमों की वर्तमान प्रगति के बारे में विस्तार से प्रबन्ध मण्डल को निम्नानुसार अवगत कराया :-

1. 5 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चालू करने के क्रम में :-
नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चालू करने की प्रक्रिया के तहत वि.वि. ने पाठ्य सामग्री के मुद्रण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है और पाठ्य सामग्री मुद्रित होकर प्राप्त होते ही ये पाठ्यक्रम संचालित कर दिये जावेंगें।

2. विशेष महिला अध्ययन केन्द्र :-
18 से 40 वर्षीय महिलाओं के लिए विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के क्रम में पहला अध्ययन केन्द्र जोधपुर में उद्घाटित हो चुका है। दूसरा केन्द्र कोटा में प्रारम्भ किये जाने के लिए शहर के मध्य में उपयुक्त स्थान की तलाश की जा रही है।

3. लम्बी कारावास अवधि के कैदियों के लिए अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के क्रम में :-
लम्बी कारावास अवधि के कैदियों के लिए अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के क्रम में जयपुर जैल के लोगों से सम्पर्क करने पर वे तैयार हुए हैं और शीघ्र ही इस बारे में कम से कम 100 कैदियों के लिए वहाँ अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने की सम्भावना का पता लगाया है। परन्तु कैदीगण की फीस कैसे जमा होगी यह एक विचारणीय प्रश्न है। राज्य सरकार से कैदीगण की फीस वि.वि. को अनुदान के रूप में यदि प्राप्त हो जावे तो फीस संबंधी उक्त समस्या का समाधान हो सकता है। इस बारे में राज्य

सरकार एवं जेल विभाग से सम्पर्क/पत्र व्यवहार किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई।

प्रो. एम.डी. अग्रवाल ने सुझाव दिया कि कैदीगण की फीस के बारे में कुछ सामाजिक संस्थानों से भी मदद ली जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि सर्वप्रथम उक्त प्रयास जयपुर जेल में किया जाना प्रस्तावित है।

॥

अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए दूरस्थ शिक्षा परिषद (DEC) ने को.खु.वि.वि. के लिए रू. 95.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया है जिसमें से वि.वि. को 39.00 लाख प्राप्त हो चुके हैं और इस राशि के जनवरी 97 तक पूर्ण उपयोग के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने भूमिका में अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत उक्त बिन्दुओं पर आधारित मौखिक प्रतिवेदन पर सन्तोष व्यक्त किया। विचार विमर्श के उपरान्त बैठक के विचारणीय बिन्दुओं पर सर्व सम्मति से निम्न प्रकार निर्णय लिए गये :-

33-1

दिनांक 15.1.96 तथा 25.2.96 को आयोजित की जा चुकी प्रबन्ध मण्डल की क्रमशः 31वीं एवं 32वीं (आपातकालीन) बैठकों के दो कार्यवाही विवरणों की पुष्टि।

उक्त कार्यवाही विवरणों की पुष्टि की गई। केवल 31वीं बैठक के पद संख्या 10 पर दी गई मुद्रण सलाहकार उप समिति की अनुशंसा के बारे में प्रो. एम.डी. अग्रवाल ने आपत्ति दर्ज की कि मुद्रण उप समिति की अभिसंशाओं को मुद्रण सलाहकार समिति की बैठक में विचार हेतु रखा जावे। उसके उपरान्त मुद्रण सलाहकार समिति की अभिसंशाए ही प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखी जावे। सभी सदस्यों ने इस निर्णय का अनुमोदन किया।

उक्त उप समिति के गठन के आधार एवं औचित्य के बारे में विवरण आगामी बैठक में रखे जाने के बारे में प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश प्रदान किये।

33-2

दिनांक 15.1.96 एवं 25.2.96 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध मण्डल की 31वीं एवं 32वीं बैठक के निर्णयों की अनुपालना का प्रगति विवरण-सूचनार्थ।

~~~

उक्त दोनों बैठकों के निर्णयों की अनुपालना की प्रगति को नोट किया गया और संतोषव्यक्त किया गया। केवल प्रो. एम.डी. अग्रवाल, माननीय सदस्य के द्वारा सुझाये गये कुछ बिन्दुओं पर निम्न निर्णय लिये गये :-

30-8

सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के निपटारे के लिए गठित वर्मा समिति की अभिषंशाओं के क्रम में शीघ्र पालना की जाकर प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जावे।

30-10

गोयल पेपर मार्ट द्वारा मुद्रित उत्तर पुस्तिकाओं के प्रकरण के बारे में की गई पालना से संतोष व्यक्त किया गया परन्तु प्रबन्ध मण्डल के पूर्व निर्णय के क्रम में फर्म के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने हेतु वकील की फीस बढ़ाने के बारे में अन्य वकीलों से भी वार्ता कर प्रचलित दरों को मद्देनजर रखते हुए कुलपति महोदय को स्वविवेक से निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया। इस बारे में की गई प्रगति से प्रबन्ध मण्डल को आगामी बैठक में अवगत कराये जाने का निर्णय लिया गया।

30-25

वि.वि. की विभिन्न बैठकों में भाग लेने हेतु आन्तरिक सदस्यों को मानदेय देने के क्रम में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त वि.वि. में प्रचलित प्रक्रिया/नियमों के बारे में सूचना संकलित की जाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

---x---

33-3

दिनांक 25-5-96 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

~~~

वित्त समिति की 14वीं बैठक दिनांक 25.5.96 के कार्यवाही विवरण में लिए गये निर्णयों का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

---x---

33-4

विश्वविद्यालय में विभिन्न अकादमिक पदों पर चयन समिति द्वारा लिए गये साक्षात्कारों की अभिशंसाएं अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

~~~

बैठक में अध्यक्ष महोदय ने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर के विभिन्न पदों के लिए दिनांक 19.3.96, 20.3.96 एवं 21.3.96 को आयोजित साक्षात्कार में चयन समिति की अभिशंसाओं के बन्द लिफाफों को खोलकर निर्णयों की सूचना निम्नानुसार दी :-

1. प्रोफेसर (शिक्षा)

प्रोफेसर शिक्षा के पद के लिए 16 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था जिनमें से 10 अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुए थे। चयन समिति ने वरीयता क्रम से निम्न अभ्यर्थियों के चयन एवं नियुक्ति के लिए अभिशंसा की है :-

1. डा. सोहनवीर सिंह चौधरी
2. डा. प्रवात कुमार साहू

2. प्रोफेसर, अर्थशास्त्र

प्रोफेसर अर्थशास्त्र पद के लिए 12 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था जिनमें से 7 अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुए। चयन समिति ने डा. एल.एन. गुप्ता के चयन एवं नियुक्ति की अभिशंसा की और डा. गुप्ता का वेतन नियमानुसार निर्धारित करने एवं प्रोफेसर की वेतन श्रंखला में दो अग्रिम वेतन वृद्धियां देने की अभिशंसा की।

3. प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र

प्रोफेसर राजनीति शास्त्र पद के लिए 6 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था उनमें से 4 अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुए थे। चयन समिति ने उक्त पद को पुनः विज्ञापित करने की अभिशंसा की है।

4. प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान

प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान के पद के लिए 3 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था जिनमें से तीनों ही अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुए थे। चयन समिति ने तीनों ही अभ्यर्थियों को प्रोफेसर पद के लिए परिपक्व नहीं पाया है। अतः चयन समिति ने अभिशंसा की है कि कुलपति महादेय पद को भरे जाने की अतिआवश्यकता को देखते हुए उपयुक्त व्यक्ति की तलाश कर उसे सांविधिक आधार पर आमंत्रित/नियुक्त कर लेवें।

5. प्रोफेसर, प्रबन्ध

प्रोफेसर, प्रबन्ध के पद के लिए 6 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था जिनमें से 4 अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुए थे और इनमें से समिति ने डा. पी.के. शर्मा के चयन एवं नियुक्ति की
~~~

अभिशंषा की है।

6. सहायक प्रोफेसर, हिन्दी

सहायक प्रोफेसर हिन्दी के पद के लिए तीन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था उनमें से 3 अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुए थे। समिति ने इस पद को दुबारा विज्ञापित करने की अभिशंषा की है।

7. सहायक प्रोफेसर, प्रबन्ध

सहायक प्रोफेसर, प्रबन्ध के पद के लिए 21 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था उनमें से 14 अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुए थे। चयन समिति ने वरीयता क्रम से

1. डा. आर. के. जैन
2. श्री राजेश जैन

के चयन एवं नियुक्ति की अभिशंषा की है।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त पदों पर हुए साक्षात्कार पर चयन समिति की उपरोक्त अभिशंषाओं पर अनुमोदन प्रदान किया।

8. <u>सहायक प्रोफेसर आहार एवं पोषण</u>

अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि आहार एवं पोषण (Food & Nutrition) विषय में कोई भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया है।

33-5

माननीय कुलपति महोदय द्वारा विभिन्न समितियों के गठन का निर्णय- अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ

1. वि.वि. में कम्प्यूटर नैटवर्किंग के लिए प्रस्तावित निम्न समिति के गठन को प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन प्रदान किया और इस समिति में निदेशक, क्षेत्रीय सेवाओं को भी शामिल करने की अभिशंषा की। इस प्रकार अब इस समिति का गठन निम्नानुसार किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया :-

1.	डा. जनार्दन झा माम कुलपति, इ.गा.रा.मु.वि.वि. नई दिल्ली	–	अध्यक्ष
2.	डा. एम.एम. पन्त प्रोफेसर कम्प्यूटर साइंस इ.गा.रा.मु.वि.वि. नई दिल्ली	–	सदस्य
3.	डा. केंकर	–	सदस्य

निदेशक, कम्प्यूटर सेन्टर
जे.एन.यू., नई दिल्ली

4. प्रो. एस.एन. दुबे – सदस्य
निदेशक, वि.एवं तकनीकी
को.खु.वि.वि., कोटा

5. डा. आर.वी. व्यास – सदस्य
निदेशक, क्षेत्रीय सेवाए
को.खु.वि.वि., कोटा

2. स्टूडियों उपकरणों की संप्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तावित समिति के गठन का प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन किया और, इस समिति में प्रो. एम.डी. अग्रवाल को भी शामिल करने की अभिशंषा की। इस प्रकार अब इस समिति के निम्नानुसार गठन का अनुमोदन प्रदान किया :-

1. डा. बी. एस. भाटिया
ए.सी. सेन्टर, साक
अहमदाबाद।

2. डा. वी. रामाराव
संयुक्त निदेशक, संचार खण्ड
इ.गा.रा.मु.वि.वि., नई दिल्ली

3. प्रो. डी.सी. सुराणा
डीन फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

4. प्रो. एम.डी अग्रवाल
अध्यक्ष, वाणिज्य संकाय
को.खु.वि.वि., कोटा

5. डा. सी.बी. शर्मा
सहायक प्रोफेसर
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

---x---

33-6

पाठ्य सामग्री के मुद्रण कार्यों के लिए गठित मुद्रण सलाहकार समिति की उपसमिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ

~~~

पाठ्य सामग्री के मुद्रण कार्यों के लिए गठित सलाहकार समिति की उप समिति की बैठक दिनांक **19.4.96** के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।

---x---

33-7

मुद्रण सलाहकार समिति की उप समिति द्वारा पाठ्य सामग्री के
~~~

मुद्रण कार्यों के लिए प्रिंटिंग प्रेसों से किये जाने वाले करार (अनुबन्ध) के विषय में सिफारिशें अनुमोदनार्थ।

~~~

मुद्रण सलाहकार समिति की उप समिति द्वारा पाठ्य सामग्री के मुद्रण कार्यों के लिए प्रिंटिंग प्रेसों से किये जाने वाले करार (अनुबन्ध) के विषय में की गई सिफारिशों का अनुमोदन किया गया, परन्तु प्रो. एम.डी. अग्रवाल ने आपत्ति दर्ज करायी कि उप समिति की बजाय प्रबन्ध मण्डल द्वारा गठित मुदण सलाहकार समिति की बैठक हो और तब उसमें जो निर्णय लिए जावें वे ही अगली बार प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखे जावें।

---x---

33-8

(अ) डा. सी.बी. शर्मा, सहायक आचार्य (अंग्रेजी) को वरिष्ठ वेतनमान (3000-5000) के संशोधित आदेश अनुमोदनार्थ।

~~~

डा.सी.बी. शर्मा, सहायक आचार्य को आदेश क्रमांक 13887 दिनांक 25.1.96 द्वारा दिनांक 13.12.94 से वरिष्ठ वेतन श्रंखला के संशोधित आदेश का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।

---x--

(ब) डा. याकुब अली खान, सहायक आचार्य (इतिहास) को वरिष्ठ वेतनमान (3000-5000) के संशोधित आदेश अनुमोदनार्थ।

~~~

डा. याकुब अली खान, सहायक आचार्य (इतिहास) को आदेश क्रमांक 13889 दिनांक 25.1.96 के द्वारा 4.11.93 से दिये गये वरिष्ठ वेतन श्रंखला के संशोधित आदेश का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया ।

---x---

(स) डा. एच.बी. नन्दवाना, सहायक आचार्य (पुस्तकालय विज्ञान) को केरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के तहत दिनांक 1.1.94 के बजाय 31.12.93 से देने के संशोधित आदेश अनुमोदनार्थ।

~~~

डा. एच. बी. नन्दवाना सहायक आचार्य (पुस्तकालय विज्ञान) को आदेश क्रमांक 14617 दिनांक 9.4.96 द्वारा दिनांक 31.12.93 से दिये गये वरिष्ठ वेतन श्रंखला के संशोधित आदेश का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।

---x---

33-9

(अ) प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 14.10.88 में लिए गये निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा दशहरा एवं दीपावली पर अलग-अलग किये जाने वाले अवकाशों को एक ही बार

दीपावली पर किये जाने का निर्णय अनुमोदनार्थ।

~~~

भविष्य में 6 दिवस के विशेष अवकाशों को दशहरा या दीपावली पर एक ही बार करने के माननीय कुलपति महोदय के निर्णय का अनुमोदन किया गया ।

---x---

(ख) प्रबन्ध मण्डल के निर्णय दिनांक 14.10.88 की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदय के द्वारा वर्ष 1996 के लिए दीपावली पर 6 दिवस के विशेष अवकाश दिनांक 4 से 8 नवम्बर एवं 12 या 13 नवम्बर 96 तक करने के निर्णय का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।

---x---

(ग) राज्य सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक/ऐच्छिक अवकाशों को वि. वि. में भी यथावत लागू करने का निर्णण सूचनार्थ।

~~~

राज्य सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक/ऐच्छिक अवकाशों को वि. वि. में भी यथावत लागू करने के क्रम में जारी आदेश क्रमांक 7221 दिनांक 23.1.96 का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।

---x---

33-10

वर्ष 1988-89 एवं आगे के वर्षों के बी. एड. उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधियाँ भेजने से पूर्व उनके विरुद्ध बकाया राशि होने के उपरान्त भी अंक तालिकाएं भेज दिये जाने के प्रकरण की जांच एवं तत्संबंधी जांच हेतु प्रबन्ध मण्डल की एक उप समिति के गठन हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

~~~

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि बी. एड. पाठ्यक्रम में फीस जमा नहीं करवाने के मामलों के साथ ही साथ अन्य सभी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के बारे में भी उक्त जानकारी एकत्रित की जावें। प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि इस हेतु प्रबन्ध मण्डल की उप समिति के गठन की कोई आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। अतः माननीय कुलपति महोदय द्वारा ही अपने स्तर पर मामले में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया।

---x---

33-11

कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्री आर. [illegible] शर्मा, विशेषाधिकारी का कार्यकाल 4.3.96 से 21.[illegible] तक [illegible] बढ़ाये जाने का निर्णय अनुमोदनार्थ।
~~~

~~~

कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्री आर.एस. शर्मा, विशेषाधिकारी का कार्यकाल 4.3.96 से 21.7.96 तक और बढ़ाये जाने के निर्णय की सूचना ली गई। वि.वि. कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए कुलपति महोदय ने श्री शर्मा का कार्यकाल 3-4 महिने और सेविदा पर रखने की अनुमति चाही परन्तु दिनांक 21.7.96 के बाद श्री शर्मा की अवधि नहीं बढ़ाने का निर्णय प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया।

---x---

33-12

॥अ॥ माननीय कुलपति महोदय के दिनांक 12.1.96 के आदेशानुसार वि.वि. में अंकेक्षण (आडिट) कार्य हेतु आने वाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को परिवहन स्थानीय भत्ता (Local Conveyance) 15/-रु. से 25/- रु. किये जाने का मामला अनुमोदनार्थ ।

~~~

प्रबन्ध मण्डल द्वारा मामले का अनुमोदन किया गया।

---x---

॥ब॥ माननीय कुलपति महोदय द्वारा मैसर्स आर.एस. गांग एण्ड कम्पनी कोटा (Chartered Accountatns) द्वारा वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 के अंकेक्षण कार्य हेतु दिया जाने वाला पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं स्थानीय भत्ता के आदेश अनुमोदनार्थ।

~~~

प्रबन्ध मण्डल द्वारा मामले का अनुमोदन किया गया।

---x---

33-13

॥अ॥ कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने वि.वि. के विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदनों की पालना रिपोर्ट तैयार करने हेतु विशिष्ठ पालना प्रकोष्ठ के गठन का आदेश- सूचनार्थ।

~~~

माननीय कुलपति महोदय द्वारा विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदनों की पालना रिपोर्ट तैयार करने हेतु विशिष्ठ पालना प्रकोष्ठ के गठन के बारे में सूचना दी गई जिसका प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

---x---

॥ब॥ पैरा ॥अ॥ में वर्णित कार्यों को सम्पन्न करने में सहयोग हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्री बाल मुकुन्द, सेवा निवृत सहायक लेखाधिकारी ॥सहायक कोषाधिकारी॥ को सेवा निवृति के पश्चात उनके पुनर्नियोजन एवं उन्हें देय मानदेय का निर्णय - सूचनार्थ।

~~~

माननीय कुलपति महोदय द्वारा लिए गये उक्त निर्णय की प्रबन्ध मण्डल द्वारा सूचना ली गई एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

---x---

33-14

राज. वि. वि., जयपुर के अनुसार परीक्षा में आकस्मिक खर्चे (Contingency charges) प्रति विद्यार्थी एक रुपये के स्थान पर 4/- रु. प्रति विद्यार्थी दिये जाने का प्रस्ताव- अनुमोदनार्थ।

~~~

उक्त प्रस्ताव को फिलहाल वापिस लिया गया।

---x---

33-15

वि. वि. कर्मचारियों के द्वारा अतिरिक्त समय में किये गये कार्यों हेतु मानदेय (Overtime) निर्धारित करने हेतु गठित भटनागर समिति की अभिशंषाएं- अनुमोदनार्थ।

~~~

भटनागर समिति द्वार कर्मचारियों को अतिरिक्त समय में किये गये कार्यों हेतु मानदेय निर्धारण के लिए की गई अभिशंषाओं का प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन प्रदान किया। एवं साथ ही निर्देश प्रदान किये कि वि. वि. में अन्य कोई ऐसा आवश्यक एवं समयबद्ध कार्य बनता है जिसके लिए मानदेय दिया जाना प्रस्तावित होतो इस हेतु प्रो. एम. डी. अग्रवाल एवं सभी इकाई अध्यक्षों (क्षेत्रीय निदेशकों को शामिल करते हुए) से सुझाव मांगे जावें और उन पर भी समिति की राय प्राप्त की जाकर प्रबन्ध मण्डल को प्रस्तुत की जावें।

---x--

33-16

अन्य वि. विद्यालयों एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप ही इस वि. वि. में भी कार्यालय सहायक एवं अनुभागाधिकारी के पदों को शत प्रतिशत पदौन्नति से भरने का प्रावधान लागू किये जाने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं आज्ञार्थ।

~~~

प्रबन्ध मण्डल ने इस प्रकरण में निर्णय लिया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से भी पदौन्नति के बारे में वहाँ लागू प्रावधानों की सूचना मंगवाई जावे। और तदपश्चात मामला प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

---x---

33-17

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में एवं राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में शिक्षकों के कार्य समय एवं कार्यभार के बारे में पालना सुनिश्चित करने का मामला सूचनार्थ, अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

~~~

प्रबन्ध मण्डल ने इस मामले में निर्णय लिया कि न्यायालय का निर्णय परम्परागत विश्वविद्यालयों पर तो सीधे ही लागू होता है परन्तु मुक्त वि.वि. पर कैसे लागू होगा इस बारे में दूरस्थ शिक्षा के तरीकों को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय के निर्णय की पालना सुनिश्चित की जावें।

---x---

33-18

विभिन्न एकेडेमिक पदों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये रोस्टर संबंधी मार्गदर्शन एवं स्पष्टिकरण के अनुरूप आरक्षित/अनारक्षित किये जाने का प्रस्ताव- अनुमोदनार्थ।

~~~

विभिन्न एकेडेमिक पदों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये रोस्टर संबंधी मार्गदर्शन एवं स्पष्टिकरण के अनुरूप आरक्षित/अनारक्षित किये जाने के प्रस्ताव के बारे में प्रबन्ध मण्डल ने राज्य सरकार के इन पदों को आरक्षित/अनारक्षित करने से सम्बन्धित मार्गदर्शन, आदेश, परिपत्र एवं स्पष्टिकरण आदि के अध्ययन हेतु निम्न समिति का गठन किया गया :-

1. डा. करण सिंह यादव – संयोजक
   अधीक्षक,
   सवाई मानसिंह चिकित्सालय
   जयपुर
2. डा. एस.के. वर्मा – सदस्य
   सेवानिवृत प्राचार्य
   कोटा
3. प्रो. एम.डी. अग्रवाल – सदस्य
   विभागाध्यक्ष, वाणिज्य
   को.खु.वि.वि., कोटा

कुल सचिव इस समिति के कार्य में सहायता करेंगें। प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश प्रदान किये कि उक्त समिति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का अध्ययन करें और इस बारे में राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग एवं कार्मिक विभाग से भी सम्पर्क करें। समिति अपना प्रतिवेदन/अभिशंषाए अगले माह प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के सुचारू अध्ययन एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों से सम्पर्क करने के क्रम में समिति की बैठकें जयपुर में ही आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

---x---

33-19

माह जुलाई में प्रारम्भ होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के गोपनीय मुद्रण के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय से अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर ही उनके द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड प्रिंटिंग प्रेसों से कोटा खुला विश्वविद्यालय के उक्त मुद्रण हेतु अनुमोदित करने का मामला सूचनार्थ।

~~~

प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया

---x---

33-20

कोटा खुला विश्वविद्यालय में राजस्थान वि.वि. जयपुर और सुखाड़िया वि.वि. उदयपुर से स्थानान्तरित पाठ्यक्रमों के एवं वर्ष 1988 से अब तक पंजीकृत ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो किसी कारणवश पूर्व में परीक्षा में बैठने के अन्तिम अवसरों एवं इस वि.वि. द्वारा देय दो विशेष अवसरों का लाभ ले सकने के बाद भी असफल रहे थे या जो परीक्षा का लाभ ले ही नहीं सके थे उन्हें जून/जुलाई 1996 में आयोजित की जा रही विशेष परीक्षाओं में बैठने का अन्तिम अवसर दिये जाने का निर्णय अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

~~~

प्रबन्ध मण्डल ने उपरोक्त प्रकार के विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का अन्तिम अवसर दिये जाने के कुलपति महोदय के निर्णय पर अनुमोदन प्रदान किया। और यह भी निर्णय लिया कि यह अवसर अन्तिम ही होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में इसके बाद कोई अवसर ऐसे विद्यार्थियों को नहीं दिया जाना चाहिए।

---x---

टेबल आइटम
<u>(बैठक के दौहरान पटल पर रखे गये विचारणीय बिन्दु)</u>

33-21

प्रो. एम.डी. अग्रवाल द्वारा शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए ग्रीष्मावकाश के बारे में रखे गये बिन्दु के बारे में।

~~~

प्रबन्ध मण्डल ने प्रो. एम.डी. अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किये शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए ग्रीष्मावकाश के बिन्दु के बारे में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त वि.वि., नई दिल्ली में प्रचलित परिपाटी के अनुसार अध्ययन करने एवं तद्नुसार कोटा खुला वि.वि. के लिए भी इस बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्न समिति का गठन किया गया :-

1. डा. जनार्दन झा – अध्यक्ष
~~~

समकुलपति
इ.गा.रा.मु.वि.वि.
नई दिल्ली

2. डा. एस. के. वर्मा — सदस्य
सेवा निवृत्त प्राचार्य
कोटा

3. डा. (श्रीमति) अमृत वालिया — सदस्य
निदेशिका, क्षे.के.
को.खु.वि.वि., जयपुर

प्रबन्ध मण्डल ने यही भी निर्णय लिया कि समिति अपनी बैठक कोटा में आयोजित करे एवं शीघ्र अपनी प्रतिवेदन कुलपति महोदय को प्रस्तुत करें।

---x---

33-22

विश्वविद्यालय में विभिन्न स्कूलों की स्थापना।

~~~

प्रो. एम.डी. अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत विभिन्न स्कूलों की स्थापना के बिन्दु पर प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि मामले का विस्तृत अध्ययन कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

---x---

33-23

डा. के.के. खेतान निदेशक की कार्य से अनुपस्थिति के बारे में।

~~~

डा. के.के. खेतान, निदेशक की अपने कार्य से नियमों के प्रतिकूल तरीके से अनुपस्थित रहने के मामले में प्रबन्ध मण्डल ने माननीय कुलपति महोदय को डा. खेतान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया।

---x---

33-24

पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण का नाम बदल कर योजना, उत्पादन एवं वितरण विभाग किये जाने का माननीय कुलपति महोदय का निर्णय- सूचनार्थ।

~~~

पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग का नाम यथावत रखने का निर्णय प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया और यह भी निर्णय लिया गया
~~~

कि योजना एवं विकास विभाग से सम्बन्धित कार्य सीधे ही कुलपति सचिवालय में सम्पादित किया जावे।

यह भी निर्णय लिया गया कि पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग के निदेशक का पद रिक्त होने के कारण की गई वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्यरत अधिकारी निदेशक पद नाम का उपयोग न करके प्रभारी अधिकारी के पदनाम का उपयोग करेगें।

कुलपति महोदय ने यह अवगत कराया कि निदेशक के पद को शीघ्र भरने हेतु विज्ञापन दिया जावेगा।

---x---

आसन को सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

सचिव
प्रबन्ध मण्डल
एवं
कुलसचिव
को.खु.वि.वि., कोटा

Yes approved
3/6/96

अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल
एवं
कुलपति
को.खु.वि.वि., कोटा

15

कोटा खुला विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 34 वीं (आपातकालीन) बैठक क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा खुला विश्वविद्यालय, वाणिज्य महाविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर दिनांक 30 अगस्त, 1996

कार्यविवरण

प्रबन्ध मण्डल की 26 वीं (आपातकालीन) बैठक दिनांक 22 अप्रैल, 1995 में यह निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय की 1993 की बी0एड0 परीक्षाओं की पुनर्गणना के मामले में हुई गंभीर अनियमितताओं की जॉच कुलसचिव सम्बद्ध सेवा अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कर अपना प्रतिवेदन तथा कार्यवाही के सुझाव सीधे ही प्रबन्ध मण्डल को प्रस्तुत करेंगे। उक्त निर्णय की अनुपालना में कुलसचिव द्वारा सम्पन्न की गई विभागीय जॉच के विस्तृत प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए दिनांक 30 अप्रैल, 1996 को दोपहर 2.00 बजे कोटा खुला विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की आपातकालीन बैठक कॉमर्स कॉलेज परिसर, जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित की गई। कुलपति प्रो0 डी0एस0 शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. प्रो0 जनार्दन झा, (समकुलपति उत्पादन, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली) — सदस्य
2. प्रो0 एम0डी0 अग्रवाल (प्रो0 अर्थशास्त्र विभाग, कोटा खुला विश्वविद्यालय) — सदस्य
3. डॉ0 आर0वी0 व्यास (निदेशक, क्षेत्रीय सेवाऐं, कोटा खुला विश्वविद्यालय) — सदस्य
4. श्रीमती डॉ0 अमृत वालिया (क्षेत्रीय निदेशक, जयपुर) — सदस्य
5. श्री डी0बी0 गुप्ता (विशिष्ट शासन सचिव, (वित्त) वित्त सचिव राज0 जयपुर के नामांकित प्रतिनिधि) — सदस्य
6. श्री हेमन्त शेष, (कुलसचिव) — सचिव
7. श्री के0पी0 गर्ग (वित्त अधिकारी) — विशेष आमंत्रित

क्रमश--2

किसी कारणवश निम्नांकित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके:-

1. श्री अनिल वैश्य (उच्च शिक्षा सचिव, राजस्थान शासन, जयपुर)
2. डॉ0 एस0 के0 वर्मा, कोटा
3. डॉ0 के0 एस0 यादव, जयपुर

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों के स्वागत के पश्चात् कुलसचिव ने उपस्थित सदस्यों को (गोपनीय) जाँच प्रतिवेदन की प्रतियाँ उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन के मुख्य तथ्यों और निष्कर्षों से अवगत कराया। मण्डल ने प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विस्तृत विचार विमर्श किया और निम्न निर्देश सर्वसम्मति से प्रदान किए:-

1. मामले की गम्भीरता को देखते हुए सम्पूर्ण अभिलेख सहित प्रकरण राज्य अन्वेषण ब्यूरो (आर.एस.बी.आई.) जयपुर को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि जाँच में दोषी पाए गऐ व्यक्तियों और श्री बी.एस. मीणा तथा श्री मान प्रकाश के विरुद्ध अभियोग दर्ज कराये जा सकें। जिन-जिन व्यक्तियों को आरोप पत्र दिऐ गए थे उनके अलावा भी कुछ अन्यों की प्रत्यक्ष या परोक्ष संलग्नता इस अनियमितता में हो सकनी आशंकित है, इसलिए व्यक्तिशः विश्वविद्यालय की ओर से राज्य अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर को यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि वह विश्वविद्यालय के किसी भी पूर्व और वर्तमान अधिकारी और कर्मचारी से न्याय हित में पूछताछ कर सकता है।

2. जिन 24 छात्रों से इस अनियमितता का सम्बन्ध है, उनके नाम, पते आदि सहित मामले का समस्त अभिलेख राज्य अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया जाए किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे गऐ प्रत्येक अभिलेख की फोटो प्रति सत्यापित कर अपने पास रखे।

3. राज्य अन्वेषण ब्यूरो को अग्रिम जाँच के लिए 'टर्म ऑफ रेफ़रेन्स' अलग से इस विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाएँ। यह कार्यवाही कुलसचिव, कुलपति महोदय, के निर्देश एवं पूर्व स्वीकृति के आधार पर करेंगे।

4. श्री मान प्रकाश शर्मा, कार्यालय सहायक, जिनके विरुद्ध जाँच में लगाऐ गऐ आरोप सही साबित हुए हैं, को विश्वविद्यालय सेवा से बर्खास्त (डिसमिस) करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाए और उन्हें सम्बन्धित

क्रमशः--3

15

सेवा प्रावधानों के तहत इसी मंशा का " कारण बताओ" नोटिस जारी किया जाए। इसके साथ ही उन्हें मुख्यालय पर रखकर वर्तमान पद से निलम्बित भी किया जाए।

5. श्री बी0एस0 मीणा के विरुद्ध विश्वविद्यालय की जाँच में सिद्ध हुए आरोपों के बाद, प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार प्रकरण, राज्य अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा जा रहा है, उसके विषय में भी आवश्यक जानकारियाँ उनके वर्तमान विभागाध्यक्ष- निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को भी लिखित में भेजते हुए, सूचना दी जाए। कार्मिक विभाग को भी इस बाबत अवगत कराया जाए।

6. उन 24 विद्यार्थियों को, जिन्हें अनुचित रूप से अंक बढ़ाकर लाभ पहुँचाया गया है, उन्हें भविष्य में कोई प्रोविजनल प्रमाण-पत्र/डिग्री या माइग्रेशन प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाए। ब्यूरो की जाँच पूरी होने पर यथा समय, उनकी डिग्री निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार की जाए।

7. श्री बसंत जैन तथा श्री सतीश ~~शर्मा~~ को जाँच-अधिकारी के समक्ष तथ्यों को छिपाकर गलत बयान देने के आरोप में, विश्वविद्यालय के सेवा अधिनियम के तहत अलग अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु नोटिस, कुलसचिव स्तर से दिया जाए।

8. श्री बसंत जैन एवं श्री सतीश ~~शर्मा~~ को परीक्षा विभाग में भविष्य में पदस्थापित नहीं किया जाए।

9. इस प्रकार की गम्भीर अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए परीक्षा-प्रक्रिया का अध्ययन कर इसमें हो सकने वाले परिवर्तनों के सुझाव देने के लिए दो शिक्षाविदों की समिति गठित की जाए। जिसमें में निम्नांकित दो सदस्य होंगे:-

1. डॉ0 डी0सी0 पंत, निदेशक मूल्यांकन, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
2. डॉ0 आर0एस0 शर्मा, पूर्व परीक्षा-नियन्त्रक/सेवा निवृत्त कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

क्रमश-4

यह समिति, कोटा खुला विश्वविद्यालय की परीक्षा-व्यवस्था, मूल्यांकन-प्रक्रिया आदि का विस्तृत अध्ययन कर यह भी पता लगाएगी कि वर्तमान परीक्षा व्यवस्था में क्या-क्या ऐसे दोष हैं जिनके कारण ऐसी ही अनियमितताएँ हो सकती हैं। परीक्षा-प्रक्रिया में क्या क्या संरचनामूलक, प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक संशोधन अपेक्षित हैं ताकि ऐसी घटनाओं की रोकथाम की जा सके। इस सम्बन्ध में समिति आगामी तीन महीनों में अपनी लिखित रिपोर्ट कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी। डॉ० राधेश्याम शर्मा, पूर्व परीक्षा नियन्त्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को इस कार्य के लिए, जो भी सम्मानजनक पारिश्रमिक देय होगा, उनका निश्चय और निर्धारण कुलपति जी करेंगें। समिति को यथा आवश्यकता उचित सेक्रेटेरियल सहयोग भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।

10. जाँच- अधिकारी की जाँच-रिपोर्ट के अन्तर्गत दिऐ गए अन्य सुझावों पर यथाशीघ्र कार्यवाही अमल में लाई जाए। इसकी पूर्ण जानकारी प्रबन्ध मण्डल को प्रेषित की जाए।

11. जाँच में डॉ० आर०एल० शर्मा, श्री मनोज माथुर तथा श्री नरेश गोयल के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के सिद्ध न होने की तत्सम्बन्धी सूचना उन्हें नियमानुसार दी जाए।

तत्पश्चात् आसन को धन्यवाद-ज्ञापन के बाद यह बैठक सम्पन्न हुई।

(हेमन्त शेष)
कुलसचिव

Approved
7/9/96

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)

प्रबन्ध मण्डल की 35 वीं बैठक दिनांक 31-10-1996 का कार्यवाही विवरण

कोटा खुला विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल की 35 वीं बैठक दिनांक 31-10-1996 (गुरुवार) को प्रात: 11.00 बजे समिति कक्ष, कुलपति सचिवालय, कोटा खुला विश्वविद्यालय नवीन परिसर, रावतभाटा रोड़, कोटा में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्नांकित आमंत्रित सदस्य उपस्थित हुये:-

1.	प्रो. बी.एस. शर्मा कुलपति, कोटा खुला विश्वविद्यालय ,कोटा।	अध्यक्ष
2.	प्रो. जनार्दन झा सम-कुलपति, इं.गॉ.रा.मु.वि.वि., नई दिल्ली।	सदस्य
3.	प्रो. एच.एस. महला प्रोफेसर ग्रामीण विकास, इ.च.मा.लो.प्र.सं., जयपुर	सदस्य
4.	डॉ. एस.के. वर्मा सेवा निवृत प्राचार्य, कोटा	सदस्य
5.	प्रो. एम.डी. अग्रवाल प्रोफेसर, वाणिज्य, को.खु.वि.वि., कोटा	सदस्य
6.	डॉ. आर.वी. व्यास निदेशक, क्षेत्रीय सेवाऐं, को.खु.वि.वि., कोटा	सदस्य
7.	डॉ. (श्रीमती) अमृत वालिया निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, को.खु.वि.वि., जयपुर	सदस्य
8.	श्री के.पी. गर्ग वित्त अधिकारी, को.खु.वि.वि., कोटा	विशिष्ट अतिथि
9.	श्री डी.डी. चारण कुलसचिव, को.खु.वि.वि., कोटा	सचिव, प्रबन्ध मण्डल

क्रमश: -2

दो सदस्य डॉ. आदर्श किशोर सक्सैना, वित्त सचिव एवं श्री अनिल वैश्य, शासन सचिव उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर की उपस्थिति बैठक में संभव नहीं हो सकी।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय (कुलपति) द्वारा उपस्थित सदस्यों का प्रबन्ध मण्डल की 35 वीं बैठक में अभिनन्दन किया गया। प्रबन्ध मण्डल के पूर्व सदस्य डॉ. करण सिंह यादव की मूल्यवान सेवाओं की सराहना करते हुए धन्यवाद पारित किया। अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के नव-आगन्तुक सदस्य प्रो. एच.एस. महला, प्रोफे0-ग्रामीण विकास, ह.च.मा.रा.लो.प्र.सं., जयपुर का परिचय दिया और उनका स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की कि प्रो. महला की प्रबन्ध मण्डल में उपस्थिति विश्वविद्यालय की गतिविधियों के संचालन और योजनाओं की क्रियान्विति में सहायक सिद्ध होगी। प्रबन्ध मण्डल के भूतपूर्व सचिव श्री हेमन्त शेष की विश्वविद्यालय के लिए सेवाओं और योगदान की प्रशंसा की जाकर इनको रिकार्ड पर लिखे जाने का निश्चय लिया । साथ ही अध्यक्ष महोदय ने नये कुलसचिव तथा सचिव, प्रबन्ध मण्डल श्री डी.डी. चारण का परिचय करवाया।

तदुपरान्त कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

बिन्दु संख्या-35/1

प्रबन्ध मण्डल की 33 वीं बैठक दिनांक 30.5.1996 एवं 34 वीं बैठक (आपातकालीन) बैठक दिनांक 30-08-1996 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करना।

इस बिन्दु पर चर्चा प्रारम्भ करते हुए प्रो. एम.डी. अग्रवाल ने चयन के मामले सहित प्रबन्ध मण्डल की बैठक के कार्यवाही विवरण के अस्पष्टिकरण पर कुछ आक्षेप करते हुए निम्नलिखित मुद्दे उठाये :-

1: उन्होंने प्रबन्ध मण्डल के निश्चयों पर की जाने वाली कार्यवाही के अपूर्ण विवरण पर असंतोष प्रकट किया। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने बताया कि किन्हीं कारणों से पूर्व बैठक में यह विवरण नहीं लाया जा सका था परन्तु इस बैठक में जो कार्यवाही हो सकी , इसका विवरण उपलब्ध है।

क्रमशः -3

2. दूसरा, प्रोफेसर अग्रवाल ने 33वीं बैठक के रिपोर्टिंग में बिन्दु 33/4 में यह जोड़ने का आग्रह किया कि ""प्रो. एम.डी. अग्रवाल ने जानना चाहा कि क्या प्रस्तावित नियुक्तियाँ 1974 अधिनियम के प्रावधान के अनुसार की गई है एवं आवश्यक पात्रता रखने वाले अभ्यार्थियों को ही बुलाया गया है।"" इसके प्रत्युत्तर में अध्यक्ष महोदय ने बताया कि समस्त कार्यवाही नियमानुसार की गई है । अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि इस सम्बन्ध में कुछ अध्यापकों द्वारा कुलाधिपति जी को भी रिप्रजेन्टेशन भेजा था जिसका उत्तर कुलाधिपति जी को भिजवा दिया गया था, जो यहाँ प्रस्तुत है और इस में कोई भी प्रावधानों की अनदेखी नहीं हुई है । कुलाधिपति जी को भेजे गऐ उत्तर से राज्य सरकार को भी अवगत करवा दिया गया था । इस सम्बन्ध में इसे सम्यक् रूप से कार्यवाही विवरण में अंकित करने का निर्णय अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार कर लिया ।

3. तीसरा, प्रो. एम.डी. अग्रवाल ने बिन्दु संख्या 33/6 का उल्लेख करते हुए यह सुझाव दिया कि मुद्रण सलाहकार समिति की उप-समिति की बैठकों के निर्णय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष तब ही लाऐ जाने चाहिए, जब पूर्ण सलाहकार समिति की बैठक में उसका अनुमोदन हो गया हो । इस निश्चय पर बिन्दु संख्या 33/1 में भी उल्लेख हो चुका है । अध्यक्ष जी ने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया ।

इस प्रकार 34वीं(आपातकालीन बैठक) के कार्यवाही विवरण जिल्द-4, पृष्ठ-21 में अंकित ""कारण बताओ नोटिस"" पर कुलसचिव ने प्रबन्ध मण्डल को स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया । पूर्णतया विचार करने के उपरान्त अधिनियम की धारा 17.2 में अभिप्रेत होने के कुलसचिव के संशोधन को स्वीकार किया गया ।

इस प्रकार उपरोक्त संशोधनों के साथ 33वीं एवं 34वीं बैठकों के कार्यवाही विवरण पर प्रबन्ध मण्डल ने पुष्टि प्रदान कर दी ।

<u>बिन्दु संख्या 35/2</u>
प्रबन्ध मण्डल की पूर्व 33वीं एवं 34वीं बैठकों के निर्णयों की क्रियान्विति की अनुपालना रिपोर्ट सूचनार्थ ।

क्रमशः-4

(अ) प्रबन्ध मण्डल की 33वीं बैठक की कार्यवाही पर की गई पालना के विवरण को नोट किया गया एवं मुद्रण सलाहकार समिति की बैठक को शीघ्र आहूत करने की कार्यवाही के निर्देश दिऐ गऐ।

बिन्दु संख्या 33/21 शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए ग्रीष्मावकाश के बिन्दु के अध्ययन हेतु गठित समिति की बैठक शीघ्र बुलाऐ जाने की कार्यवाही की जाऐ।

बिन्दु संख्या 33/24 पालना न किऐ जाने के कारण बताऐ जावें।

(ब) 34वीं (आपातकालीन) बैठक के निर्णयों की पालना रिपोर्ट पर टिप्पणी।

34वीं बैठक के निर्णयों पर कार्यवाही इस बैठक के बाद होगी। निश्चयों की प्रकृति को देखते हुए और कानूनी दृष्टि से कार्यवाही विवरण की पालना प्रबन्ध मण्डल के औपचारिक अनुमोदन उपरान्त उचित समझी गई है एवं अनुमोदन आज ही हुआ है।

बिन्दु संख्या 35/3

दिनांक 30-10-96 एवं 11-10-1996 को सम्पन्न वित्त समिति की बैठकों के कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विचार-विमर्शोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा उस पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही को भी वित्त समिति की बैठक के साथ लाया जाए। 16वीं आपातकालीन वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण तो वित्त समिति द्वारा अनुमोदित थे परन्तु 17वीं वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदित नहीं थे, परन्तु अध्यक्ष महोदय ने बताया कि प्रथा स्वरूप ऐसा होता आया है।

अतः उक्त पुनर्विचार के बाद यह निर्णय लिया गया कि आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में वित्त समिति की 16वीं एवं 17 वीं बैठकों के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु पुनः रखे जावें।

क्रमशः-5

बिन्दु संख्या 35/4

दिनांक 27-8-1996 को सम्पन्न 13वीं आपातकालीन एवं दिनांक 07-10-1996 को सम्पन्न 14वीं विद्या परिषद की बैठकों के कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रो. एम.डी. अग्रवाल ने अवगत कराया कि विद्या परिषद के निर्णयों के अनुसार पेनल की सूची विद्या परिषद के कार्यवाही विवरण के साथ भेजनी थी परन्तु नहीं भेजी और न ही प्रबन्ध मण्डल के बैठक-एजेन्डा के साथ लगाई गई। इस पर कुलपति महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के समक्ष कुछ मूल्यतावादी तथ्य रखे और उनको देखते हुए प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों ने यह उचित समझा की विशेषज्ञ पेनल विद्या परिषद के समक्ष विभागाध्यक्ष द्वारा ही तैयार करने के बाद आते है और विद्या परिषद में उसकी कई प्रतियाँ रखी जाती हैं । कोई भी सदस्य इन्हें देखना चाहे तो देख सकता है । सामान्यतया यह प्रतियाँ जन प्रसारण के लिए नहीं रखी जानी चाहिए । सभी सदस्यों ने सर्व-सम्मति से कुलपति के इस कथन का अनुमोदन किया । इस प्रकार की सूचनाऐं जन प्रसारण में नहीं रखी जानी चाहिए और जो अभी भी नहीं रखी गई है । इसको सही मर्यादावादी निश्चय बताया। सब ने सर्व-सम्मति से इसे उचित ठहराया परन्तु प्रो. अग्रवाल ने अपनी असहमति व्यक्त की । प्रबन्ध मण्डल ने प्रो. अग्रवाल के असहमति व्यक्त के साथ यह अनुमोदन भी दिया कि विशेषज्ञ पेनल सूची भेजना आवश्यक नहीं है।

बिन्दु संख्या 35/5

प्रबन्ध मण्डल की 33वीं बैठक में लिऐ गऐ निर्णय के अनुक्रम में कम्प्यूटर नेटवर्किंग के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

कम्प्यूटर नेटवर्किंग के लिए गठित समिति के प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया । प्रबन्ध मण्डल ने यह भी चाहा की इस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जावें।

बिन्दु संख्या 35/6

प्रबन्ध मण्डल के एक सदस्य का विश्वविद्यालय के आयोजना मण्डल के सदस्य के लिए मनोनयन करने हेतु निर्णयार्थ।

कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के स्टेच्यूट्स के क्रम में विश्वविद्यालय के आयोजना मण्डल के लिए प्रबन्ध मण्डल के सदस्य डॉ. एस.के. वर्मा का मनोनयन प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया गया।

क्रमशः-6

बिन्दु संख्या 35/7
विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी के पद पर श्री के.पी. गर्ग, सेवा निवृत मुख्य लेखाधिकारी की पुनर्नियुक्ति अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति द्वारा श्री के.पी. गर्ग की एक वर्ष के लिए नियुक्ति के निश्चय का अनुमोदन किया और यह भी चाहा कि इनके वेतन स्थरीकरण के बारे में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए और उसके उपरान्त इनका वेतन स्थरीकरण किया जाए।

बिन्दु संख्या 35/8
तेहरान में आयोजित ऐशियाई मुक्त विश्वविद्यालय संगठन के 10वें सम्मेलन में कोटा खुला विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व हेतु माननीय कुलपति महोदय के जाने का मामला विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

उपरोक्त बिन्दु पर चर्चा प्रारम्भ करते हुए प्रो. एम.डी. अग्रवाल ने जानना चाहा कि कुलपति महोदय यहाँ आने के बाद तीसरे सम्मेलन/सेमीनार में जा रहे है । क्या यह नीति अन्य शैक्षणिक कर्मियों के मामले में भी अपनायी जावेगी । साथ ही, उन्होंने प्रबन्ध मण्डल के पूर्व निर्णय का उल्लेख करते हुए जाहिर किया कि यात्रा की मात्र पचास प्रतिशत राशि ही दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त की जा सकती है तथा तीन साल में एक बार ही सम्मेलन/सेमीनार में विदेश जाने की सुविधा देय है। इसके सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कुलपति महोदय तथा अन्य सदस्यों ने बताया कि अध्यापकों से सम्बन्धित नियम कुलपतियों पर लागू नहीं होते है तथा परम्परा व नियमानुसार अन-असाईन्ड अनुदान में से कुलपतियों को शत-प्रतिशत दिया जाता है, जैसी कि स्वीकृति दूरस्थ शिक्षा परिषद ने कुलपतियों के लिये दी है । कुलपति जी ने यह भी बताया कि वे सेमीनार में नहीं गये हैं । जहाँ भी गये हैं, वे सम्मेलन मुख्य रूप से कुलपतियों के लिये विशेष रहे हैं । तदुपरान्त, प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति के तेहरान जाकर 10वें वार्षिक ऐशियाई मुक्त विश्वविद्यालय सम्मेलन में भाग लेने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की और इसका अनुमोदन किया।

बिन्दु संख्या 35/9
विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार से सम्बन्धित चयन समितियों की अभिसंशाओं पर विचार विमर्श एवं अनुमोदनार्थ।

-7-

क्रमशः -7

इस बिन्दु में चर्चा से पूर्व कुलपति जी ने यह उल्लेख किया कि चयन समितियों की बैठकें दिनांक **28-10-1996, 29-10-1996** तथा दिनांक **30-10-1996** को सम्पन्न हुई, जिनमें क्रमशः उप कुलसचिव, निदेशक:योजना विकास एवं पा.सा. उ. एवं वितरण: तथा परीक्षा नियन्त्रक के साक्षात्कार हुए हैं । साक्षात्कार के लिफाफे खोलने से पूर्व एक सदस्य ने जानना चाहा कि क्या विशेषकर निदेशक :योजना विकास एवं पा.सा.उ.एवं वि.: का चयन प्रकरण **1974** के अधिनियम के अन्तर्गत हुआ है तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति :विशेषज्ञों पेनल के नाम: प्रबन्ध मण्डल से पूर्व में स्वीकृत है ? इसके उत्तर में अध्यक्ष महोदय ने आश्वस्त किया कि समस्त कार्यवाही नियमानुसार की गई है । उन्होंने यह भी बताया कि निदेशक:योजना, विकास एवं पा.सा.उ एवं वि.: का पद **1974** के अधिनियम में उद्धृत नहीं है । इसके सम्बन्ध में जो चयन समिति का गठन हुआ है और होता रहा है, वह प्रबन्ध मण्डल के विशिष्ट आदेशों के आधार पर हुआ है और उसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं किया गया है। कुलपति जी ने यह भी बताया कि विशेषज्ञों का मनोनयन कुलपति के अधिकार क्षेत्र में है और चूंकि यह अधिकार कुलपति जी को प्रबन्ध मण्डल ने दिया है और यदि सुझाव यह है कि इनकी पूर्व स्वीकृति ली जाए तो भविष्य के लिए कुलपति इस सुझाव से सहमत हैं। तदोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने लिफाफे खोलकर सिफारिशों पर विचार करने का कार्य प्रारम्भ किया :-

:अ: दिनांक **28-10-1996** को सम्पन्न हुई चयन समिति :उप कुलसचिवों के पदों हेतु: की अभिशंसाओं के लिफाफे खोलने से पहले कुलपति जी ने बताया कि उप कुलसचिव के 3 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था, जिनमें, एक पद अनुसूचित जाति, एक पद अनुसूचित जन-जाति और एक पद सामान्य के लिए है। कुलपति जी ने यह भी बताया कि सामान्य पद के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश है कि चयन समिति का प्रकरण जारी रहे और चयन समिति की सिफारिश को घोषित नहीं किया जाए। इस तथ्य को देखते हुए प्रबन्ध मण्डल ने यह निश्चय किया है कि उप कुलसचिव-सामान्य वर्ग का लिफाफा न्यायालय के निर्देशों के क्रम में नहीं खोला जाए और केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति वर्ग से सम्बन्धित जो पद हैं, उसके सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा जो सिफारिश है, उनके लिफाफे खोले जाए। इस आधार पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन- जाति से सम्बन्धित चयन समिति का लिफाफा खोला गया ।

8

क्रमशः - 8

लिफाफा खोलकर कुलपति जी ने प्रबन्ध मण्डल को बताया इस चयन समिति में कुल 5 सदस्य थे, जिनमें कुलपति जी के अलावा डॉ. एस.के. वर्मा, डॉ. ॅश्रीमतीॅ एस.के. आसोपा, डॉ. एस.डी. मिश्रा एवं डॉ. एस.के. गॉधी सम कुलपति ई.गॉ.रा.मु.वि.वि. थे। डॉ. एस.के. गॉधी विशेषज्ञ के रूप में थे । चयन समिति की सिफारिश का ऑपरेटिव भाग प्रबन्ध मण्डल के समक्ष पढ़ा गया, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

Name of the candidate	Remarks about salary etc.
1. S.T. Category	
Nobody found suitable	
2.S.C. ,Category	
1:Sh. Nathulal Chandak To be appointed (recommended)	His basic pay to be fixed on the basis of the fact his present basic+D.A. should be equal to basic pay & allowance in the K.O.U. on his joining date.
Reserve	
2:Sh.Kanhaiya Lal Mahawar	As per rules

:ब: दिनांक 29-10-1996 को सम्पन्न चयन समिति की बैठक निदेशक योजना विकास एवं पा.सा.उ. एवं वितरण के पद के साक्षात्कार से सम्बन्धित हुई । कुलपति जी ने बताया इस समिति में कुल 7 सदस्य थे जिसके अन्तर्गत कुलपति जी अध्यक्ष, डॉ.एस.के.वर्मा सदस्य, डॉ. ॅश्रीमतीॅएस.के.आसोपा तथा डॉ. एस.डी.मिश्रा सदस्य के रूप में थे । इन चारों के अतिरिक्त तीन विशेषज्ञ थे, जिनके नाम इस प्रकार है ॅ1ॅ डॉ.एच.पी. दीक्षित, कुलपति मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय, भोपाल ॅ2ॅ प्रो. श्याम जी दुबे, मुद्रण सलाहकार ॅ3ॅ डॉ. जी.डी. शर्मा, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग । चयन समिति सिफारिश का ऑपरेटिव भाग को पढ़कर सुनाया, जो निम्नानुसार है :-

क्रमश:-9

आवेदकों से सम्बन्धित उपलब्ध पत्रावली के मूल्यांकन एवं साक्षात्कार में योग्यता प्रदर्शित के आधार पर चयन समिति नियुक्ति सम्बन्धी निम्नांकित सिफारिश देती है :-

नियुक्ति योग्य व्यक्ति का नाम	विशेष टिप्पणी

The Selection Committee recommends none to be appointed and post be readvertised, keeping in view the specific requirements for material production and distribution.

(स) दिनांक 30-10-1996 को सम्पन्न चयन समिति की बैठक परीक्षा नियन्त्रक के पद के साक्षात्कार से सम्बन्धित हुई जिसमें कुल 5 सदस्य थे। इसमें कुलपति जी अध्यक्ष , डॉ. डी.पी. पंत, निदेशक, इ.एस.आर.,ई.गॉ.रा.मु.वि.वि. विशेषज्ञ के रूप में थे। डॉ. पंत के अलावा डॉ.एस.के. वर्मा, डॉ. (श्रीमती) एम.के. आसोपा व डॉ. एस.के. मिश्रा सदस्य के रूप में थे। समिति की सिफारिशों का ऑपरेटिव भाग जो पढ़कर सुनाया गया, निम्नांकित है:-

आवेदकों से सम्बन्धित उपलब्ध पत्रावली के मूल्यांकन एवं साक्षात्कार में योग्यता प्रदर्शित के आधार पर चयन समिति नियुक्ति सम्बन्धी निम्नांकित सिफारिश देती है :-

नियुक्ति योग्य व्यक्ति का नाम	विशेष टिप्पणी
1. Dr. K.K. Rai	Salary as per rules
2. Sh. Kalyan Mal Lodha (Reserve)	Salary as per rules

प्रबन्ध मण्डल ने उपरोक्त चयन समितियों की सिफारिशों का अनुमोदन किया और नियुक्ति हेतु आदेश दिया।

<u>बिन्दु संख्या 35/10</u>
कोटा खुला विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षान्त समारोह से सम्बन्धित कार्यवाही सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

मद विवरणानुसार कुलपति जी ने प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को सारी कार्यवाही से पूर्णतया परिचित करवाया। इस पर प्रबन्ध मण्डल ने बहुत संतोष व हर्ष व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय अब द्वितीय दीक्षान्त समारोह फरवरी, 1997 में कर रहा है । प्रबन्ध मण्डल ने इस पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि सर जोन डेनीयल, कुलपति, दी ओपन यूनिवर्सिटी, वेल्टन हाल, मिल्टन केयन्स, एम.के., 6एए, यू.के. ने द्वितीय दीक्षान्त समारोह में दीक्षान्त भाषण करने की अनुमति प्रदान कर चुके हैं । कुलाधिपति जी ने भी इसकी स्वीकृति देकर दिनांक 15 फरवरी, 1997 की तिथि निश्चित कर दी है । मद के विवरण में दिऐ गऐ तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्शोपरान्त यह निश्चय किया कि सर जोन डेनीयल हमारे अतिथि हैं । उनके आने का समस्त व्यय विश्वविद्यालय को ही करना चाहिए। प्रबन्ध मण्डल ने सर जोन डेनीयल का आभार प्रकट किया । प्रबन्ध मण्डल ने इच्छा जाहिर की कि कोटा खुला विश्वविद्यालय उनकी इस भावना का आदर करता है और उन्हें धन्यवाद भी देता है। प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय प्रशासन से यह चाहा है कि यह बात सर जोन डेनियल को पहुंचाई जाए । उनकी स्थानीय यात्रा तथा स्थानीय गेडमान-गिरी के खर्चे के अलावा, जो उनकी अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा लंदन से दिल्ली:आने-जाने: का पूर्ण व्यय कोटा खुला विश्वविद्यालय उठायेगा । जैसा उन्होनें लिखा है कि उनकी यात्रा का खर्च लगभग 950 ब्रिटिश पाउण्ड ßभारतीय रुपयों में लगभग 53000/- अक्षरे तिरेपन हजारß के बराबर है, यह पूर्ण राशि कोटा खुला विश्वविद्यालय द्वारा व्यय की जावेगी। प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निश्चय लिया है कि धन्यवाद सहित यह सूचना सर जोन डेनीयल को भी प्रेषित की जाए। साथ ही प्रबन्ध मण्डल ने चाहा, चूंकि वे सेमीनार में भी सहभागी होंगे और जैसा कुलपति जी ने दूरस्थ शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष से वार्तालाप की है, प्रयास होना चाहिये कि दूरस्थ शिक्षा परिषद् से सेमीनार मद से आधे व्यय की अनुमति ली जाय ।

बिन्दु संख्या 35/11

विश्वविद्यालय में स्टूडियों उपकरणों की सम्प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु तथा स्टूडियों के सुचारु रुप से कार्य करने सम्बन्धी विशेषज्ञों के सुझावानुसार उठाऐ गऐ कदमों को सूचनार्थ, विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

इस बिन्दु पर मद विवरण के अनुसार कुलपति जी ने सारे तथ्यों को स्पष्टीकरण की दृष्टि से पुनः प्रेषित किया। विवरण के अनुसार निश्चयों की दृष्टि से प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्तावित तीनों बातों को विचारा। पहला विचार बन्दु था, कि वर्तमान

क्रमशः - 11

में विश्वविद्यालय में तकनीकी विशेषज्ञता के अभाव में जो तकनीकी सम्बन्धी कार्य हैं, किसी विशिष्ट संस्था को डिपोजिट बेसिस पर दिया जाए और यह देखते हुए कि ई.एम.पी.सी., दिल्ली जो इन्दिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई है, इस कार्य को डिपोजिट बेसिस पर करें। प्रबन्ध मण्डल ने मद विवरणानुसार इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और यह चाहा कि एक सुनिश्चित अनुबन्धन किया जाए, जिसके आधार पर कार्य चल सके।

दूसरे निश्चय का विषय कॉरपस फण्ड को स्थापित करना था। प्रबन्ध मण्डल ने इसे सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की और यह भी प्रतिपादित किया कि प्रस्तावित कॉरपस फण्ड का उपयोग एक विषय तक सीमित न रखकर व्यापक रखा जाए, ताकि आवश्यकता हो तो अन्य गतिविधियों में इसकी आय का उपयोग हो सके। प्रस्तावित स्टूडियो निर्माण एवं एतद् विषयक उपकरणों की संप्राप्ति एक बहुत ही तकनीकी विषय है। अतः ई.एम.पी.सी. की सहायता से इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि इसकी जरूरतों के मुताबिक उपयोग सुनिश्चित हो सके। इस विषयक वित्तीय प्रावधानों की चर्चा के दौरान कुलपति जी ने प्रबन्ध मण्डल को आश्वस्त किया कि इस चालू साल में दूरस्थ शिक्षा परिषद के अनुदान को मिलाकर लगभग 60 लाख रुपये उपलब्ध है।

तीसरा मद स्टूडियो के लिये मानवीय संसाधन था। प्रबन्ध मण्डल ने सलाहकार समिति द्वारा दिए गऐ सुझाव "स्टूडियो के लिए जो मानवीय संसाधन चाहिए, वे ई.एम.आर.सी. के नोर्म के मुताबिक ही रखे जाए" पर अपनी सहमति व्यक्त की।

बिन्दु संख्या 35/12

माननीय कुलपति महोदय द्वारा धारा 8(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बाल मुकुन्द, सेवानिवृत सहायक कोषाधिकारी (सहायक लेखाधिकारी) के पुर्ननियोजन की अवधि दिनांक 30-11-96 तक बढ़ाने का निर्णय अवलोकनार्थ।

अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 35/13

(अ) डॉ. (सुश्री) रीमा हूजा, सहायक आचार्य द्वारा विश्वविद्यालय सेवा से जानबूझकर अनुपस्थित रहने का प्रकरण अवलोकनार्थ।

क्रमशः - 12

(ब) डॉ. (सुश्री) रीमा हूजा, सह आचार्य द्वारा विश्वविद्यालय सेवा से प्रस्तुत त्यागपत्र एवं नोटिस अवधि में दो माह की छूट के मामले में माननीय कुलपति महोदय का निर्णय अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 35/14
श्री घनश्याम गुप्ता, सहायक कुलसचिव को स्वीकृत एक वर्ष का असाधारण अवकाश सूचनार्थ।

अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 35/15
विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों पर कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि बाबत प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

उपरोक्त प्रकरण को मेहरोत्रा समिति को सौंपने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या 35/16
विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन का राज्य सरकार के प्रावधानानुसार प्रपत्र अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रपत्र संलग्न नहीं होने के कारण डेफर्ड किया गया।

बिन्दु संख्या 35/17
श्री जे.के. शर्मा, सहायक आचार्य एवं श्री राकेश शर्मा सहायक आचार्य के वेतन वृद्धि के क्रम में यू.जी.सी. के मापदण्डों के अनुसार 8 वर्ष में पी.एच.डी. करने की छूट का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

डेफर्ड किया गया ।

बिन्दु संख्या 35/18
विश्वविद्यालय में विधि सम्बन्धी मामलों में राय लेने के लिए स्थायी अधिवक्ताओं का पेनल एवं उन्हें देय फीस का का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

डेफर्ड किया गया।

क्रमशः - 13

बिन्दु संख्या 35/19
राज्य सरकार द्वारा जारी रोस्टर के अनुसार नियुक्तियों में आरक्षण हेतु प्रबन्ध मण्डल की 33वीं बैठक के निर्णय के अनुसार डॉ. के.एस. यादव की अध्यक्षता में गठित समिति का प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

डेफर्ड किया गया।

बिन्दु संख्या 35/20
विश्वविद्यालय के शैक्षणिक केडर की रिक्तियों का विवरण एवं रोस्टर के अनुसार आरक्षण का मामला तथा इस हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

डेफर्ड किया गया।

बिन्दु संख्या 35/21
राज्य सरकार द्वारा वित्त अधिकारी के पद पर श्री डी.एन. पुरोहित, वरिष्ठ लेखाधिकारी की नियुक्ति एवं राज्य सरकार द्वारा उन्हें कार्यमुक्त (निलम्बित) करने, तदर्थ विश्वविद्यालय पर पड़े वित्तीय उत्तरदायित्व का मामला अवलोकनार्थ।

नोट किया गया।

बिन्दु संख्या 35/22
प्रबन्ध मण्डल की तीसवीं पूर्व बैठक दिनांक 18-11-1995 के मद संख्या 30(8) के द्वारा निर्देशों के क्रम में वर्मा समिति की अभिशंषाओं के क्रियान्वयन का विवरण अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

नोट किया गया।

बिन्दु संख्या 35/23
श्रीमती सुषमा सिंघवी, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, उदयपुर के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के मामले में विश्वविद्यालय के आदेशों की सही एवं पूर्ण पालना नहीं किऐ जाने का मामला अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

प्रस्ताव वापिस लिया गया।

क्रमशः - 14

बिन्दु संख्या 35/24
दिनांक 03-01-1996 को सम्पन्न स्थायी भवन समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

नोट किया गया।

बिन्दु संख्या 35/25
विश्वविद्यालय में नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को देय फीस वृद्धि के बारे में माननीय कुलपति महोदय द्वारा अति-आवश्यक परिस्थिति में लिऐ गऐ निर्णय सूचनार्थ।

नोट किया गया।

बिन्दु संख्या 35/26
क्षेत्रीय केन्द्र, उदयपुर एवं क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर के भवनों को स्थायी आधार पर कोटा खुला विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित करने से सम्बन्धी कार्य विवरण विचारार्थ एवं निर्देशनार्थ।

डेफर्ड किया गया।

बिन्दु संख्या 35/27
विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा के लिए राजस्थान कृषि उद्योग निगम से भूमि क्रय करने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

डेफर्ड किया गया।

बिन्दु संख्या 35/28
भारतीय सामुदायिक शिक्षा ‘इंडियन सोसाईटी फॉर कम्यूनिटी एज्यूकेशन’ को भेजा गया आजीविका सदस्यता शुल्क का विवरण अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

नोट किया गया।

क्रमशः-15

बिन्दु संख्या 35/29
डॉ. के.के. खेतान, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र की स्वीकृत असाधारण अवकाश का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

नोट किया गया।

टेबिल आईटम

बिन्दु संख्या 35/30
माननीय कुलपति महोदय के अनुपस्थित रहने/अवकाश पर रहने या अन्य परिस्थितियों में कुलपति पद के कार्य की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में।

आगामी बैठक में पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किया जावें।

कुलसचिव
एवं
सचिव, प्रबन्ध मण्डल

अनुमोदित

11/12/96

अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल
एवं
कुलपति
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

परिशिष्ट-2

KOTA OPEN UNIVERSITY,KOTA

Minutes of the 36th(Emergent) meeting of the Board of Management held on 9th January,97 at 11.30 a.m. at Regional Centre,KOU,Jaipur.

....

An emergent meeting of the Board of Management was convened on 9th January,97 at 11.30 a.m. at Regional Centre,KOU,Jaipur.

The following members were present :-

1. Prof.B.S.Sharma,Chairman & Vice Chancellor.
2. Prof.Janardan Jha,Pro V.C.IGNOU,New Delhi. — Member
3. Dr.S.K.Verma, Retd.Principal — Member
4. Dr.R.V.Vyas, Director,R.S. KOU,KOTA. — Member
5. Prof.P.K.Sharma Professor in Management KOU,KOTA. — Member
6. Dr.(Smt.)Amrit Walia Director,RC,KOU,Jaipur — Member
7. Shri S.K .Shrivastava Registrar,KOU,KOTA. — Secretary

Dr.Adarsh Kishore,Shri Anil Vaishy and Dr.Mahala could not attend the meeting hence leave of absence was granted.

The meeting was convened to discuss the issue of de-recognition of B.Ed. degree by National Council for Teachers Education,Regional Office,Jaipur.

At the out set Chairman gave a detailed account of the issue of the de-recognition of B.Ed.degree begining a news paper advertisement from NCTE,Regional Office,Jaipur.It was followed by a news paper reporting. The issue continued to draw attention of the prospective students as well as academician of the state.

9.1.97

9.1.97

P.K.Sharma 9-1-97

9.1.97

9/1

The Chairman explained the various efforts made in this direction. After detailed discussions and keeping in view the totality of situation ~~afxthe~~ and the impact of ~~the~~ Kota Open University operations, the Board took the following decisions and authorised the Vice Chancellor to proceed in the matter :-

1. In the event of the matter being not resolved by the 13th January, 1997 KOU will file a writ in the Supreme Court with IGNOU(DEC) as partners.

2. The behaviour of the Regional Director NCTE, Jaipur Dr. Anil Shukla inmalianing the university by way of making irresponsible statements in the press and using intemperate language in the letters addressed to the Vice Chancellor, was viewed very seriously and condemned. It was resolved that if it is possible we explore the possibility of filing defamation suit in competent court of law after taking a legal advice. In any case a letter will be issued by the Chairman condemning Dr. Shukla behaviour to chairman, NCTE with a copy to the Chairman, UGC, Secretary, HRD, GOI and Chairman DEC.

3. The Board also authorised the Vice Chancellor to discuss and seek advice of DEC and other competent authorities and take necessry action as deemed proper.

In the begining, Chairman and other Board Members expressed their sincere thanks and appreciated the service rendered by Prof. M.D. Agrawal as BOM member whose term expired on 4-12-96. The Board extended a warm welcome to Prof. P.K. Sharma as a new member of BOM. Prof. H.S. Mahla could not attend the meeting due sudden demises of his brother. The Board members expressed sincere condolenses to Prof. Mahla and pray that the departed soul may rest in peace.

The meeting ended with a vote ~~taxtha~~ of thanks to the Chair.

(Prof. J. Jha) (Dr. S.K. Verma) (Dr. R.V. Vyas)

(Prof. P.K. Sharma) 9-1-97 (Dr. Amrit Walia) Registrar & Secre

(Prof. B.S. Sharma) 9/1/97

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

प्रबन्ध मण्डल की 37वीं बैठक दिनांक 28-01-97 का कार्यवाही विवरण

कोटा खुला विश्वविद्यालय की 37 वीं बैठक दिनांक 28-01-1997: मंगलवार: को प्रात: 11.30 बजे कुलपति निवास कार्यालय, पुष्पा निवास, स्टेशन रोड़, कोटा में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुऐ:-

1.	प्रो. बी.एस. शर्मा कुलपति, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा ।	अध्यक्ष
2.	प्रो. जनार्दन झा सम-कुलपति, ई.गॉ.रॉ.मु.वि.वि., नई दिल्ली।	सदस्य
3.	प्रो. एच.एस. महला प्रोफेसर ग्रामीण विकास, इ.च.मा.लो.प्र.सं., जयपुर।	सदस्य
4.	डॉ. एस.के. वर्मा सेवानिवृत प्राचार्य, कोटा।	सदस्य
5.	डॉ. आर.वी. व्यास निदेशक, क्षेत्रीय सेवाऐं, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	सदस्य
6.	प्रो. पी.के. शर्मा प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेन्ट, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	सदस्य
7.	डॉ. (श्रीमती) अमृत वालिया निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, को.खु.वि.वि., जयपुर।	सदस्य
8.	श्री एस.के. श्रीवास्तव कुलसचिव, को.खु.वि.वि., कोटा।	सचिव प्रबन्ध मण्डल

दो सदस्य डॉ. आदर्श किशोर, वित्त सचिव एवं श्री अनिल वैश्य, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर की उपस्थिति संभव नहीं हो सकी।

लगातार--2

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने 37 वी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में उपस्थित सदस्यों का अभिनन्दन किया। तद्उपरान्त बैठक का स्थान परिवर्तन करने के कारण का स्पष्टीकरण देते हुए सदस्यों से कष्ट के लिए क्षमा याचना की। कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष जी ने निम्नलिखित तथ्यों से अवगत करवाया:-

§1§ अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल को बताया कि 36 वीं बैठक §आपातकालीन दिनांक 9-1-97§ के उपरान्त बी.एड. की डिग्री मान्यता प्रकरण के सम्बन्ध में वे अध्यक्ष, दूरस्थ शिक्षा परिषद से विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली गऐ और उन से दिनांक 13-1-1997 को मिले, दूरस्थ शिक्षा परिषद के अध्यक्ष को प्रबन्ध मण्डल के निश्चयों से अवगत कराया गया और उनसे आग्रह किया गया कि प्रबन्ध मण्डल के निश्चयों के अनुसार अब तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है क्योंकि एन.सी.टी.ई. के निश्चयों के कारण कोटा खुला विश्वविद्यालय संकट की स्थिति में आ गया है इस सम्बन्ध में दूरस्थ शिक्षा परिषद के अध्यक्ष जी को दिनांक 14-1-1997 को एक पत्र भी प्रेषित किया गया जो परिशिष्ट - "अ" पर संलग्न है। इस बैठक में अध्यक्ष जी ने इस पत्र को सदस्यों को पढ़कर भी सुनाया।

उल्लेख है कि दूरस्थ शिक्षा परिषद के अध्यक्ष जी ने इस पत्र पर कार्यवाही हेतु दिनांक 20-1-1997 को केन्द्रीय सचिव शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से भी विस्तृत चर्चा की और चर्चा के दौरान कुछ निश्चय लिऐ गऐ और कोटा खुला विश्वविद्यालय को भी उन निश्चयों से संलग्न पत्र §परिशिष्ट-"ब"§के द्वारा सूचित किया गया। कुलपति जी ने यह भी बताया कि इस पत्र के माध्यम से जो विशिष्ठ समिति नियुक्त हुई है, में वे भाग लेने के लिए दिनांक 31-1-1997 को दिल्ली जाऐंगे।

उपरोक्त पत्रों में वर्णित स्थिति और उठाऐ गऐ कदमों पर प्रबन्ध मण्डल ने संतोष व्यक्त किया और इन प्रयत्नों की सराहना की ।

§2.§ अध्यक्ष जी ने विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति से भी प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया । विशिष्ट रूप से फर्जी प्रमाण-पत्रों की जाँच के प्रकरण की वर्तमान स्थिति पर भी प्रकाश डाला और प्रबन्ध मण्डल

लगातार--3

को यह भी सूचित किया कि जो जो कानूनी कार्यवाहियाँ की गई है अब उनकी क्या क्या स्थिति है अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के समक्ष यह भी रखा कि स्थिति अब नियन्त्रण में है परन्तु साथ ही जो एन.सी.टी.ई. के द्वारा जो कार्यवाहियाँ हुई है उसको देखते हुए कुछ आंतरिक व्यक्ति व कुछ बाहरी ताकते, अपने विशिष्ट निजी हितों व महत्वाकांक्षाओ को लेकर बहुत सक्रिय हो गई है और जानबूझकर विश्वविद्यालय की छवि बिगाड़ने का कार्य एवं आंतरिक सहिष्णुता जो पिछले दो सालों में अच्छी हुई है उसे बिगाड़ने पर उतारु हो रहे है और कुछ अन्दर के ही लोग कोटा खुला विश्वविद्यालय के सेवा नियमों की अवहेलना कर यहाँ की परम्पराओ के विपरीत अनर्गल आरोप लगाकर विश्वविद्यालय एवं कुलपति जी की व्यक्तिगत छवि को बिगाड़ने का प्रयास भी कर रहे है। कुलपति जी ने यह भी कहा कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है संस्था के हित को हर स्थिति में सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

समस्त तथ्यों का वर्णन सुनकर सदस्यों ने इस को बहुत गम्भीर माना और सर्व सम्मति से यह विचार व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय के हित और छवि की सुरक्षा के लिए नियमानुसार हर कदम उठाऐ जाना आवश्यक हो गया है और इस पर कार्यवाही होनी चाहिए।

तदउपरान्त कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई:-

<u>बिन्दु संख्या 37/1</u>

प्रबन्ध मण्डल की 35 वीं बैठक दिनांक 31-10-96 एवं 36 वीं बैठक (आपातकालीन) दिनांक 09-01-1997 के कार्यवाही विवरणों की पुष्टि करना।

सर्व सम्मति से प्रबन्ध मण्डल की 35 वीं बैठक दिनांक 31-10-96 एवं 36 वीं बैठक दिनांक 09-01-97 के कार्यवाही की पुष्टि की।

बिन्दु संख्या 37/2

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 31-10-96 को सम्पन्न 35 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति की अनुपालना रिपोर्ट सूचनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा 35 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति की अनुपालना

लगातार-4

प्रतिवेदन पर सर्व सम्मति से संतोष व्यक्त किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रबन्ध मण्डल के एक सदस्य डॉ. आर.वी. व्यास ने यह चाहा है कि दिनांक 31-10-96 की 35वीं बैठक के कार्यवाही विवरण जो अनुमोदित हुई है तथा इसके क्रियान्विति की अनुपालना प्रतिवेदन की पुष्टि की गई है उसके आधार पर वे विचारणिय मद प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते है। अध्यक्ष जी ने उनके इस सुझाव को स्वीकार किया परन्तु व्यवस्था की दृष्टि से यह निर्णय लिया कि यह विचार कार्यसूची के सभी मदों पर चर्चा होने के उपरान्त लिया जावेगा।

बिन्दु संख्या 37/3

विद्या परिषद की 15 वीं (विशेष) बैठक दिनांक 24-1-97 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

सर्व सम्मति से अनुमोदन किया।

बिन्दु संख्या 37/4

मुद्रण सलाहकार समिति की दिनांक 19-12-96 को सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

सर्व सम्मति से मुद्रण सलाहकार समिति की दिनांक 12-2-96, 15-6-96 एवं 19-12-96 (मय उप समिति के दिनांक 22-11-95 एवं 19-4-96 के कार्यवाही विवरणों के)के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन किया।

बिन्दु संख्या 37/5

योजना मण्डल की तीसरी बैठक दिनांक 18-1-97 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

सर्व सम्मति से अनुमोदन किया।

बिन्दु संख्या 37/6

पाली में खोले गऐ अध्ययन केन्द्र का निर्णय सूचनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने पुष्टि कर दी।

लगातार-5

बिन्दु संख्या 37/7

कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 की धारा 8(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा लिऐ गऐ निर्णय अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

(अ) श्री डी.डी. चारण पूर्व कुलसचिव को कार्य मुक्त किऐ जाने का निर्णय

(ब) श्री एस.के. श्रीवास्तव सेवा निवृत आर.ए.एस. को कुलसचिव के पद पर नियुक्ति।

(स) श्री जे.एम. भटनागर सेवानिवृत आई.ए.एस. को विशेषाधिकारी (विकास एवं समन्वय) के पद पर नियुक्ति।

(द) श्री बी.एम. भार्गव, सेवानिवृत उप कुलसचिव को उप कुलसचिव के पद पर पुनर्नियुक्ति।

मद संख्या 37/7 के अन्तर्गत कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 8(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा लिऐ गऐ निर्णय (अ), (ब), (स) और (द) का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया।

बिन्दु संख्या 37/8

श्री जे.के. शर्मा सहायक आचार्य एवं श्री राकेश शर्मा, सहायक आचार्य के वेतन के क्रम में यू.जी.सी. के मापदण्डों के अनुसार 8 वर्ष में पी.एच.डी. करने की छूट का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विस्तृत चर्चा के आधार पर यह निश्चय लिया कि विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डों के अनुसार 8 वर्ष में पी.एच.डी. करने की छूट का श्री जे.के. शर्मा, सहायक आचार्य एवं श्री राकेश शर्मा सहायक आचार्य के वेतन वृद्धि के क्रम में अनुमोदन कर दिया और यह भी निश्चय लिया गया कि यदि ऐसी स्थिति अन्य किसी और व्यक्ति के केस में आती है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डों के अनुसार कार्यवाही की जाए।

बिन्दु संख्या 37/9

विश्वविद्यालय में विधि सम्बन्धी मामलों में राय लेने के लिए स्थायी अधिवक्ताओ का पेनल एवं उन्हें देय फीस का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

लगातार-6

सारी स्थिति का जायजा लेने के उपरान्त और विश्वविद्यालय में अब तक के अनुभवों को देखते हुए तथा तत्कालीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में और अधिक कानूनी सलाह की आवश्यकता हो सकती है, को देखते हुए प्रबन्ध मण्डल ने यह निश्चय लिया कि श्री संतोष कुमार सक्सैना एडवोकेट को ही स्थाई अधिवक्ता नियुक्त रखा जाए तथा साथ ही अति विशेष प्रकृति के प्रकरण में कुलपति महोदय द्वारा आवश्यक समझा जाए तो स्थायी अधिवक्ता के अलावा अन्य किसी उपयुक्त एवं उस प्रकरण की प्रकृति विशेष से सम्बन्धित विशेष वकील से भी राय लेने एवं इस के लिए उसे प्रति सलाह ₹0 250/- या मामले के स्वरूप को देखते हुए कुलपति महोदय जो राशि उपयुक्त समझे देने हेतु अधिकृत होंगे।

बिन्दु संख्या 37/10

राज्य सरकार द्वारा जारी रोस्टर के अनुसार नियुक्तियों में आरक्षण हेतु प्रबन्ध मण्डल की 33 वीं बैठक के निर्णय के अनुसार डॉ. एस.के. यादव की अध्यक्षता में गठित समिति का प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

इस सम्बन्ध में डॉ. के.एस. यादव की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन के विचार के साथ-साथ प्रबन्ध मण्डल ने कुलाधिपति जी द्वारा आरक्षण से सम्बन्धित जो पत्र भेजे गऐ है उस पर भी विचार किया गया। अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि कुलाधिपति जी के पत्र के क्रम में एक समिति भी गठित कर दी गई है जिसकी संरचना का आधार वही है जो कुलाधिपति जी के पत्र में प्रस्तावित था। विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की मॉग व परिस्थितियों को देखते हुए विशिष्ट आमंत्रण के आधार पर इस वर्ग के दो और प्रतिनिधि रख दिऐ गऐ है। इस समिति की कुछ बैठके हो गई है अतः समिति को यह काम भी सौंपा गया है कि वे आरक्षण से सम्बन्धित विशेषकर अशैक्षणिक कर्मचारियों में जो आनुपातिक असंतुलन है को दूर करने के लिए योजना भी बनाऐं।

राज्य सरकार द्वारा आरक्षण से सम्बन्धित 100 बिन्दु रोस्टर लागू करने के जो नियम है और जो स्थिति डॉ. करण सिंह की समिति और कुलाधिपति जी के पत्र में दर्शायी गई है कुछ स्थानों पर तालमेल नहीं होता है और इस बात को उपर्युक्त समिति भी महसूस करती है समिति इस कार्य को उचित आधार पर कर सके और कुलाधिपति जी या राज्य सरकार से कुछ स्पष्टिकरण लिऐ जाने हेतु जो बिन्दु है उस का एक विस्तृत विश्लेषण भी आवश्यक हो गया है।

लगातार-7

विस्तृत विचार करने के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने यह निश्चय लिया कि इस विश्लेषण के लिए एक समिति का गठन कर दिया जाए जो जल्दी ही विशेष विश्लेषण कर दे ताकि कार्य में बाधा न हो और जो नियुक्तियाँ करनी है कर दी जाए। प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1. डॉ. एस.के. वर्मा,
   सेवा निवृत प्राचार्य, कोटा
2. डॉ. एच.एस. महला
   प्रोफेसर ग्रामीण विकास,
   ह.च.मा.लो.प्र.सं., जयपुर
3. कुलसचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

<u>बिन्दु संख्या 37/11</u>
माननीय कुलपति महोदय के अनुपस्थित रहने / अवकाश पर रहने या अन्य परिस्थितियों में कुलपति पद के कार्य की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में महामहिम कुलाधिपति महोदय का निर्णय अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ।

कुलाधिपति सचिवालय से प्राप्त पत्र पर विचार किया गया और यह उचित समझा गया की जैसी वस्तु स्थिति है वैसी ही रहनी चाहिए।

<u>बिन्दु संख्या 37/12</u>
विश्वविद्यालय की मेटाडोर संख्या आर.आर.जी. 5155 की नीलामी हेतु न्यूनतम राशि रु0 20,000 (बीस हजार मात्र) का निर्धारण करने हेतु अनुमोदनार्थ।

मद के कार्यवाही विवरण पर विस्तृत विचार किया गया और यह निश्चय लिया गया कि बी.एफ.सी.की बैठक में हुई मौखिक वार्ता के अनुसार आर.आर.जी. 5155 मेटाडोर की नीलामी हेतु न्यूनतम राशि 20,000 रु. (बीस हजार रुपये) को आधार मानकर नीलामी की अग्रिम कार्यवाही की जाए।

<u>बिन्दु संख्या 37/13</u>
श्री आर.एल. बैरवा समिति की रिपोर्ट विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रकरण को गम्भीरता एवं विश्वविद्यालय की छवि पर उस के प्रभाव को देखते

लगातार-8

हुए श्री बैरवा समिति प्रतिवेदन गोपनीयता की दृष्टि से मद विवरण में नहीं रखा गया था और कुलपति जी ने स्वयं इसे प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया ।

प्रकरण का सम्बन्ध श्री आशुतोष श्रीवास्तव , कनिष्ट लिपिक, कोटा खुला विश्वविद्यालय द्वारा एक छात्रा के साथ कथित अनैतिक दुराचार की घटना से सम्बन्धित है। श्री बैरवा समिति के प्रकरण से सम्बन्धित जाँच के तथ्य प्रबन्ध मण्डल द्वारा समीक्षा की गई। प्रबन्ध मण्डल ने बैरवा समिति के निष्कर्ष तथा घटना की पुनरावृति रोकने हेतु सुझावों पर विस्तृत विचार किया और उसके आधार पर निम्नलिखित निश्चय कार्यवाही हेतु लिऐ गऐ:-

1. प्रबन्ध मण्डल ने बैरवा समिति के निष्कर्षों का अनुमोदन किया।

2. प्रशासनिक सुझाव दो के सहभाग (अ)(ब)(स) का अनुमोदन किया और यह निर्णय लिया गया कि यथा सम्भव उस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाए।

3. प्रशासनिक सुझाव एक (ब) पर भी कार्यवाही कर दी जाए जहाँ तक सुझाव एक (अ) का प्रश्न है इस सम्बन्ध में बैरवा समिति के निष्कर्ष के आधार पर दोषी को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाए और उससे एक निश्चित समय में उत्तर ले लिया जाए। दोषी के उत्तर और कारण बताओ नोटिस को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष पुन: प्रस्तुत किया जाए ताकि दोषी के स्पष्टीकरण को देखते हुए कोटा खुला विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही पर विचार किया जा सके।

   (बैरवा समिति की रिपोर्ट बहुत गोपनीय है और इस के अनावश्यक प्रचलन व प्रकाशन से विश्वविद्यालय अनावश्यक रूप से प्रभावित होता है अत: कुलसचिव इसे अपने व्यक्तिगत सुरक्षा में रखें)

<u>बिन्दु संख्या **37/14**</u>

बी.एड. **1992-93** बेच में कुछ विद्यार्थियों को बिना प्रवेश आवेदन पत्रों के परीक्षा में सम्मलित होने सम्बन्धी जाँच प्रतिवेदन विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

इस मद के विवरण में एक टाईपिंग मिस्टेक देखी गई की जो बी.एड. के

लगातार-9

टेस्ट के साल से सम्बन्धित है। मद विवरण में बी.एड. 1993-94 बेच लिख दिया गया था परन्तु वास्तविक रूप में यह मद बेच 1992-93 से सम्बन्धित है।

प्रकरण इस प्रकार है कि 92-93 बी.एड. बेच में 5 विद्यार्थियों को टेस्ट में भाग लेने के लिए रोल नं0 दे दिऐ गऐ थे जबकि प्रवेश अनुभाग ने उनको कोई कंट्रोल नम्बर अलोट नहीं किया था। ये 5 विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में बैठें और इनका परीक्षा परिणाम भी घोषित हो गया जिसमें वे कामयाब होगऐ परन्तु कार्यालय ने प्रवेश देने में आपत्ति की क्योंकि ये 5 विद्यार्थी बिना प्रवेश अनुभाग की औपचारिकताओं को पूरा किऐ परीक्षा में बैठने दिऐ गऐ थे।

वर्तमान कुलपति जी के पदभार सम्हालने से कुछ महिनों उपरान्त स्थानीय महाविद्यालयों के छात्र संघ पदाधिकारी कुलपति जी के पास कई बार आए और ऐसा व्यवहार भी किया जैसा सामान्यतया ऐसे पदाधिकारी करते है। वस्तुस्थिति की जानकारी के लिए कुलपति जी ने पत्रावली अवलोकनार्थ प्राप्त की ताकि वे निश्चय ले और विश्वविद्यालय को इस अनावश्यक गतिरोध से बचा सके। बड़ी कठिनाई से पत्रावली प्राप्त हुई पत्रावली देखने पर कुलपति जी ने इसकी जॉच के लिए एक समिति भी नियुक्त की थी जिसके अध्यक्ष डॉ. आर.एल. शर्मा पूर्व परीक्षा नियन्त्रक तथा श्री विजय माथुर, अनुभागाधिकारी सदस्य थे। जब स्थानीय असामाजिक तत्वों तथा स्थानीय महाविद्यालयों का दबाव बढ़ता गया और यह जानकारी मिली की इस समिति ने कोई जॉच भी नहीं की है तो कुलपति जी ने एक और आंतरिक जॉच समिति गठित की जिसमें अध्यक्ष श्री आर.एस. शर्मा विशेषाधिकारी तथा श्री श्रीगोपाल शर्मा, परीक्षा नियन्त्रक तथा श्री सी.एच. कोटिश सहायक कुलसचिव (गोपनीय) सदस्य रखे गऐ। इस समिति ने इस कार्य को किया और उपलब्ध पत्रावली के आधार पर अपनी रिपोर्ट पेश की। इस प्रतिवेदन में दो प्रकार की सिफारिशे की थी। जिसमें एक का सम्बन्ध था विद्यार्थियों के उत्तरदायित्वों पर और दूसरी का सम्बन्ध था कार्यालय अपर्याप्तताओं से। विद्यार्थियों से सम्बन्धित सिफारिश पैरा 28/ एन पर है और कुलपति जी ने इस पर अपनी सहमति दे दी थी और आदेश भी दे दिऐ थे कि इस पर आवश्यक कार्यवाही कर ली जाए। कार्यालयी अपर्याप्तताऐं पत्रावली के पैरा 29/ एन में है जिसमें यह दर्शाया गया है कि अपर्याप्तताऐं किस प्रकार की है और यह भी सिफारिश की गई कि सारे तथ्य प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखे जाएऔर इस पर विस्तृत जॉच कराई जाए तथा उत्तरदायित्व निश्चित किया जाए जिस के आधार पर उत्तरदायी व्यक्ति को दण्ड मिले और ऐसी पुनरावृति भविष्य में न हो।

लगातार-10

प्रबन्ध मण्डल ने सारी स्थिति पर विस्तृत विचार किया और जो कुछ हुआ उस के लिए बड़ा खेद व्यक्त किया और निम्नलिखित निश्चय लिए:-

1. इस प्रतिवेदन पर कुलपति जी द्वारा लिऐ गऐ निर्णयों का अनुमोदन किया।

2. जाँच नियमों के आधार पर उचित जाँच कराया जाना उचित समझा गया। और यह भी निश्चय लिया कि यह जाँच श्री सुरेश एच. माथुर के द्वारा कराई जाए क्योंकि वह एक सुलझे हुए व्यक्ति है। जैसा कि बताया गया है कि अजमेर विश्वविद्यालय में भी उन्होने जाँच हाल ही में की है। प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निश्चय लिया कि श्री सुरेश एच. माथुर को जाँच करने के लिए उन्ही शर्तों एवं अवधाओं पर नियुक्त किया जाए जिस पर अजमेर विश्वविद्यालय ने उन को नियुक्त किया है। प्रबन्ध मण्डल ने यह भी चाहा है कि श्री सुरेश एच. माथुर से सम्पर्क कर उनकी सुविधा के अनुसार इस जाँच कार्य को तुरन्त करवाया जाए और जल्दी से जल्दी प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए। प्रबन्ध मण्डल ने इसको बहुत गम्भीरता से समझा है क्योंकि इससे विश्वविद्यालय की छवि पर असर पड़ा हैऔर तत्कालिक फर्जी प्रमाण पत्र का प्रकरण है और उस से सम्बन्धित जो विश्वविद्यालय के लिए दुष्प्रचार हुआ है ये घटना भी उसका एक कारण होने में सहायक हुई है।

<u>बिन्दु संख्या 37/15</u>

दिनांक 21 दिसम्बर, 1996 को विश्वविद्यालय के प्रमुख द्वार की घटना का प्रकरण एवं कार्यवाही की सूचना प्रबन्ध मण्डल के सूचनार्थ एवं आदशार्थ।

इस बिन्दु से सम्बन्धित विवरण कुलपति जी ने स्वयं रखा जो इस प्रकार है:-

दिनांक 21 दिसम्बर, 1996 को प्रात: 8.30 बजे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कुछ कर्मचारी कुलपति जी के निवास पर उनसे मिलने आऐऔर उन्होने कुलपति जी को लिखित में उनके हितों से सम्बन्धित कुछ माँगे बताई। कुलपति जी के पूछे जाने पर उन्होने बताया कि आरक्षण नियमों के अनुसार उनके वर्ग से सम्बन्धित नियुक्तियों में असंतुलन है और जो

लगातार-11

विभागीय पदोन्नतियों पूर्ण हो गई है उसमें भी उनका ध्यान नहीं रखा गया है। कुलपति जी ने उनको निम्नलिखित बाते कही:-

1. यह सूचना गलत है कि विभागीय पदोन्नतियों सम्पूर्ण हो गई है और उनके पक्ष का ध्यान नहीं रखा गया है कुलपति जी ने उनको बताया कि विभागीय पदोन्नतियों का कार्य अभी प्रारम्भ ही नहीं हुआ है।

2. कुलपति जी ने यह भी बताया कि उन्होने कुलसचिव जी को बुलाकर यह कह दिया कि पदोन्नतियों से सम्बन्धित पत्रावली तैयार हो जाए तो उन्हें दिखाई जाए। वे विभागीय पदोन्नति संरचना पर भी गौर करना चाहते है।

3. कुलपति जी ने यह भी बताया कि विभागीय पदोन्नति समिति का कार्य पूर्ण हो जाए और अंतिम प्रतिवेदन बनाने से पूर्व उन्हें दिखाया जाए ताकि वे देख सके कि अनूसूचित जाति एवं अनूसूचित जन जाति के कर्मचारी की क्या स्थिति है ।

4. कुलपति जी ने यह भी बताया कि सामान्य संतुलन का प्रश्न है वह इस समय बहुत कठिन है क्योंकि अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियों विश्वविद्यालय के प्रारम्भ होने के पहले तीन सालों में ही हो गई है और उस समय आरक्षण श्रेणियों की नियुक्तियों का ध्यान नहीं रखा गया। अब स्थिति यह है कि जब पद खाली हो या अन्य नऐ पद मिले तब ही असंतुलन का उपचार हो सकता हैं।

5. कुलपति जी ने यह भी बताया कि उपर्युक्त तथ्य राज्य सरकार या अन्य सम्बन्धित स्तरों पर भेज दिऐ गऐ है और आप लोगों को भी दिखा दिऐ गऐ है या फिर देखना चाहते है तो फिर देख ले उपरोक्त बातों को सुनकर ये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी संतुष्ट हुए और अपने लिखित पत्र को वापस ले गऐ।

लगभग प्रात: **10.30** बजे कुलपति सचिवालय से सूचना मिली कि कर्मचारी मुख्य द्वार पर ऐकत्रित है और मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है और दो विश्वविद्यालयी वाहनों में आऐ हुऐ तीन अधिकारियों , कुलसचिव, विशेषाधिकारी एवं वित्त अधिकारी को अन्दर नहीं जाने दिया जा रहा है।

लगातार-12

उत्तर में कुलपति महोदय ने अपने सचिव को यह कहा कि वे तुरन्त निवास से रवाना हो रहे है और विश्वविद्यालय परिसर पर पहुच रहे हैं।

लगभग प्रात: **11.10** बजे कुलपति महोदय विश्वविद्यालय कार से घटना स्थल पर पहँचे और उन्होने पाया कि लगभग **50-60** कर्मचारी मुख्य द्वार पर खड़े है और उन्होने कुलपति महोदय को भी अन्दर जाने से रोका और विश्वविद्यालय कार को चारो तरफ से घेर लिया और उसपर मुक्के मारना आरम्भ कर दिया तथा नारे बाजी भी शुरू कर दी। वि.वि. कर्मचारियों के अलावा भीड़ का नेतृत्व करते हुए श्री प्रकाश जायसवाल को वहाँ पर पाया जो यहाँ के तथाकथित छात्र संघर्ष समिति के नेता है। उन्होने कई बार विश्वविद्यालय में उपद्रव किया है और जिसके खिलाफ महावीर नगर थाने में एक बार एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई थी । कुछ समय उपरान्त श्री जायशवाल ने कार का दरवाजा खोला और कुलपति जी को बाहर खींच लिया और यह भी कहा कि हमने आपको कुलपति पद से बर्खास्त कर दिया है और कुलाधिपति जी को जाकर रिपोर्ट करें। कर्मचारियों ने भी उनके इस कथन का समर्थन कर दिया और कहा """जो पदाधिकारी कुलपति जी ने नियुक्त किऐ है उनको हटाऐ और चारण को वापस लाऐ""" कुलपति जी ने यह भी देखा कि वहाँ पर विश्वविद्यालय के सुरक्षा प्रहरी नहीं थे। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए कुलपति जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया और कहा कि पहले उन्हैं अन्दर जाने तो दे और आप लोग आऐ बात-चीत कर समाधान निकाल सकते है लेकिन यह बात श्री जायसवाल के नेतृत्व के कारण संभव नहीं हो सकी। और अंत में कुलपति जी को बाध्य किया कि वे अपना त्यागपत्र लिखे या उनकी माँगों को पूरा करे । कुलपति जी को झकझोरने का भी प्रयास किया। स्थिति को देखते हुए कुलपति जी ने बयान दिया कि वे इस प्रकार का फैसला नहीं कर सकते है। आप लिखित में माँगें देवें वे उस पर विचार करेंगे और एक या दो दिन में अपने निश्चय से अवगत करा देंगे। बहुत वाद-विवाद के उपरान्त ईश्वर की इच्छा से यह बात उनको घर कर गई और उन्होने कुलपति जी को वापस घर आने की अनुमति दे दी और कहा कि हमने आपके अधिकारियों को बिना वाहन के वापस भेज दिया और वे अपना इन्तजाम कर वापस चले गऐ।

कुलपति जी वहाँ से अपने निवास पर वापस आ गऐ और कई जगह पूछ-ताछ करने के उपरान्त उन्होने उपर्युक्त तीनों अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया। ये तीनों अधिकारी कोटा डेयरी के दफ्तर में थे और वाहन भेजकर उनको कुलपति निवास पर बुला लिया गया।

लगातार-13

वहाँ पर स्थिति पर पूर्ण विचार कर जो प्रशासनिक कार्यवाहियाँ आवश्यक थी उनके क्रम में और व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस इत्यादि का प्रबन्ध किया और मध्यान्ह उपरान्त 3.30 बजे विश्वविद्यालय कार्यालय पहुच गऐ।

सूक्ष्म वार्तालाप के उपरान्त सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालय में चले गऐ। कुछ समय पश्चात् कम्प्यूटर टाईप माँग पत्र (जिस पर डॉ. आर. एल. शर्मा के बतौर संयोजक, संघर्ष समिति हस्ताक्षर थे) कर्मचारियों की ओर से डॉ. एस. एन. दुबे , निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी, कोटा खुला विश्वविद्यालय कुलपति जी के पास लेकर आए और उन्होंने सारी स्थिति उनके मुताबिक जो वे समझते थे का विवरण दिया और इसी बीच में बहुत सारे कर्मचारी और अधिकारी कुलपति समिति कक्ष में एकत्रित हो गऐ और कुलपति जी को बाध्य किया के वे आकर उनसे वार्तालाप करें। कुलपति जी समिति कक्ष में वार्ता करने गऐ और उन्होंने उनसे निम्नलिखित बातें कही।

1. प्रो. एस. एन. दुबे द्वारा आपका विस्तृत माँगपत्र उन्हें कुछ समय पहले दिया है वे उस पर पूर्ण विचार करेंगे और जो भी उचित कार्यवाही कर आपको जल्दी ही अवगत करा देंगे और इससे अधिक उनके पास कहने के लिए अधिक नहीं है और न ही वे और कोई विषय पर चर्चा करना चाहते है क्योंकि जो चीज लिखित है उसी पर नियमानुसार कार्यवाही वांछित है।

2. कुलपति महोदय ने उनसे यह भी निवेदन किया कि उन्हें कर्मचारी और अधिक कहने सुनने के लिए बाध्य भी न करे।

कुलपति जी के ऐसा कहने के उपरान्त उन्होंने उस सभा को विसर्जित करने का संकेत दिया तो डॉ. आर. एल. शर्मा और एक कर्मचारी ने कुलपति जी को स्पष्टीकरण के लिए कुछ बाध्य करने की स्थिति में लाने का प्रयास किया वो सिर्फ यह चाहते थे कि कुलपति जी ने घर पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों से क्या वार्ता की, उत्तर में कुलपति जी ने यह कहा कि जो उनके पास गऐ थे उन में से अधिकांशत: यहाँ बैठे है और कुलपति जी जो कुछ कहे उस की सत्यता पर हाँ या ना करें। कुलपति जी ने वही पाँचों बाते यहाँ दौहराई जो पूर्व में वर्णित है। और उसको सुनने के उपरान्त जो लोग यहाँ आऐ थे

लगातार-14

उन्होने सत्यता को प्रमाणित किया है। इस पर उनमें विवाद हुआ और कुलपति जी समिति कक्ष से उनके कक्ष में चले गऐ। कुछ समय उपरान्त डॉ. आर.एल. शर्मा कुलपति जी के कक्ष में आऐ और उस समय प्रो. एस.एन. दुबे और अन्य अधिकारी गण वहाँ बैठे थे और डॉ. आर.एल. शर्मा ने कहा कि आपका स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरान्त मैं किसी संघर्ष समिति का कोई संयोजक नहीं हू और जो हुआ है उसको मैं अच्छा नहीं मानता हू। इसके उत्तर में कुलपति जी ने उनसे आग्रह किया कि कृपया ऐसी बात न करे और जो भी आप कहना चाहते है लिखित में दें। थोड़ी समय के उपरान्त वे लिखकर लाऐ और कुलपति जी को भी दे गऐ और सचिव कुलपति जी को रसीद लेकर फोटो प्रति भी दे गऐ।

थोडी देर बाद सचिव कुलपति ने कुछ पत्रावलियों कुलपति जी के सम्मुख रखी जिस के अन्तर्गत कुछ ऐसी पत्रावलियों थी जो उनके मुख्य द्वार से लौटने के बाद विश्वविद्यालय प्रांगण में क्या-क्या कार्यवाहियाँ हुई वे सब लिखित में थी।

इस घटना के उपरान्त कुलपति महोदय ने सारी स्थिति पर विचार किया और पत्रावली के आधार पर श्री आर.एल.शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए आदेश जारी किऐ जिसका उन्होने अवधि के मुताबिक उत्तर दिया और उस उत्तर के मुताबिक प्रथम दृष्टया दोषी पाऐ जाने के आधार पर डॉ. आर.एल. शर्मा के निलम्बन आदेश दिया गया और तब से वे निलम्बित है।
कुलपति जी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को प्रबन्ध मण्डल ने बड़ी गम्भीरता से लिया और सारे घटना प्रकरण को दुर्भाग्य पूर्ण समझा और कुलपति जी ने जो कार्यवाही की उसका अनुमोदन किया और यह भी आदेश दिया कि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही जारी रखी जाएऔर इस सम्बन्ध में कुलपति जी को पूर्ण अधिकार है कि नियमानुसार जो भी उचित कार्यवाही हेतु कदम उठाने चाहते है, उठा सकते है।

बिन्दु संख्या 37/16
चिकित्सा पुनर्भरण के बारे में निर्धारित सीमा के बाद पुनर्भरण के बारे में माननीय कुलपति महोदय को प्रदत्त विशेष अधिकारों के प्रयोग न करने बाबत् बिन्दू अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

लगातार-15

प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति जी द्वारा उन्हें प्रदत्त वियशेषाधिकारों के प्रयोग न करने के निश्चय को नोट किया।

बिन्दु संख्या 37/17

विश्वविद्यालय के विधिक पैनल से श्री गुलाब सिंह , ऐडवोकेट का नाम उनकी स्वयं की इच्छा से हटाने वाबत् बिन्दु अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विधिक पैनल से श्री गुलाब सिंह, एडवोकेट का नाम उनकी स्वयं की इच्छा से हटाने वाबत् निश्चय के अनुमोदन को नोट किया गया।

बिन्दु संख्या 37/18
निदेशक पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण और सहायक प्रोडक्शन अधिकारी की योग्यताऐं अनुमोदनार्थ।

निदेशक पाठ्यसामग्री उत्पादन एवं वितरण एवं सहायक प्रोडक्शन अधिकारी की प्रस्तावित योग्यताओ का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 37/19
नवीन कुलपति निवास जो विश्वविद्यालय परिसर में बना हुआ है उसके फर्निशिंग या अन्य और सुविधाऐं उपलब्ध करने सम्बन्धी तथ्यों पर विचारार्थ एवं आदेशार्थ।

नवीन कुलपति निवास जो विश्वविद्यालय परिसर में बना है के फर्निसिंग या अन्य सुविधाऐं उपलब्ध कराने सम्बन्धी बिन्दु पर विस्तृत विचार किया और यह भी जानने की चेष्टा की कि अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति निवास पर क्या-क्या सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाती है और उसके लिए क्या-क्या नियम है । प्रबन्ध मण्डल को यह भी सूचित किया कि इस सम्बन्ध में वर्तमान कुलपति ने अपने पदभार सम्हालने के तुरन्त उपरान्त अन्य विश्वविद्यालयों से ऐसी सूचनाऐं प्राप्त करने का प्रयास करवाया था । केवल राजस्थान विश्वविद्यलाय, जयपुर से ही सूचना प्राप्त हुई जिसके अनुसार उनके सिण्डिकेट का यह निश्चय है कि जो भी कुलपति जी उचित समझे वह दिऐ जा सकते है। प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने यह चाहा कि कुलपति जी राजस्थान विश्वविद्यालय के इन निश्चयों की मर्यादाओ पर स्वयं फैसला कर ले

लगातार-16

तो अच्छा है परन्तु कुलपति जी इससे सहमत नहीं थे क्योंकि वर्तमान निवास पर जो सुविधाऐं है और जिस प्रकार का दुष्प्रचार या भावना उनको सुनने को मिली है उसको देखते हुए उन्होंने प्रबन्ध मण्डल से निवेदन किया कि वे कुलपति जी की गरिमा को देखते हुए इसमें कुछ व्यक्ति विशेष द्वारा निश्चय नहीं कराना चाहते है इस पर एक समिति विचार करें और इसके नोर्मस बनाऐं जिसके आधार पर फर्निशिंग या अन्य सुविधाऐं दी जाए। प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति जी के इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निम्नलिखित समिति गठित की:-

1. डॉ. एस.के. वर्मा,
   सेवानिवृत प्राचार्य, कोटा
2. प्रो. एच.एस. महला,
   प्रोफेसर ग्रामीण विकास,
   ह.च.मा.लो.प्र.सं., जयपुर
3. श्री आर.एस. शर्मा,
   पूर्व कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
4. वित्त अधिकारी,
   कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

5. आर.एस.बी.सी.सी. के आंतरिक साज सज्जा विशेषज्ञ।

कुलपति जी ने यह चाहा कि भवन निर्माण लगभग पूरा हो गया है अतः समिति एक माह में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे तो अधिक अच्छा होगा ताकि इस वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत यदि कोई वित्तीय प्रावधान संभव होतो कर दिया जाए। प्रबन्ध मण्डल ने तद्नुसार सहमति दी।

टेबल आईटम

बिन्दु संख्या 37/20

नियमित चयन तक स्टॉप-गेप व्यवस्था के आधार पर कुलसचिव के पद पर वेतन श्रृंखला रुपऐ 3700-5000 में नियुक्ति करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत करने का बिन्दू विचारार्थ एवं आदेशार्थ।

मद विवरण के स्पष्टीकरण नोट पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए:-

लगातार-17

1. प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति जी को अधिकृत किया कि श्री एस.के. श्रीवास्तव, जो इस समय कुलसचिव हैं और जो अपना त्यागपत्र दे चुके हैं और उनका त्यागपत्र कुलपति जी ने स्वीकृत कर दिया है उनके स्थान पर पूर्णकालिक कुलसचिव रु. 3700-5000 की वेतन श्रृंखला में स्टॉप-गैप व्यवस्था के आधार पर कोटा खुला विश्वविद्यालय के स्टेच्यूट 1(14)(i) तथा राजस्थान विश्वविद्यालयी अध्यापक एवं अधिकारी(नियुक्तियों के लिए चयन)अधिनियम 1974 की धारा -3 की उप धारा -3 के अन्तर्गत 6 माह की कालावधि के लिए नियुक्त कर दें।

2. नियुक्ति उपरान्त 6 माह की अवधि में समस्त औपचारिकताएँ पूरी कर नियमानुसार पूर्णकालिक स्थायी कुलसचिव की नियुक्ति की कार्यवाही की जाए।

बिन्दु संख्या 37/21

कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या एफ 25(5)आर.बी./96/5351 दिनांक दिसम्बर, 1996 एवं पत्र संख्या एफ 25 (5)आर.बी./96/5414 दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 के साथ अतुलनग्र श्री एम.एल. गुप्ता के पत्रों में वर्णित कुलपति जी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं का प्रकरण विचारार्थ एवं आदेशार्थ।

मद विवरण के क्रम में समस्त पत्रावलियों प्रस्तुत की गई उसके आधार पर सारी स्थिति पर प्रबन्ध मण्डल ने विस्तृत विचार किया और यह खेद प्रकट किया कि विश्वविद्यालय में अध्यापक सेवा नियमों का पालन न कर इस प्रकार के कृत्यों में अपना समय लगाते हैं। इस सम्बन्ध में कुलपति जी ने प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया कि पिछले एक माह से इस प्रकार के पत्रों का उत्तर देने में ही अधिक समय लगा रहे हैं और हाल ही में कुलाधिपति जी को पत्र सं. एफ 1/वी.सी.एस./96/358 दिनांक 24-12-1996 द्वारा इस प्रकार के 9 आरोपों का वे उत्तर दे चुके हैं। प्रबन्ध मण्डल ने स्थिति को गम्भीरता से समझा और सर्व सम्मति से सयह इच्छा प्रकट की कि इस परम्परा पर प्रभावशाली रोक लगाई जाना आवश्यक है क्योंकि इस से विश्वविद्यालय प्रशासन में निश्चित ही अनिश्चितता आती है और मनोबल भी कुण्ठित होता है । इन सब के विचार पर कुलपति जी ने यह सुझाव दिया और यह बताया कि ये पत्र मद विवरण के साथ लगाऐ गऐ हैं जो उनसे सम्बन्धित तथ्य है वो ईकाई अध्यक्षों से ऐकत्रित करवा लिऐ गऐ हैं जो

लगातार-18

अवलोकनार्थ उपलब्ध है। कुलपति जी ने यह भी बताया कि उन्होंने स्वयं उन तथ्यों को जाँच लिया है। सारी बाते न तो संदर्भ संगत है और न ही तथ्यों पर आधारित है। असंतुष्ट और महत्वाकांक्षी व्यक्ति ऐसा इसलिए कर रहे है कि एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जिससे विश्वविद्यालय की गति रुक जाए। कुलपति जी ने यह भी सुझाव दिया कि कुलाधिपति जी के दो मनोनीत सदस्य प्रबन्ध मण्डल में है वे इन तथ्यों पर आधारित प्रतिवेदन पर अपने विचार दे और अपने विचार एवं तथ्यों से कुलाधिपति महोदय को अवगत कराऐ ऐसा किया जाना आवश्यक है ।

इन सब को देखते हुए प्रबन्ध मण्डल ने निम्नलिखित सुझाव दिऐ:-

1. श्री एम.एल. गुप्ता तथा अन्य कोई भी व्यक्ति ऐसा करते है जिससे कोटा खुला विश्वविद्यालय के सेवा नियमों का उलंघन होता है तो नियमानुसार इन व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाए। श्री गुप्ता के पत्र में उठाऐ गऐ आरोपों के सन्दर्भ में जो ईकाई अध्यक्षों ने तथ्य दिऐ है उनके आधार पर बिन्दूवार एक प्रतिवेदन बनाया जावे और उस प्रतिवेदन को डॉ. एस.के. वर्मा और डॉ. एच.एस. महला, जो कुलाधिपति जी के मनोनीत प्रबन्ध मण्डल के सदस्य है, समीक्षा कर जो उनके विचार जो भी हो प्रतिवेदन के साथ माननीय कुलाधिपति जी को प्रबन्ध मण्डल में विचार उपरान्त प्रेषित करें।

<u>बिन्दु संख्या</u> **<u>37/22</u>**
कोटा खुला विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों का तीन सूत्रीय मॉग सम्बन्धी प्रकरण का विवरण विचारार्थ एवं आदेशार्थ।

मद विवरण तथा कुलपति जी द्वारा उठाऐ गऐ कदमों तथा सम्बन्धित स्पष्टीकरण पर पूर्ण विचार कर प्रबन्ण मण्डल ने निम्नलिखित निश्चय लिए:-

1. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों द्वारा जो हड़ताल की गई उस सम्बन्ध में वार्तालाप के आधार पर कुलपति जी ने अपने पत्र के आधार पर हड़ताल समाप्त करने और समस्या के निराकरण करने के लिए जो कदम उठाऐ है उनका सर्व सम्मति से अनुमोदन किया।

लगातार-19

2. जो राज्य सरकार ने विभागीय पदोन्नति समिति पर रोक लगा रखी है जिस कारण कुलपति जी को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण इस सम्बन्ध में असंतुलन को विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यों के द्वारा कम करने का निश्चय लिया था, किन्तु जो संभव नहीं है और इसकी पूण जानकारी भी इन कर्मचारियों को स्पष्टतया दे दी जानी चाहिए। क्योंकि इन समितियों के कार्यों पर राज्य सरकार ने रोक लगादी है जब तक ये रोक राज्य सरकार द्वारा हटा ली नहीं जावेगी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं हो सकती है।

3. प्रबन्ध मण्डल ने अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जन जाति कल्याण कोष की स्थापना के लिए जो कदम उठाऐ है उनका अनुमोदन किया और सैद्धान्तिक रूप से प्रकोष्ट के गठन की सहमति दी।

बिन्दु संख्या 37/23

प्रबन्ध मण्डल के निर्णय संख्या 30/34(3) दिनांक 18-11-1995 एवं विशिष्ट सचिव, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक जयपुर क्र.4/28(कार्मिक)2/85 भाग 2 दिनांक 13-2-91 के क्रम में विश्वविद्यालय कर्मचारियों को उनकी दैनिक वेतन पर सेवा की तिथि से ही उन्हें दिऐ गऐ पारिश्रमिक के आधार पर ही मँहगाई भत्ता और बोनस दिऐ जाने की प्रार्थना विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

इस मद विवरण पर विचार विमर्श करते समय कुलपति जी ने यह स्पष्टीकरण दिया कि यह मद दिनांक 13-1-1996 को कोटा खुला विश्वविद्यालय की वित्त समिति के विचारार्थ रखा गया था । वित्त सिमति ने इस पर पूर्ण विचार करने के उपरान्त यह चाहा था कि अन्य विश्वविद्यालयों से इस के बारे में सूचना ली जाए कि यह लाभ किस वर्ग के कर्मचारियों को दिया गया था और इस की क्या-क्या अर्हताऐं थी और इस को किस प्रकार से क्रियान्वित किया था। वित्त समिति ने यह भी चाहा था कि यदि राज्य सरकार ने इस को क्रियान्विति किया है तो राज्य सरकार से भी यह जाना जाय कि राज्य सरकार ने इस को किस वर्ग के लिए क्रियान्वित किया है । वित्त समिति का निश्चय प्रबन्ध मण्डल की 31 वीं बैठक जनवरी 15, 1996में अनुमोदन हो गया था।

इस सम्बन्ध में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को पत्र लिखा गया था

लातार-20

परन्तु उत्तर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से आया जिस के अनुसार राज्य सरकार के इस आदेश से लाभ केवल कनिष्ट लिपिक को ही दिया गया है अन्य विश्वविद्यालयों से कोई उत्तर नहीं आया है लेकिन अनौपचारिक आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई है। कि राजस्थान विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में कनिष्ट लिपिक को यह लाभ प्राप्त हुआ है। यहाँ यह उल्लेख है कि गलती से राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में पत्र उचित सन्दर्भ में नहीं लिखा गया। कुलपति जी ने यह भी प्रबन्ध मण्डल को दर्शाया कि यदि कोई लाभ एक विश्वविद्यालय में दे दिया जाता है और अन्यों में नही दिया जाता है तो आंतरिक असंतोष बढ़ने की संभावना रहती है।

उपर्युक्त स्पष्टीकरण तथा मद विवरण को देखते हुए विस्तृत चर्चा के आधार पर प्रबन्ध मण्डल ने निम्नलिखित निश्चय लिऐ:-

1. प्रबन्ध मण्डल ने यह माना कि असमानताऐं जहाँ तक संभव हो नहीं रहनी चाहिए विशेषकर जहाँ वित्तीय या तत्सम्बन्धी परिलाभ प्राप्त होता है और यदि अन्य विश्वविद्यालय में दिया गया है तो कोटा खुला विश्वविद्यालय में भी देना उचित होगा।

2. प्रबन्ध मण्डल ने यह भी चाहा कि इस लाभ को क्रियान्वित करने में वित्तीय लागत भी आँकी जानी चाहिए और इस लाभ को प्रभावी करने से पूर्व एक बार और विशिष्ट प्रयत्न करना चाहिए कि अन्य विश्वविद्यालयों में ये लाभ किस आधार पर दिया गया है और इस की क्या शर्तें रखी गई है । इस सूचना की प्राप्ति के उपरान्त इस को प्रबन्ध मण्डल में पुनः विचार के लिए रखा जाए।

<u>बिन्दु संख्या 37/24</u>
द्वितीय दीक्षान्त समारोह के सम्पन्न करने के प्रकरण सम्बन्धी तथ्य विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

बैठक के अंत में, जैसा कि पहले वर्णित किया जा चुका है । डॉ. आर.वी.व्यास, सदस्य, प्रबन्ध मण्डल ने कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं अनुपालना की पुष्टि पर आधारित एक प्रश्न उठाया था जिस पर यह निर्णय लिया गया था कि अंत में समीक्षार्थ पेश किया जाए।

डॉ. व्यास ने द्वितीय दीक्षान्त समारोह सम्पन्न करने की मर्यादा विश्वविद्याल

लगातार-21

की छवि और प्रतिष्ठा के दृष्टि से उचित माना लेकिन उन्होने यह बताया कि सारे प्रश्न को इस समय तत्कालिक स्थिति को देखते हुए समीक्षा योग्य माना जाना चाहिए उन्होने दो बातों पर प्रबन्ध मण्डल का ध्यान आकर्षित किया । उन्होने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो पुलिस जाँच का प्रकरण चल रहा है वो शांत तों अवश्य लगता था लेकिन उसकी गति पुनः तेज हो गई है। इस सम्बन्ध में स्थानीय न्यायालय एवं उच्च न्यायालयमें भी कई मुकदमें चल रहे है । इस समय उन विद्यार्थियों को जो की जाँच के अन्तर्गत है को डिग्री देना या न देना विश्वविद्यालय को असमंजस की स्थिति में डाल सकता है और सारा प्रकरण सब ज्यूडिश भी है पता नहीं कि वास्तविक परिणाम और मुकदमों के निर्णय क्या होगें। दूसरा मुद्दा उन्होने उठाया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद ने कोटा खुला विश्वविद्यालय की डिग्री को अमान्य घोषित कर दिया है इस के कारण 30 हजार विद्यार्थियों के रोजगार में अनिश्चितता आई है। कुलपति जी के प्रयत्नों की तो हम सराहना करते है। इस विषय में दिनांक 31-1-1997 को उच्च समिति की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में एक बैठक भी है परन्तु ऐसा मान लेना कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद तुरन्त अपनी घोषणा को वापस ले लेगा बहुत व्यावहारिक नहीं माना जाना चाहिए । संभव है कोई युक्ति निकले और पता नहीं कि वह युक्ति विश्वविद्यालय को कितनी सहायता करे, सारी स्थिति अनिश्चित है । सारे राज्य में इसकी चर्चा है । विद्यार्थी उत्तेजित है और नगर का एक समुह भी इस दिशा में सक्रिय हो गया है और विश्वविद्यालय के संचालन की दृष्टि से बड़ा दबाव व तनाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आने वाले तीन सप्ताह में विश्वविद्यालय के बचाव के लिए यदि विश्वविद्यालय के अनुकूल निर्णय नहीं हो जाता तो कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

प्रबन्ध मण्डल ने विषय की गहनता को देखते हुए एक समुचित व्याविहारिक दृष्टिकोण लेने के लिए विस्तृत विचार विमर्श किया और हर पहलू की अच्छाई और बुराई को देखते हुए सर्व सम्मति से कुलपति जी को यह सलाह दी की द्वितीय दीक्षान्त समारोह को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाना चाहिए।

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी विचार किया कि द्वितीय दीक्षान्त समारोह के स्थगित करने का निर्णय विश्वविद्यालय विशेषकर कुलपति जी को एक विचित्र स्थिति में अवश्य डालेगा क्योकि विदेश से एक महानुभाव को आमंत्रित किया

लगातार-22

गया है और कुलाधिपति जी से भी स्वीकृति ले ली गई है तथा विद्या परिषद में दीक्षा कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गया है जिस का प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन कर दिया है। इन सब तथ्यों को देखते हुए यह निश्चय है कि कुलपति जी दीक्षान्त समारोह के कुछ समय के लिए स्थगित करने के निश्चय से बहुत विचित्र स्थिति में तो अवश्य आते हैं परन्तु कुल मिलाकर वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिन पचड़ो में विश्वविद्यालय फसा पड़ा है को ध्यान में रखते हुए दीक्षान्त समारोह को कुछ समय के लिए स्थगित करना विश्वविद्यालय के लिए अधिक हितकर होगा। कुलपति जी ने प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के विचारों पर सहमति जताई और सर्व सम्मति से यह निश्चय लिया गया कि कुछ समय के लिए द्वितीय दीक्षान्त समारोह को स्थगित कर दिया जाए और इस निश्चय की घोषणा से पूर्व कुलपति जी अपने तरीके से कुलाधिपति जी से भी स्वीकृति लेकर जो विदेश से आने वाले महानुभाव है उनको सूचित करें तथा उनको समारोह स्थगित करने के निश्चय से जो कठिनाई होगी, उस के लिए प्रबन्ध मण्डल एवं समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से क्षमा याचना करे और उन्हें यह भी सूचित करे की प्रबन्ध मण्डल किसी विशेष मजबूरी के कारण ऐसा करने के लिए बाध्य है।

तत्पश्चात् आसन को धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई।

कुलसचिव
एवं
सचिव प्रबन्ध मण्डल

Approved
30/1/97

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

प्रबन्ध मण्डल की 38वीं बैठक दिनांक 05-04-97 का कार्यवाही विवरण

कोटा खुला विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की 38वीं बैठक दिनांक 05-04-1997 :शनिवार: को प्रात: 11.00 बजे कुलपति निवास कार्यालय, पुष्पा निवास, स्टेशन रोड़, कोटा में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुऐं:-

1.	प्रो. बी.एस. शर्मा कुलपति, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा ।	अध्यक्ष
2.	प्रो. जनार्दन झा सम-कुलपति, ई.गॉ.रॉ.मु.वि.वि., नई दिल्ली।	सदस्य
3.	प्रो. एच.एस. महला प्रोफेसर ग्रामीण विकास, ह.च.मा.लो.प्र.सं., जयपुर।	सदस्य
4.	डॉ. एस.के. वर्मा सेवानिवृत प्राचार्य, कोटा।	सदस्य
5.	डॉ. आर.वी. व्यास निदेशक, क्षेत्रीय सेवाऐं, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	सदस्य
6.	प्रो. पी.के. शर्मा प्रोफेसर ऑफ मेनेजमेन्ट, कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	सदस्य
7.	डॉ. (श्रीमती) अमृत वालिया निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, को.खु.वि.वि., जयपुर।	सदस्य
8.	श्री जे.एम. भटनागर, विशेषाधिकारी :समन्वय एवं विकास: को.खु.वि.वि., कोटा	विशेष आमंत्रित
9.	श्री बी.एम. भार्गव, वित्त अधिकारी, को.खु.वि.वि., कोटा	विशेष आमंत्रित
10.	श्री एम.सी. शर्मा, कुलसचिव को.खु.वि.वि., कोटा।	सचिव, प्रबन्ध मण्डल

लगातार----2

दो सदस्य डॉ. आदर्श किशोर , वित्त सचिव एवं श्री अनिल वैश्य, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर की उपस्थिति संभव नही हो सकी।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने 38वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक में उपस्थित सदस्यों का अभिनन्दन किया। तदुपरान्त बैठक का स्थान परिवर्तन करने के कारण का स्पष्टीकरण देते हुए सदस्यों से कष्ट के लिए क्षमा याचना की। कार्यसूची के अनुसार चर्चा प्रारम्भ करने से पूर्व अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को सूचित किया कि कोटा खुला विश्वविद्यालय के पूर्व निदेशक तथा प्रबन्ध मण्डल के पूर्व सदस्य श्री योगेश्वर शर्मा का देहावसान दिनांक 11-02-1997 को हो गया है । इस सूचना की प्राप्ति पर प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने संवेदना सहित स्वर्गीय श्री योगेश्वर शर्मा द्वारा उनके सेवाकाल में दिये गए विशिष्ट योगदान एवं सेवाओ का स्मरण कर प्रशंसा की। स्व0 श्री शर्मा के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति महोदय को अधिकृत किया कि इस सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल की ओर से शोक संतप्त परिवार को एक संवेदना संदेश भेजा जावें। तदुपरान्त प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने स्व0 श्री योगेश्वर शर्मा के सम्मान में दो मिनट का मौन रखकर अपनी श्रद्धाजंलि अर्पित की।

कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष जी ने प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को निम्नलिखित तथ्यों से भी अवगत करवाया :-

(1) अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल को सूचित किया कि उनके यहाँ कार्यभार सम्भालने के समय जो विश्वविद्यालय की स्थिति थी, उससे तो आप सब ही परिचित हैं। निष्कर्ष रूप में विश्वविद्यालय अपने कर्तव्यों में कई प्रकार से पिछड़ा हुआ था । पिछड़ेपन के मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों से सम्बन्धित तीन प्रकार की योजनाऐं बनीं जो क्रमशः इस प्रकार है :-

i ! प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा एवं विशिष्ठ परीक्षाओ का आयोजन ।
ii ! पठन-पाठन सामग्री का उत्पादन और उचित वितरण ।
iii ! क्षेत्रीय सेवाओ को सक्रिय करना ।

लगातार--3

प्रारम्भ में प्राथमिकता इसी पिछड़ेपन को दूर करने हेतु तय की गई एवं योजनाबद्ध आधार पर प्रथम 18 माह में इसे पूरा किया गया । साथ ही जो संरचनात्मक कमियाँ थीं, उनको दूर करने का कार्य भी हाथ में लिया गया । इनमें, अर्द्धनिर्मित भवनों को पूरा करवाना, पठन-पाठन सामग्री को पद्धतिबद्ध करने हेतु भवन बनवाना, प्रवेश एवं परीक्षा तथा क्षेत्रीय सेवाओं के भवनों को पूरा करवाना इत्यादि । साथ ही विश्वविद्यालय को मल्टी-मिडिया बनाने के लिए भी चिन्तन का काम प्रारम्भ हुआ और विशेषज्ञ समितियों की इसके लिए विभिन्न बैठकें हुई । इन सबके बावजूद वित्तीय प्रबन्ध के पिछड़ेपन को भी दूर करना आवश्यक था । इसमें दो विशिष्ट अंकेक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना शेष थी और लगभग 5 वर्षों का ऑडिट भी बाकी था । अध्यक्ष जी ने प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया कि यह बड़े हर्ष की बात है कि विश्वविद्यालय में अब किसी भी प्रकार के अंकेक्षण की अनुपालना का कार्य बाकी नहीं है । साथ ही, आज प्रबन्ध मण्डल जिस 18वीं वित्त समिति के कार्यवाही विवरण पर विचार कर रहा है, उसका अनुमोदन भी किया जाना है और इसी के साथ जो दोनों विशिष्ट अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा उससे सम्बन्धित 18वीं वित्त समिति का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । यह हर्ष का विषय है कि वित्तीय प्रबन्ध की दृष्टि से जो वैधानिक आवश्यकतायें हैं और जो विश्वविद्यालय के कर्तव्य हैं, वे इन प्रतिवेदनों की प्रस्तुति से पूरे हो जाते है । यह भी हर्ष का विषय है कि इस दृष्टि से यदि तुलनात्मक दृष्टिकोण लिया जावें तो विश्वविद्यालय अब इस दिशा में सबसे आगे है। कुलपति जी ने प्रबन्ध मण्डल को यह भी अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में वित्त अधिकारी और उनके कार्मिकों ने बहुत परिश्रम किया है और सारी पत्रावली का वर्गीकरण वार्षिक आधार पर पूर्ण हो जाने के कारण यह सम्भव हो सका है। ऐसी आशा की जाती है कि वार्षिक अंकेक्षण 1996-97 भी माह अक्टूबर, 1997 तक पूर्ण हो जावेगा। प्रबन्ध मण्डल ने इस प्रगति की जानकारी प्राप्त कर प्रसन्नता व्यक्त की और विश्वविद्यालय के कार्यों को सराहा ।

प्रबन्ध मण्डल ने संतोष प्रकट किया कि नियोजित आधार पर परीक्षायें करवाई जा रही है और अब परीक्षायें समाप्त होने के 60 दिवसों में ही परिणाम घोषित करने की नीति बनाई गई है । जिस प्रकार अब विश्वविद्यालय चल रहा है, एक प्रेरणा का विषय है । अध्यक्ष जी की इस सूचना पर भी प्रबन्ध मण्डल ने संतोष व्यक्त किया कि अब किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार का पिछड़ापन विश्वविद्यालय में नहीं है । विश्वविद्यालय प्रशासन, वित्तीय प्रबन्ध और शैक्षणिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रहे

लगातार--4

हैं। एक सन्तोषजनक स्थिति यह भी है कि पठन-पाठन सामग्री उत्पादन और वितरण समयबद्ध चल रहा है ।

:2: अध्यक्ष जी ने प्रबन्ध मण्डल को यह भी अवगत कराया कि प्रथम दीक्षांत समारोह के समय यह घोषणा की गई थी कि विश्वविद्यालय अब अपना विकास तकनीकी दृष्टि से करेगा । तकनीकी विकास का कार्य प्रारम्भ हो गया है। दिनांक 27 मार्च, 1997 को औपचारिक आधार पर इलेक्ट्रोनिक मिडिया प्रोडक्शन सेन्टर, इन्दिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से अनुबन्ध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिसके अन्तर्गत स्टुडिओ के तकनीकी विकास के लिये रु0 1.2 करोड़ की योजना है। इसका काम इलेक्ट्रोनिक मिडिया प्रोडक्शन सेन्टर, इन्दिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली करेगा। प्रबन्ध मण्डल को यह भी सूचित किया गया कि स्टुडिओ के सिविल कन्स्ट्रक्शन का कार्य जो लगभग रु0 90 लाख का होना है, 60 से 70 फीसदी पूर्ण हो गया है और 31 मई, 1997 तक पूरा हो जावेगा । सिविल कन्स्ट्रक्शन का कार्य पूरा हो जाने पर इलेक्ट्रोनिक मिडिया प्रोडक्शन सेन्टर, नई दिल्ली को यह स्टुडिओ तकनीकी संयत्रों तथा अन्य कार्यों के लिए सौंप दिया जावेगा । इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रोनिक मिडिया प्रोडक्शन सेन्टर, नई दिल्ली को रु0 30 लाख अपने स्त्रोतों से और रु0 30 लाख दूरस्थ शिक्षा परिषद् के अनुदान से :कुल मिलकार रु0 60 लाख: भी दे दिये है । अध्यक्ष जी ने प्रबन्ध मण्डल को यह भी अवगत कराया कि कम्प्यूटर नेटवर्किंग का कार्य प्रबन्ध मण्डल के आदेशानुसार प्रारम्भ कर दिया गया है । यह कार्य सी.एम.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली जो भारत सरकार का उपक्रम है, के सहयोग से अक्टूबर, 1997 तक पूरा हो जावेगा। इसकी लागत लगभग रु0 45 लाख आवेगी तथा इस हेतु दूरस्थ शिक्षा परिषद् से पूरा अनुदान भी प्राप्त हो चुका है । अध्यक्ष जी ने प्रबन्ध मण्डल को सूचित करते हुए हर्ष व्यक्त किया कि कोटा खुला विश्वविद्यालय डाउन-लिन्किंग कार्यक्रम के आधार पर इलेक्ट्रोनिक मिडिया प्रोडक्शन सेन्टर के माध्यम से टेली-कॉन्फ्रेन्सिंग के लिए सेटेलाइट से भी जुड़ गया है और विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र भी इससे जोड़े जा रहे है । तीन क्षेत्रीय केन्द्रों का काम पूरा हो गया है और इस माह के अन्त तक बाकी तीन क्षेत्रीय केन्द्रों में भी यह काम पूरा हो जावेगा । इन सब तकनीकी उपकरणों के कार्य की पूर्णता के उपरान्त कोटा खुला विश्वविद्यालय इस तकनीकी संरचनात्मक स्थिति पर आ जावेगा कि ओडियो-विडियो उत्पादन, टेली-कॉन्फ्रेंसिंग तथा कम्प्यूटर नेट-वर्किंग के द्वारा

लगातार--5

यह एक ऐसा स्थान बन सकेगा जिसके आधार पर और अधिक तकनीकी विकास सम्बन्धित हिन्दी क्षेत्रों के लिए सम्भव हो सकेगा।

3। अध्यक्ष जी ने प्रबन्ध मण्डल को यह भी अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 1996-97 में दूरस्थ शिक्षा परिषद् से कुल अनुदान रु0 95 लाख प्राप्त होना था, वह प्राप्त हो गया है।

विश्वविद्यालय की उपर्युक्त वर्णित प्रगति को देखते हुए दूरस्थ शिक्षा परिषद् से बिना माँगे ही रु0 28 लाख का अतिरिक्त अनुदान और प्राप्त हुआ है । साथ ही कुलपति कार्यालय के तकनीकीकरण के लिए रु0 1लाख का अनुदान और प्राप्त हुआ है। इन सब अनुदानों में यदि डाउन-लिन्किंग का रु0 7लाख एवं अन-असाइन्ड ग्रान्ट का रु0 3लाख और जोड़ दिया जावें तो कुल अनुदान रु0 134 लाख हो जाता है, जो पूरा प्राप्त हो गया है । अध्यक्ष जी ने प्रबन्ध मण्डल को यह भी अवगत कराया कि दूरस्थ शिक्षा परिषद् केवल तकनीकी विकास के लिए ही सहायता नहीं दे रही है, उन्होनें विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए भी लगभग रु0 1.5 लाख शोध कार्य के लिए अनुदानित किए है ।

प्रबन्ध मण्डल ने अनुदान से सम्बन्धित जानकारी पर हर्ष ही व्यक्त नहीं किया बल्कि अध्यक्ष जी से यह भी कहा कि वे प्रबन्ध मण्डल की ओर से दूरस्थ शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष को आभार प्रकट करते हुए यह भी सूचित करें कि जो विश्वास उन्होंने कोटा खुला विश्वविद्यालय के विकास के लिए अनुदान देकर इस संस्था में व्यक्त किया है, वह निरन्तर बना रहेगा तथा प्रबन्ध मण्डल दूरस्थ शिक्षा परिषद् को आश्वस्त करता है कि विश्वविद्यालय अपना कार्य हमेशा इसी प्रकार सुचारू रूप में संचालित करता रहेगा ।

4। अध्यक्ष जी ने प्रबन्ध मण्डल को यह भी सूचित किया कि विश्वविद्यालय की बी.एड. डिग्री की मान्यता का जो प्रकरण लम्बित है और जिस पर प्रबन्ध मण्डल ने एक विशिष्ट बैठक में विचार किया था, अब उसकी स्थिति निम्नानुसार है :-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं दूरस्थ शिक्षा परिषद् की एक संयुक्त समिति गठित हुई है जो इस प्रकरण को देखेगी । अब हमारी डिग्री की अमान्यता का कोई भय नहीं है । दूरस्थ शिक्षा के नेट-वर्किंग के लिए हम दूरस्थ शिक्षा परिषद् से ही जुड़े

लगातार--6

रहेंगे और उनके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से परामर्श के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित होता रहेगा । अध्यक्ष जी ने यह भी बताया कि शीघ्र ही यह संयुक्त समिति विश्वविद्यालय में आने वाली भी है और तदुपरान्त स्थिति पूर्णतया सार्वजनिक दृष्टि से भी स्पष्ट हो जावेगी। प्रबन्ध मण्डल ने अध्यक्ष जी के सारे प्रयास को सराहा और इस पर संतोष व्यक्त किया ।

तदुपरान्त कार्य सूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/1
प्रबन्ध मण्डल की 37वीं बैठक दिनांक 28-1-1997 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करना ।

सर्वसम्मति से प्रबन्ध मण्डल की 37वीं बैठक दिनांक 28-1-1997 के कार्यवाही विववरण की पुष्टि की गई ।

कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/2
प्रबन्ध मण्डल की 37वीं बैठक दिनांक 28-1-1997 के निर्णयों पर पालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ ।

प्रबन्ध मण्डल ने 37वीं बैठक दिनांक 28-1-1997 के कार्यवाही विवरण की अनुपालना पर संतोष व्यक्त किया एवं नोट किया ।

कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/3
मुद्रण सलाहकार समिति की 7वीं बैठक दिनांक 1-3-1997 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

सर्वसम्मति से प्रबन्ध मण्डल ने मुद्रण सलाहकार समिति की 7वीं बैठक दिनांक 1-3-1997 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया ।

कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/4
वित्त समिति की 18वीं बैठक दिनांक 3-4-1997 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

लगातार--7

प्रबन्ध मण्डल ने सर्व-सम्मति से वित्त समिति की 18वीं बैठक दिनांक 3-4-1997 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया । वित्त समिति के कार्यवाही विवरण पर विचार करते समय यह उल्लेख किया गया कि वित्त समिति की इस बैठक में 15वीं, 16वीं:आपातकालीन: तथा 17वीं बैठकें के कार्यवाही विवरण जो कि क्रमश: दिनांक 25-5-1996, 30-8-1996 एवं 11-10-1996 के थे, अनुमोदन कि लिये विचाराध थे। यह विशिष्टता इसलिए थी कि ये बैठकें लगातार विशेषकर 16वीं एवं 17वीं बैठक विशिष्ट अंकेक्षण अनुपालना प्रतिवेदन से सम्बन्धित थी और अनुमोदन तब ही हो सकता था, जब यह कार्य सारा पूर्ण हो जाता । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि चर्चा के दौरान विशिष्ट सचिव:वित्त: तथा उपसचिव:वित्त: का यह सुझाव था कि प्रतिवेदन बहुत बड़ा है और एक ही बैठक में सारी मदों पर विचार नहीं हो सकता । यह भी सुझाव दिया गया कि वित्त अधिकारी राजकीय अधिकारियों से हर मद पर वार्तालाप करें और उसके आधार पर अन्य मदों पर अपने मत प्रकट कर 17वीं बैठक में लायें । वित्त अधिकारी, श्री के.पी. गर्ग ने इसका अनुसरण किया और उसके आधार पर जो मदें 16वीं बैठक में पूरी तरह चर्चित नहीं हो सकी थी, उस पर अगली बैठक में विचार हेतु रखी गई तथा जिस पर वित्त समिति ने विचार किया ।

प्रबन्ध मण्डल ने इस उपुर्यक्त विवरण को नोट किया और 15वीं, 16वीं और 17वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का पूर्णत: अनुमोदन कर दिया। साथ ही यह भी चाहा कि मूल अनुपालना प्रतिवेदन के साथ जो सम्बन्धित वित्त समितियों की बैठकों के जो कार्यवाही विवरण हैं, उन्हें भी राज्य सरकार को भेज दिया जावें । परन्तु प्रबन्ध मण्डल ने एक विशिष्ट मद पर विस्तृत चर्चा की । यह विशिष्ट मद विशिष्ट अंकेक्षण दल द्वारा दिये गये पैरा-64 से सम्बन्धित है जो प्रोफेसर एस.एन. दुबे, निदेशक:विज्ञान एवं तकनीकी: के नियमित वेतन निर्धारण से सम्बन्धित है । इस मद पर विस्तृत चर्चा की गई । वित्त समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया गया और पत्रावली पर आधारित जो अन्य तथ्य थे, उन पर भी गहनता से विचार किया गया । यह निर्णय लिया गया कि इस पैरा के अतिरिक्त अन्य सभी पैराग्राफों पर वित्त समिति की सिफारिशों को प्रबन्ध मण्डल अनुमोदित करता है । इसकी सूचना राज्य सरकार को दे दी जावें। जहाँ तक पैराग्राफ :पैरा-64: का प्रश्न है, प्रबन्ध मण्डल अपना अनुमोदन कुछ और समय लेकर देना चाहेगा क्योंकि चर्चा के आधार पर यह बहुत ही पेंचीदा मद प्रतीत होती है ।

लगातार--8

चर्चा के दौरान निम्नलिखित तथ्य उभर कर आये :-

i) प्रोफेसर एस.एन.दुबे के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में विशिष्ट अंकेक्षण दल ने जो आक्षेप लगाया है और जैसाकि वित्त समिति भी उनसे राशि वसूल करने का जो दृष्टिकोण रखती है, एक बहुत विचारणीय प्रश्न है क्योंकि इसमें त्रुटि सिर्फ प्रोफेसर दुबे की ही नहीं है । प्रबन्ध मण्डल ने यह भी उचित समझा कि इस विषय पर और अधिक जानकारी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने निम्नलिखित निर्णय लिये :-

(अ) वित्त समिति की सिफारिश के आधार पर वित्त विभाग पहले यह मूल्यांकन करें कि प्रोफेसर दुबे से कितनी राशि वसूल की जानी है ?

(ब) जितना रुपया वसूल किया जाना है तथा इसके साथ ही विशिष्ट अंकेक्षण दल ने और वित्त समिति ने जो चाहा है, उस सम्बन्ध में प्रोफेसर दुबे को सूचित किया जावें और उनसे पूछा जावें कि वे वसूली के सम्बन्ध में अपना क्या मत देना चाहते है ?

ii) उपर्युक्त तथ्य प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में मूल पत्रावली के साथ प्रस्तुत किये जावें ताकि प्रबन्ध मण्डल विशिष्ट अंकेक्षण दल तथा वित्त समिति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले सके ।

कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/5

माननीय कुलपति महोदय द्वारा धारा 8(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा विभाग के कर्मचारियों को जुलाई/अगस्त, 1996 की परीक्षा आयोजन के समय ओवरटाइम भत्ता दिये जाने के आदेश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

सर्व-सम्मति से प्रबन्ध मण्डल ने इसका अनुमोदन किया ।

कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/6

माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्री के.पी. गर्ग, भूतपूर्व खिल अधिकारी को मकान किराये भत्ते की स्वीकृति दिये जाने एवं फेयर रेन्ट सर्टिफिकेट की शर्त में छूट दिये जाने का बिन्दु अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

सर्व-सम्मति से प्रबन्ध मण्डल ने इसका अनुमोदन किया ।

लगातार--9

<u>कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/7</u>
प्रवेश विभाग में वर्ष 1997 के उपयोग में नहीं आये प्रवेश फार्मों को विवरणिका के रूप में विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी चाहने वाले विद्यार्थियों को निशुल्क भेजने के बारे में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

इसको ड्रोप्ड किया गया ।

<u>कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/8</u>
प्रबन्ध मण्डल की 37वीं बैठक के टेबिल आइटम संख्या 37/20 के तहत हुए निर्णय के अनुसरण में स्टॉप गेप व्यवस्था के आधार पर कुलसचिव के पद पर 6 माह के लिए श्री एम.सी. शर्मा, वरिष्ठतम उपकुलसचिव के नियुक्ति आदेश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

प्रबन्ध मण्डल ने इसे नोट किया ।

<u>कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/9</u>
माह मार्च-अप्रैल, 1998 में छः माह के लिये आयोजित इण्डो-जरमन एक्सचेन्ज कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोफेसर एल.एन. गुप्ता, प्रोफेसर अर्थशास्त्र का प्रार्थना पत्र भेजा गया जो सूचनार्थ प्रस्तुत हैं ।

सर्व-सम्मति से प्रबन्ध मण्डल ने इसका अनुमोदन किया ।

<u>कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/10</u>
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर के भवन का किराया कोटा खुला विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने का मामला अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ ।

इस मद से सम्बन्धित विवरण को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष जी ने इसके सम्बन्ध में ऐतिहासिक भूमिका प्रबन्ध मण्डल के सम्मुख रखी । सारी समस्या पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किये :-

लगातार--10

1: शुद्ध रूप में तो राज्य सरकार और इन्दिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के मध्य ही इस विषय पर सीधा सम्पर्क होना चाहिये तथा राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई प्रत्यक्ष व्यवस्था करें ।

2: इन्दिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली कोटा खुला विश्वविवद्यालय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का काम करती है । प्रारम्भ में यह वर्णन भी किया जा चुका है कि कोटा खुला विश्वविद्यालय के विकास के लिये पिछले वित्तीय वर्ष में भारी अनुदान भी दिया गया है। इन्दिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जयपुर क्षेत्रीय केन्द्र के भवन का किराया एक बहुत ही छोटी राशि है और एक विकट स्थिति उत्पन्न होती है कि अनुदान देने वाली संस्था अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था से किराया प्राप्त करें ।

3: राज्य सरकार स्वीकृत अनुदान भी कोटा खुला विश्वविद्यालय को पूरा नहीं देती है। इस बार भी गैर-योजना मद लगभग एक तिहाई ही दी गई है जो कि कर्मचारियों के वेतन के लिये भी पूरी नहीं है । ऐसी स्थिति में जयपुर क्षेत्रीय केन्द्र का भवन जो इन्दिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का है, के किराये का भार कोटा खुला विश्वविद्यालय पर ही होगा । अतः उचित यही होगा कि इन्दिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ऐसा कदम उठाये ताकि राज्य सरकार सीधे ही अपना उत्तरदायित्व पूरा करें और जब तक यह सम्भव न हो, तब तक, क्योंकि कोटा खुला विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था है, इसलिए उसे इस भार से मुक्त किया जाकर इन्दिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्वंय ही वहन करें ।

प्रबन्ध मण्डल ने यह चाहा कि उपर्युक्त विचार से राज्य सरकार एवं इन्दिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को अवगत करवाया जावें और यह निवेदन किया जावें कि कोटा खुला विश्वविद्यालय को इस भार से मुक्त किया जावें ।

कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/11

विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत किये जाने बाबत श्री राजेश कुमार गुप्ता का प्रार्थना पत्र अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

प्रबन्ध मण्डल ने यह चाहा कि इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा बनाये हुए विशेष असमर्थता अवकाश सम्बन्धी नियमों का पालन किया जावें । जहाँ तक श्री राजेश कुमार गुप्ता की प्रार्थना का प्रश्न है, प्रबन्ध मण्डल ने चाहा

लगातार--11

कि राज्य सरकार के नियमों के अनुसार इस प्रकरण को प्रबन्ध मण्डल के विचारार्थ सम्पूर्ण तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुए एक नोट के रूप में प्रस्तुत किया जावे ।

कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/12

जन्म दिनांक के अनुसार इन्टर से वरिष्ठता के आधार पर श्री चन्द्र प्रकाश सुमन, च.श्रे.क. की वरिष्ठता निर्धारण की प्रार्थना अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

प्रबन्ध मण्डल ने इस विषय पर पूर्णतया विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया कि वरिष्ठता सम्बन्धी जो विश्वविद्यालय के नियम है, उन्हीं के अनुसार कार्यवाही की जावे एवं किसी भी स्थिति में व्यक्ति विशेष के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया जावें ।

कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/13

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पदनाम को कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदनाम में परिवर्तित करने एवं तदानुसार वेतन श्रृंखला श्री धर्मेन्द्र राठोर को दिये जाने का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

प्रबन्ध मण्डल ने इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन के आधार पर यह माना कि पदनाम परिवर्तित बहुत पहले ही हो जाना चाहिये था । विशेषकर, इस सम्बन्ध में जबकि 1992-93 की बी.एफ.सी. :राज्य सरकार: ने अनुमति दे दी थी कि डॉटा एन्ट्री असिस्टेन्ट के बजाय पदनाम कम्प्यूटर ऑपरेटर कर दिया जाए । सारे तथ्यों को देखते हुए प्रबन्ध मण्डल ने यह चाहा कि 1992-93 :राज्य सरकार: की पत्रावली को देखते हुए यह पदनाम प्रशासनिक कार्यवाही द्वारा परिवर्तित कर दिया जाए और परिवर्तन की सूचना प्रबन्ध मण्डल को प्रस्तुत की जावे ।

कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/14

डॉ. आर.वी. व्यास, निदेशक, क्षेत्रीय सेवाओं के बारे में उनकी पूर्व की सेवाओं की पेन्शन हेतु गणना, वेतन निर्धारण, भविष्य निधी राशि का इनको भुगतान आदि मामलों पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति का प्रतिवेदन विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

लगातार--12

सर्व-सम्मति से प्रबन्ध मण्डल ने माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन को अनुमोदित कर दिया और यह भी निर्णय लिया कि विशेषाधिकारी (उच्च शिक्षा), राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.7 (6) शिक्षा / 4 / 93 दिनांक 19-02-1997 के साथ संलग्न दो परिपत्र संख्या प.1(28)FD(Gr.2)/85 दिनांक 23-09-1988 एवं प.1(28)FD(Gr.2)/85 दिनांक 19-08-89 को भी पेंशन नियमों का भाग बना लिया जावें और उसके आधार पर प्रबन्ध मण्डल यह उचित समझता है कि डॉ. आर.वी. व्यास, निदेशक(क्षेत्रीय सेवाओं) को पेंशन निर्धारण के लिए उनकी पूर्व सेवाओं का लाभ प्रदान कर दिया जावे तथा की गई कार्यवाही की सूचना राज्य सरकार को भी भेजी जावे। उल्लेख है कि इस मद की चर्चा के दौरान डॉ. आर.वी. व्यास बैठक कक्ष से बाहर रहे।

कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/15

राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप ही को.खु.वि.वि. में भी चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से कनिष्ठ लिपिक के संवर्ग में पदोन्नति का कोटा 10% से 15% बढ़ाने एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से वाहन चालक के पदों पर पदोन्नति/चयन हेतु 10% कोटा निर्धारण करने के मामले विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्व-सम्मति से इसका अनुमोदन कर दिया।

कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/16

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जमादार एवं दफ्तरी के पदों पर पदोन्नति के लिए चतुर्थ श्रेणी के वर्तमान पदों में से ही 10% पद को उन्नयन करने का मामला विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

पूर्णतया विचार करने के उपरान्त तथा विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रबन्ध मण्डल ने यह उचित समझा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को पदों के सृजन या उन्नयन हेतु लिखा जावे और यदि राज्य सरकार की इस हेतु स्वीकृति प्राप्त हो जावें तो उस पर विचार किया जावे।

कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/17

अनुभागाधिकारी एवं सहायक के पदों को 100% पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्व-सम्मति से इसका अनुमोदन कर दिया।

लगातार--13

कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/18

प्रबन्ध मण्डल की पूर्व 37वीं बैठक के बिन्दु संख्या 37/17 में लिए गए निर्णय के क्रम में नवीन कुलपति निवास की फर्नीशिंग या अन्य सुवाधाऐं उपलब्ध कराने के तथ्यों के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्व-सम्मति से इसका अनुमोदन कर दिया ।

कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/19

प्रबन्ध मण्डल की 37वीं बैठक दिनांक 28-1-1997 के बिन्दु संख्या 37/21 के निर्णय के तहत कुलाधिपति सचिवालय के पत्रों के साथ अनुलग्नक डॉ. एम.एल. गुप्ता के पत्रों के प्रकरण में गठित समिति का प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

इस मद के क्रम में प्रबन्ध मण्डल की 37वीं बैठक दिनांक 28-1-1997 के बिन्दु संख्या 37/21 के अन्तर्गत प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन अधिकृत रूप से तैयार करवाकर कुलसचिव ने विशेष वाहकों द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदय के मनोनीत प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों डॉ. एस.के. वर्मा तथा डॉ. एच.एस. महला को क्रमशः पत्र संख्या 1470 दिनांक 20-03-1997 एवं पत्र संख्या 1471 दिनांक 20-03-1997 के साथ प्रेषित किया था । डॉ. एस.के. वर्मा तथा डॉ. एच.एस. महला :माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा मनोनीत प्रबन्ध मण्डल के सदस्य: ने उक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन पर संयुक्त टिप्पण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया और चूँकि इसकी केवल दो ही प्रतिलिपियाँ थी, इसलिए कुलसचिव ने इसको प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को पढ़कर सुनाया जिसके क्रियात्मक अंश निम्न प्रकार है :-

"After going through the replies prepared by Vice-Chancellor's Sectt. and approved by the Vice-Chancellor and discussing the matter thoroughly; the oommittee observes :-

1: The replies prepared by the V.C. Sectt. and approved by the Vice-Chancellor are based on the statements of the Unit Heads and

Contd..14

office procedures followed which are supported by the different enclosures. It seems to reveal the truth related with the matters concerned.

2) It is, further, observed that in a critical situation, in order to enhance the activities and working of the University, the Vice-Chancellor constituted committees, which included experts, concerned with the matters involved. He took decisions guided by the recommendations of the committees concerned. He hardly took any decision himself individually in the critical situations. This procedural transparency appears establashing the position of the Vice-Chancellor beyond doubt.

3) However, involvement of a senior faculty member in such type of activities is not appreciable. It would have been better, had he enquired about the facts by discussing directly with the concerned Unit Heads or the Vice-Chancellor personally.

4) A check on involvements in such activities of the faculty members or any employee of the University needs immediate attention and necessary exemplary action.

5) This will help to improve the viscous atmosphere and inertial state of affairs much prevailing over the University since long. To create an environment of homogeneity, cooperation and creativity in the University is essential now."

Contd..15

यह उल्लेखनीय है कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक के पूर्व जो प्रतिवेदन कुलसचिव ने माननीय कुलाधिपति जी के दोनों सदस्यों को भेजे थे, वे प्रबन्ध मण्डल के अन्य सदस्यों को भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये गये ।

इस मद पर प्रबन्ध मण्डल की 37वीं बैठक के अन्तर्गत चर्चा एवं निश्चयों के विवरण को ध्यान में रखते हुए तथा माननीय कुलाधिपति जी के मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई । चर्चा के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्य एवं प्रश्न उभरकर विचारार्थ आये :-

1: आरोपवार तथ्यात्मक टिप्पण को देखते हुए तथा 37वीं बैठक में कुलपति के विचार को दृष्टिगत रखते हुए प्रबन्ध मण्डल क्या कोई निश्चित आदेश देगा ताकि इस प्रकार की प्रवृत्ति बन्द हो और विश्वविद्यालय का अनावश्यक कार्यों में अपना समय बरबाद न हो ।

2: तथ्यात्मक टिप्पण एक अधिकृत दस्तावेज है और इसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि लगाऐ गऐ आरोप आधारहीन एवं कल्पित है। उदाहरणार्थ कुलपति निवास की लागत रू0 35 लाख, डॉ. गजराज धनराजन द्वारा दीक्षांत समारोह पर की गई यात्रा पर लाखों रूपयों का खर्चा, फैक्स मशीनों पर खर्चा, कुलपति निवास पर रेफ्रीजरेटर नया लगवाना इत्यादि । इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति गलत आरोप लगाकर विश्वविद्यालय को सार्वजनिक दृष्टि में अपमानजनक स्थिति में ला सकता है । ऐसी स्थिति में सेवा नियमों के अनुसार कार्यवाही होना उचित है या नहीं ?

3: श्री एम.एल. गुप्ता एक स्वेच्छाशील संस्था के पदाधिकारी का रूप धारण कर कुछ भी कर सकते हैं। क्या यह एक अध्यापक का कार्य है और क्या उन्होंने सेवा नियमों का उल्लघंन नहीं किया ?

4: क्या प्रबन्ध मण्डल इस पर भी विचार करेगा कि इस विश्वविद्यालय के अध्यापकों का क्या उत्तरदायित्व है और उसके लिए क्या विधि-विधान है ताकि ये अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके ।

इन प्रश्नों से सम्बन्धित 37वीं बैठक में भी प्रबन्ध मण्डल ने अपने विचार स्पष्ट किये थे और माननीय कुलाधिपति जी द्वारा मनोनीत दोनों

लगातार--16

सदस्यों के प्रतिवेदन में भी इस पर स्पष्ट जोर है जो अमल में लाऐ जाऐ। इस आधार पर प्रबन्ध मण्डल ने निम्नलिखित निश्चय लिए :-

1: जिस प्रकार की प्रवृत्ति का इस तथ्यात्मक प्रतिवेदन में प्रदर्शित होती है और जिससे विश्वविद्यालय के मान, काम एवं समय की क्षति होती है, इसको रोकने का हर प्रकार का प्रयास आवश्यक है और इसको 37 वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भी स्पष्ट कर दिया गया है और उसी आधार पर कार्यवाही होना विश्वविद्यालय के हित में है

2: नियमों की पूर्णतया पालना होनी चाहिये और नियमानुसार जो भी दोषी हो, उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की जानी चाहिए ।

3: शिक्षकों को शिक्षा के कार्य ही करने चाहिये । इस सम्बन्ध में शिक्षकों के कार्य सम्बन्धी मानक :नोरम्स: और उनको लागू करने का प्रावधान भी नियमों में होना चाहिये । इन्दिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने इस दिशा में कुछ कार्य किये हैं। यह प्रकरण एक कार्य समिति को सौंपा जावें और कार्य समिति से यह भी निवेदन किया जावें कि वे शीघ्रातिशीघ्र अपने विचार इस सम्बन्ध में प्रस्तुत करें । इस सम्बन्ध में कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया कि वे अध्यापकों के लिए एक "वर्किंग नोर्म कमेटी" का गठन करें ।

कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/20

प्रबन्ध मण्डल की पूर्व बैठकों के निर्णयों के क्रम में स्टुडियों उपकरणों की आपूर्ति, एवं स्थापित करने के बारे में ई.एम.पी.सी., इन्दिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से किया गया अनुबन्ध सूचनार्थ ।

प्रबन्ध मण्डल ने नोट किया ।

लगातार---17

कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/21

विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रिवेदन राज्य सरकार/राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रावधानानुसार प्रपत्र अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

इस मद में चूंकि शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक दोनों ही प्रकार के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित वार्षिक कार्य मूल्यांकन होना है, अतः प्रबन्ध मण्डल ने शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अलग-अलग निम्न समितियाँ गठित करने का निर्णय लिया गया :-

शैक्षणिक कार्मिकों के लिए

1: प्रोफेसर एम.वी. माथुर — अध्यक्ष
पूर्व कुलपति- राज0 विश्वविद्यालय, जयपुर

2: डॉ. जी.डी. शर्मा — सदस्य
सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली

3: प्रो. राकेश खुराना — सदस्य
सम-कुलपति, इन्दिरागाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

अशैक्षणिक कार्मिकों के लिए

1: डॉ. आर.के. छाबड़ा — अध्यक्ष
पूर्व सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली

2: डॉ. आर.वी. व्यास — सदस्य
निदेशक: क्षेत्रीय सेवायें:
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

दोनों ही समितियों के लिए विश्वविद्यालय के कुलसचिव सदस्य सचिव का कार्य करेंगे ।

लगातार--18

कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/22
विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अभिशंषाओ के क्रम में वरिष्ठ लिपिक से सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए श्री रामफूल मीणा, वरिष्ठ लिपिक को अनुभव में एक वर्ष की छूट का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

प्रबन्ध मण्डल ने स्थिति पर पूर्णतया विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया कि वर्तमान नियमों के अनुसार ही कार्य हो और अनुभव सम्बन्धी कोइ भी विशेष छूट नहीं दी जावें ।

अन्य बिन्दु

कार्यवाही बिन्दु संख्या-38/23
डॉ. आर.एल. शर्मा के निलम्बन से सम्बन्धित कार्यवाही एवं जाँच कार्य विचारार्थ ।

यह प्रकरण 37वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक के बिन्दु संख्या 37/15 के अन्तर्गत भी चर्चित हुआ था । उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कुलपति महोदय द्वारा की गई कार्यवाही अनुमोदित है और नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे । प्रबन्ध मण्डल को सूचित किया गया कि पत्रावली में कुलपति महोदय ने यह निर्णय लिया था कि श्री सुरेश एच. माथुर को जाँच अधिकारी बना दिया जावे । यह भी उल्लेख किया गया था कि विश्वविद्यालय में कार्मिकों की कमी है, अतः इस प्रकरण का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र करने एवं कार्मिकों की उपलब्धि की दृष्टि से कोइ विकल्प भी सोचा जाए । सारी स्थिति का जायजा लेने के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने यह निर्णय लिया कि किसी सेवा निवृत्त अधिकारी से जाँच शीघ्रातिशीघ्र पूरी करवाई जावें और उसके उपरान्त ही जो भी उचित निर्णय लेना हो, लिया जावें ।

तत्पश्चात् आसन को धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई ।

कुलसचिव
एवं
सचिव, प्रबन्ध मण्डल

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की 39वीं बैठक दिनांक 29.05.97 का कार्यवाही विवरण

कोटा खुला विश्वविद्यालय की 39वीं बैठक दिनांक **29.05.97** शुक्रवार को प्रातः **11.00** बजे क्षेत्रीय केन्द्र कार्यालय, जयपुर में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. बी.एस. शर्मा कुलपति कोटा खुला विश्वविद्यालय	अध्यक्ष
2.	प्रो. एच.एस. महला प्रोफेसर, ग्रामीण विकास, ह.च.मा.रा.ली.प्र.सं. जयपुर	सदस्य
3.	डॉ. एस.के. वर्मा सेवा निवृत्त प्राचार्य कोटा	सदस्य
4.	डॉ. आर.बी. व्यास निदेशक, क्षे.के. को.खु.वि.वि. कोटा	सदस्य
5.	प्रो. पी.के. शर्मा प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेन्ट को.खु.वि.वि. कोटा	सदस्य
6.	डॉ. (श्रीमति) अमृत वालिया निदेशक, क्षे.के. को.खु.वि.वि. जयपुर	सदस्य

7. श्री बी. एल. गर्ग — विशिष्ट आमंत्रित
वित्त अधिकारी
को. खु. वि. वि. कोटा

8. श्री एल. सी. शर्मा — सचिव, प्रबन्ध मण्डल
कुल सचिव
को. खु. वि. वि., कोटा

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित नहीं हो सके :-

1. प्रो. जनार्दन झा
सम कुलपति
इ. गा. रा. मु. वि. वि.
नई दिल्ली

2. श्री आदर्श किशोर सक्सेना
वित्त सचिव
राजस्थान सरकार, जयपुर

3. श्री अनिल बैरथ
उच्च शिक्षा सचिव
राजस्थान सरकार, जयपुर

प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति का संक्षेप में वर्णन करते हुए बतलाया कि आज की बैठक से पूर्व दिनांक **27.05.97** को विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक होनी थी जिसमें विश्वविद्यालय के वर्ष **1997-98** के बजट प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना था। किन्तु दिनांक **27-05-97** को वांछित कोरम की पूर्ति न होने के कारण वित्त समिति की विधिवत बैठक सम्पन्न न हो सकी। तथापि वित्त समिति के अन्य सदस्यों ने कोरम के अभाव में

अपने द्वारा प्रस्तुत पत्र की प्रतिलिपियां सभी सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित की और प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया कि नवीं पंचवर्षीय योजना में दूरस्थ शिक्षा परिषद ने खुला विश्वविद्यालयों के विकास के लिये अनुदान हेतु प्रचुर मात्रा में धनराशि के अनुदान का प्रावधान रखने का प्रस्ताव रखा है। इस हेतु विभिन्न खुला विश्वविद्यालयों को नवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव बनाकर अगली दूरस्थ शिक्षा परिषद की बैठक में विचारार्थ भिजवाने है। इस हेतु अध्यक्ष महोदय ने संकेत दिया कि दिनांक 11 से 12 जुलाई को पुनः कुलपतियों की राउन्ड टेबल बैठक नासिक में होगी और उसके परिणामतः स्थिति और अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

इसके पश्चात प्रबन्ध मण्डल ने बैठक की कार्यवाही आरम्भ की।

<u>बिन्दु संख्या 39-1</u>

प्रबन्ध मण्डल की 38वीं बैठक दिनांक 05-04-97 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करना।

सर्व सम्मति से प्रबन्ध मण्डल ने 38 वीं बैठक दिनांक 05-04-97 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की।

---x---

बजट प्रस्तावों पर चर्चा की तथा उस अनौपचारिक चर्चा का विवरण प्रबन्ध मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के सम्मुख इस तथ्य को भी रखा कि इस विश्वविद्यालय को इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से वर्ष 1996-76 में लगभग 1.24 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। इस सन्दर्भ में अध्यक्ष महोदय ने संकेत दिया और जैसी परम्परा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भी है कि अनुदान देने वाली संस्थाओं का वित्त समिति में प्रतिनिधित्व है। कोटा खुला विश्वविद्यालय की वित्त समिति पर भी दूरस्थ शिक्षा परिषद का प्रतिनिधि होने का औचित्य है। आगामी सालों में दूरस्थ शिक्षा परिषद का इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए वित्तीय अनुदान और अधिक होने की संभावना है। अतः अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस संबंध में विश्वविद्यालय के अधिनियम में विधिवत संशोधन कर वित्त समिति में इ.गा.रा.मु.वि.वि. के प्रतिनिधित्व पर विचार करने की भी आवश्यकता है।

प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 21-22 अप्रेल 1997 को सम्पन्न हुई खुला विश्वविद्यालय के कुलपतियों की गोल मेज सम्मेलन का भी संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए सूचित किया कि इस गोलमेज सम्मेलन में अन्य कुलपतियों की भाँति उन्हें भी अपने कार्यकाल की विकास दिशा पर लिखित पत्र पढ़ने का आदेश हुआ था। कुलपति जी ने

बिन्दु संख्या 39-2

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 05-04-97 को सम्पन्न 38वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति की अनुपालना रिपोर्ट सूचनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल की 38वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्विति की अनुपालना रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त कर पुष्टि की गई।

---x---

बिन्दु संख्या 39-3

वित्त समिति की दिनांक 27-05-97 को सम्पन्न 19वीं बैठक की कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

दिनांक 27-05-97 को वांछित कोरम के अभाव में वित्त समिति की विधिवत बैठक सम्पन्न न हो सकी अतः उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों ने वर्ष 1997-98 के बजट प्रस्तावों पर जो अनौपचारिक चर्चा की थी उसका विवरण प्रबन्ध मण्डल के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने बतलाया कि कुलपति समन्वय समिति की बैठकों के निर्णय के अन्तर्गत तथा बी.एफ.सी. की बैठकों के निर्णय के मुताबिक राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान के आधार

में परिवर्तन हुआ है। इस दृष्टि से कोटा खुला विश्वविद्यालय के बजट के 4 भाग बनाये गये है, जो निम्न प्रकार हैं :- -

1.	गैर योजना मद का व्यय	यह राज्य सरकार वहन करेगी और इसके निश्चयों के अनुसार ही अनुदान एवं व्यय प्रकरण रहेंगे।
2.	योजना मद का व्यय	
3.	दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अनुदान	इसका व्यय दूरस्थ शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार ही होगा।
4.	विश्वविद्यालय के स्वयं के स्त्रोतों से किया जाने वाला व्यय।	

अध्यक्ष महोदय ने बतलाया कि उपरोक्तानुसार ही विश्वविद्यालय ने वर्ष 1997-98 के बजट प्रस्ताव तैयार किये है। इसमें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजना मद में 80.00 लाख, गैर योजना मद में 241.00 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बजट प्रस्तावों में दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अनुदान की शेष राशि 94.00 लाख तथा 65.00 लाख के व्यय का नया प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं अध्यक्ष महोदय ने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 1996-97 में दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अनुदान से ऑडियो वीडियो स्टुडियो भवन के बनवाने की कार्यवाही चल रही है। इसके उपकरणों की खरीद के सम्बन्ध में ई.एम.पी.सी., इ.गां.रा.मु.वि.वि. से अनुबन्ध किया जा चुका है जिसका अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल ने अपनी 38वीं बैठक में कर दिया है। इसके ऑडियो वीडियो स्टुडियो भवन निर्माण हेतु कार्य चल रहा था किन्तु गत एक माह से कार्य रुका हुआ है क्योंकि आर.एस.बी.सी.सी. को

जुलाई 97 तक के लेखा अनुदान के लिये कुलपति जी को अधिकृत करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया और यह भी चाहा कि वित्त समिति की बैठक शीघ्रातिशीघ्र आहूत की जाकर बजट प्रस्ताव पारित कराकर प्रबन्ध मण्डल के समुख प्रस्तुत किये जाये। तथा कुलपति जी को अधिकृत किया कि दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अनुदान से सी.एम.सी. को अग्रिम राशि का भुगतान कर दिया जावें।

---x---

बिन्दु संख्या 39-4

वित्त समिति की 18वीं बैठक दिनांक 3.4.97 के (जो प्रबन्ध मण्डल की 38वीं बैठक के मद संख्या 38-4 के अन्तर्गत अनुमोदित हुई है) टेबल मद संख्या 18-1 के अन्तर्गत लिए गये निश्चयों की अनुपालना हेतु कुलपति महोदय द्वारा महामहिम कुलाधिपति जी को प्रेषित पत्र सूचनार्थ।

अवेक्षण के संबंध में कुलपति महोदय द्वारा महामहिम कुलाधिपति को लिखे गये पत्र का अवलोकन किया गया। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार द्वारा दी गई राय भी प्रस्तुत की। प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति जी के कुलाधिपति को सम्बोधित पत्र एवं कानूनी सलाह पर विस्तृत विचार किया। माननीय सदस्यों

विश्वविद्यालय इस कार्य हेतु वांछित राशि उपलब्ध नहीं करा सका है। क्योंकि प्रबन्ध मण्डल के द्वारा बजट अनुमोदित किये बिना विश्वविद्यालय इन मदों पर व्यय नहीं कर सकता। इसके अलावा ई.एम.पी.सी. के साथ किये गये अनुबन्ध के अनुसार विश्वविद्यालय को ऑडियो वीडियो स्टुडियो का भवन जून माह के अन्त तक तैयार करके देना होगा जिससे ई.एम.पी.सी. उसमें उपकरणों की खरीद कर लगाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर सकें। अगर विश्वविद्यालय जून 97 के अन्त तक ऑडियो वीडियो स्टुडियो का भवन उपलब्ध न करा सका तो ई.एम.पी.सी. अनुबन्ध के अनुसार कठिनाई आ सकती है। अतः ऑडियो वीडियो हेतु आर.एस.बी.सी.सी. को करीब 50.00 लाख की राशि देनी होगी। इसके अलावा कम्प्यूटर नेटवर्क के लिये सी.एम.सी. के साथ अनुबन्ध किया जा रहा है। जिसका अनुबन्ध भी प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है। इस हेतु कुल व्यय लगभग 41.00 लाख का है। इस कार्य हेतु भी सी.एम.सी. को 90% का अग्रिम देना होगा। यह दूरस्थ शिक्षा परिषद अनुदान की शेष रु. 94 लाख में से होना है।

अतः उपरोक्त सभी व्यय जो कैपीटल एक्सपेन्डीचर (पूँजीगत व्यय) है इन्हें बजट प्रस्तावों के अनुमोदन के बिना किया जाना संभव नहीं है वित्त समिति की अनुशंसा न होने के कारण विश्वविद्यालयों में बड़ी कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई है।

उपरोक्त सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रबन्ध मण्डल

ने यह भी व्यक्त किया कि नियमित आधार पर विशिष्ठ अंकेषण करवाना विश्वविद्यालय की छवि की दृष्टि से अनावश्यक विवाद खड़ा करता है और राज्य सरकार को भी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ही काम करना चाहिये। प्रबन्ध मण्डल ने चाहा कि कानूनी सलाह के साथ साथ समस्त प्रकरण की पुनः जानकारी कुलाधिपति जी को दी जाकर मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाये।

---x---

बिन्दु संख्या 39-5

कम्प्यूटर नेटवर्किंग हेतु सी.एम.सी.लि. नई दिल्ली द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन विचारार्थ एवं आदेशार्थ।

सी.एम.सी. के द्वारा प्रस्तावित प्रतिवेदन विस्तृत चर्चा उपरान्त पूर्णतया अनुमोदित कर प्रबन्ध मण्डल ने अग्रिम कार्यवाही की शीघ्रता के लिये आदेश दिया।

---x---

बिन्दु संख्या 39--6

प्रबन्ध मण्डल की 38वीं बैठक दिनांक 5.4.97 के मद संख्या 38-4 के अन्तर्गत विशेष अंकेक्षण 1993-95 के पैरा-64 - प्रो. एस. एन. दुबे के वेतन स्थिरीकरण सम्बन्धी आदेशों की अनुपालना हेतु कार्यवाही विवरण विचारार्थ एवं आदेशार्थ।

अंकेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार प्रोफेसर एस. एन. दुबे को वेतन स्थरीकरण में त्रुटि के परिणामस्वरूप दिये गये अधिक वेतन की वसूली के संबंध में प्रोफेसर दुबे द्वारा दिये गये पत्र पर विचार किया। प्रो. दुबे द्वारा पत्र के साथ प्रस्तुत उच्च न्यायालय के निर्णय का भी अवलोकन किया। समस्त प्रकरण पर विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने यह निर्णय लिया कि प्रो. दुबे को पूर्व में दिये गये किसी लाभ को समाप्त करने का यह मामला नहीं है। वास्तव में यह मामला वेतन स्थरीकरण में हुई त्रुटि के परिणामस्वरूप दिये गये अधिक वेतन की वसूली का ही है। अतः त्रुटि के कारण देय अधिक राशि की वसूली न्यायोचित है। अतः प्रोफेसर दुबे को सूचित किया जाये कि वे अधिक दी गई राशि का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करें क्योंकि वे जल्दी ही सेवानिवृत्त होने वाले है।

---x---

टेबल आइटम :

बिन्दु संख्या – 39-7 :

ऑडियो विडियो सेन्टर के विकास के लिए विश्वविद्यालय के आन्तरिक प्रतिनिधित्व के लिए संकाय के किसी सदस्य के नामांकन का मामला विचारार्थ, अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

समयाभाव के कारण इस बिन्दु पर विचार नहीं हो सका।

---x---

बिन्दु संख्या – 39-8 :

निदेशक, पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण के पद के चयन हेतु चयन समिति के लिए विशेषज्ञ पैनल अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

समयाभाव के कारण इस बिन्दु पर विचार नहीं हो सका।

---x---

बिन्दु संख्या – 39-9 :

श्री बी.एम. भार्गव, सेवानिवृत्त उप कुलसचिव की पुनर्नियुक्ति की अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

समयाभाव के कारण इस बिन्दु पर विचार नहीं हो सका।

---x---

बिन्दु संख्या – 39-10 :

निदेशक पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण के पद की व्यवस्था के बारे में।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के समक्ष इस तथ्य को रखा कि विश्वविद्यालय में निदेशक, पाठ्य सामग्री का पद रिक्त है और वर्तमान में इस का कार्यभार एक सहायक प्राचार्य को दिया गया है। अतः इस विभाग को सुचारु रूप से चलाने हेतु किसी योग्य व्यक्ति को 6 माह के लिए एडहॉक आधार पर या डेपुटेशन के आधार पर नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

प्रबन्ध मण्डल ने विभाग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुलपति जी को इस पद पर किसी योग्य व्यक्ति की तदर्थ नियुक्ति करने की अधिकृत किया।

इसके पश्चात आसन को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

कुलसचिव
एवं
सचिव, प्रबन्ध मण्डल

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की 40वीं बैठक दिनांक 9.7.97 का कार्यवाही विवरण

कोटा खुला विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 40वीं बैठक बुधवार दिनांक 09 जुलाई 1997 को 11.00 बजे कुलपति निवास कार्यालय, पुष्पा निवास, स्टेशन रोड, कोटा में सम्पन्न हुई। इसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :—

1.	प्रो. बी.एस. शर्मा कुलपति, को.खु.वि.वि., कोटा	—	अध्यक्ष
2.	प्रो. जनार्दन मा सम कुलपति इ.गां.रा.मु.वि.वि., नई दिल्ली	—	सदस्य
3.	डॉ. एस.के. वर्मा सेवानिवृत्त प्राचार्य	—	सदस्य
4.	डा. आर.बी. व्यास निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएँ को.खु.वि.वि., कोटा	—	सदस्य
5.	प्रो. पी.के. शर्मा प्रोफेसर प्रबन्ध को.खु.वि.वि., कोटा	—	सदस्य
6.	डॉ.श्रीमती अमृत वालिया निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र को.खु.वि.वि. जयपुर	—	सदस्य
7.	श्री जे.एल. पटनागर विशेषाधिकारी विकास एवं समन्वय को.खु.वि.वि., कोटा	—	विशेष आमंत्रित
8.	डॉ. के.के. राय परीक्षा नियन्त्रक को.खु.वि.वि., कोटा	—	विशेष आमंत्रित

9. श्री बी. एम. भार्गव – विशेष आमंत्रित
वित्त अधिकारी
को. खु. वि. वि., कोटा

10. श्री एम. सी. शर्मा – सचिव
कुलसचिव
को. खु. वि. वि., कोटा

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित नहीं हो सके –

1. डॉ. आदर्श किशोर सक्सैना
प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
राज. सरकार, जयपुर

2. श्री अनिल बैश्य
शासन सचिव, उच्च शिक्षा
राजस्थान सरकार, जयपुर

3. प्रो. एच. एस. महला
प्रोफेसर ग्रामीण साख
हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान
जयपुर

प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित करते हुए बताया कि गत 39वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कोटा खुला विश्वविद्यालय के मुख्यालय कोटा पर कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापित करने हेतु मैसर्स सी. एम. सी. लिमिटेड, नई दिल्ली (भारत सरकार) के उपक्रम के साथ अनुबन्ध कर उन्हें इस कार्य हेतु 24.00 लाख रुपये चौबीस लाख का अग्रिम दिया गया है यह राशि दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अनुदान में से दी गई है। अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि दूरस्थ शिक्षा परिषद के अनुदान एवं सहयोग से इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय की गतिविधियों और प्रगति को देखकर राज्य सरकार ने भी विश्वविद्यालय का इस क्षेत्र में और अधिक विकास करने की दृष्टि से अनुदान देने की सहमति प्रकट की है। अतः विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान से मुख्यालय को कम्प्यूटर नेटवर्क के द्वारा क्षेत्रीय केन्द्रों को जोड़ने का कार्यक्रम बनाया है। इस हेतु राज्य सरकार ने रु. 30.00 लाख का अनुदान देने की सहमति प्रकट की है। अतः इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करने हेतु एक "वर्किंग ग्रुप" बनाया गया है जिसकी बैठक दिनांक 18 जुलाई 1997 को कोटा में रखी

गई है। इस "वर्किंग ग्रुप" द्वारा तैयार किये जाने वाले प्रस्तावों को राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा। यह कार्य भी मैसर्स सी.एम.सी. को ही दिया जायेगा जिससे कम्प्यूटर नेटवर्किंग का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर लिया जावे।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को यह भी सूचित किया कि 9वीं योजना में राज्य सरकार ने कोटा खुला विश्वविद्यालय को 51 नये पद सृजित करने की सहमति प्रकट की है इस हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिये है। ये 51 पद राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 1998-99 से ही उपलब्ध कराने की सोची है।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि दूरस्थ शिक्षा परिषद ने खुला विश्वविद्यालयों के विकास के लिये 9वीं पंचवर्षीय योजना में अनुदान निर्धारित करने हेतु खुला विश्वविद्यालयों से 9वीं योजना के प्रस्ताव आमंत्रित किये है। इसके लिये दूरस्थ शिक्षा परिषद ने एक "विशेषज्ञ दल" का गठन किया है ताकि अनुदान देने का आधार तय हो सके। अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि सौभाग्य से दूरस्थ शिक्षा परिषद के इस "विशेषज्ञ दल" में कोटा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति भी सदस्य हैं। इस दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और 3 जुलाई 1997 को परिषद की बैठक में दल की अभिशंषाओ को स्वीकार भी कर लिया है। दिनांक 11-12 जुलाई 1997 को नासिक में खुला विश्वविद्यालयों की राउन्ड टेबल में अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों की तरह 9वीं योजना में प्राप्त होने वाले अनुदानों पर समझ एवं सुझाव भी प्रस्तुत करेगा।

इसके उपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने बैठक की कार्यवाही आरम्भ की -

कार्य सूची बिन्दु संख्या - 40/1

प्रबन्ध मण्डल की 39वीं बैठक दिनांक 29-5-97 का कार्यवाही विवरण की पुष्टि करना।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से 39वीं बैठक दिनांक 29.5.97 की कार्यवाही की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या - 40/2

प्रबन्ध मण्डल की 39वीं बैठक दिनांक 29.5.97 में लिये गये निर्णयों पर अनुपालना रिपोर्ट अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से 39वीं बैठक दिनांक 29-5-97 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त कर पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या - 40/3

वित्त समिति की 19वीं (विशिष्ट) बैठक दिनांक 2-7-97 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से वित्त समिति की 19वीं (विशिष्ठ) बैठक दिनांक 2-7-97 की कार्यवाही विवरण एवं सिफारिशों का अनुमोदन किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या - 40/4

विद्या परिषद की 16वीं बैठक दिनांक 8-7-97 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से विद्या परिषद की 16वीं बैठक दिनांक 8-7-97 के कार्यवाही विवरण एवं सिफारिशों का अनुमोदन किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या – 40/5

प्रो. एस.एन. दुबे निदेशक विज्ञान एवं तकनीकी कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटा के वेतन स्थिरीकरण के प्रकरण में प्रो. दुबे द्वारा महामहिम कुलाधिपति महोदय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उस पर विश्वविद्यालय की ओर से भेजी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं की गई कार्यवाही अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ।

इस प्रकरण पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रो. दुबे के वेतन स्थिरीकरण का प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों सहित महामहिम कुलाधिपति को प्रेषित किया जा चुका है। यह भी स्पष्ट निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध मण्डल का पूर्व बैठक का निश्चय कायम है। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। वसूली कार्य की कार्यान्विति के लिये महामहिम कुलाधिपति के निर्णय तक स्थगित रखा जाना उचित है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या – 40/6

मद संख्या 5 के संदर्भ में की गई कार्यवाही के उपरान्त की स्थिति तथा प्रो. एस.एन. दुबे द्वारा पुनः प्रस्तुत अभ्यावेदन विचारार्थ एवं आदेशार्थ।

राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट–प्रथम के नियम संख्या 175 के परिपेक्ष्य में प्रो. दुबे से वसूल की जाने वाली राशि रु. 65815/– के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध मण्डल, राज्य सरकार के उपरोक्त नियम के अन्तर्गत प्रो. दुबे को/ वसूली राशि से छूट नहीं दे सकता, यह छूट केवल मात्र राज्य सरकार ही कर सकती है। अतः यह प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों सहित राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।

कार्य सूची बिन्दु संख्या – 40/7

दिनांक 31.3.95 तक कोटा खुला वि.वि. में पठन सामग्री मुद्रण सम्बन्धी कार्य की समीक्षा और उससे उत्पन्न हुई समस्याएँ विचारार्थ एवं भावी कार्यवाही हेतु आदेशार्थ।

विषय बहुत ही संवेदनशील होने के कारण मद विवरण बैठक के दौरान ही प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों को प्रस्तुत किया गया। सदस्यों ने बैठक के दौरान विस्तृत अध्ययन किया और संलग्न दोनों अनुलग्नकों का भी अवलोकन किया। प्रारम्भिक जानकारी उपरान्त इस मद पर विस्तृत चर्चा हुई।

लम्बी चर्चा के उपरान्त निष्कर्ष यह निकला कि अनुबन्धित दरों से अधिक दरों पर भुगतान और कागज लेखे की संदिग्धता से विश्वविद्यालय में भारी अनियमितताएँ रही है। भारी वित्तीय हानि के अलावा विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा पर भारी आँच आई है। जैसा कि टिप्पण में दर्शाया है कि आंतरिक व्यवस्था में कमी, पद्धति की अनदेखी और विशेषकर तीनों मुद्रकों के बाहरी सम्पर्क ने परिस्थितियों का लाभ मुद्रकों को देने की गुंजाइश का आधार बनी है, भारी अंदेशा है। इस के कारण विश्वविद्यालय का नाम भी गिरा है।

(i) भारी भुगतान प्राप्त करने वाले तीन मुद्रक मैसर्स यूनिक प्रिन्टर्स, योग ग्रा.लि., क्विता प्रिन्टर्स तथा अन्य प्रिन्टर्स अब मुद्रण कार्य के लिये विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नहीं है और प्रभावोत्पादक दृष्टि से विश्वविद्यालय प्रत्यक्ष में कार्यवाही में सक्षम भी नहीं लगता। जैसा कि मद विवरण में दर्शाया गया है कि यूनिक प्रिंटर्स के सन्दर्भ में तथ्य कुलाधिपति जी को प्रेषित हो चुके हैं, यह आवश्यक है कि इस प्रकरण पर एक सम्पूर्ण जाँच हो। सर्व सम्मति से यह उचित माना गया कि जाँच "किसी उच्च स्तरीय बाहरी संस्था द्वारा हो।

(ii) इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि विस्तृत जाँच एस.बी.आई. या सी.बी.आई. द्वारा कराई जाए।

(iii) प्रबन्ध मण्डल ने यह भी चाहा कि यह जाँच प्रकरण शिघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ हो और शिघ्रातिशीघ्र ही सम्पूर्ण हो। इस सम्बन्ध में सर्व सम्मति से प्रबन्ध मण्डल ने माननीय कुलपति महोदय को पूर्णतया अधिकृत किया कि वे एस.बी.आई या सी.बी.आई. से सम्पर्क कर इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी जाँच कार्यवाही करवाऐ और जाँच के परिणाम प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखें।

(iv) प्रबन्ध मण्डल ने यह भी चाहा कि माननीय कुलपति जी इस समस्त प्रकरण के बारे में माननीय कुलाधिपति जी एवं राज्य सरकार को भी सूचित करें।

(v) उपर्युक्त निर्णय के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने यह भी उचित समझा कि इस मद विवरण को एक शील्ड लिफाफे में कुलसचिव की व्यक्तिगत सुरक्षा में रखा जाए और उस शील्ड लिफाफे को तब ही खोला जाए और इस्तेमाल किया जाए जब कुलपति जी, कुलाधिपति जी को एवं राज्य सरकार को प्रेषित करना चाहते हों या जाँच ऐजेन्सी को उसकी आवश्यकता हो।

कार्य सूची बिन्दु संख्या – 40/8

डॉ. एम.एल. शर्मा, इतिहासविद की स्मृति में व्याख्यान आयोजित करने एवं उसका व्यय दूरस्थ शिक्षा परिषद के अनुदान से करने का मामला अवलोकनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्व सम्मति से डॉ. एम.एल. शर्मा, इतिहासविद् की स्मृति में व्याख्यान आयोजित करने एवं उसका व्यय दूरस्थ शिक्षा परिषद के अनुदान से करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या – 40/9

विश्वविद्यालय की स्थायी सामानों / परिसम्पत्तियों का प्रारम्भ से अब तक का स्टॉक रजिस्टर लेखा एवं वित्त विभाग में संधारण के क्रम में क्रय वाउचर्स से तैयार करने का कार्य मैं. आर.एस. गांग एण्ड कम्पनी से करवाने एवं इस एवज में उन्हें रु. 18000/– तथा स्थानीय यात्रा भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

– – –

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की स्थायी सामानों/परिसम्पत्तियों के प्रारम्भ से अब तक का स्टॉक रजिस्टर, लेखा एवं वित्त विभाग में संधारित क्रय वाउचर्स के आधार पर तैयार करने का कार्य मेसर्स आर.एस. गांग एण्ड कम्पनी से करवाया जावे एवं इसके एवज में उन्हें रु. 18000/– (अठारह हजार रुपये) तथा स्थानीय यात्रा भत्ता दिया जावे।

कार्य सूची बिन्दु संख्या – 40/10

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा डुप्लीकेट परिचय पत्र लेने पर उनसे इस हेतु अतिरिक्त फीस रु. 10/– प्रति परिचय पत्र वसूल करने का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

– – –

इस प्रकरण पर चर्चा के उपरान्त सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परिचय पत्र के महत्व, उपयोगिता तथा दिनों–दिन कागज के बढ़ते मूल्य की दृष्टि से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा डुप्लीकेट परिचय पत्र लेने पर उनसे इस हेतु अतिरिक्त फीस रु. 20/– बीस रुपया प्रति परिचय पत्र वसूल की जावे।

कार्य सूची बिन्दु संख्या – 40/11

निदेशक पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण के पद के चयन हेतु चयन समिति के लिए विशेषज्ञ पैनल अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

इस प्रकरण पर माननीय कुलपति महोदय ने सूचित किया कि वांछित पैनल प्रबन्ध मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायगा। अतः इस प्रकरण को अगली बैठक हेतु स्थगित रखा गया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या – 40/12

श्री बी.एम. भार्गव, सेवानिवृत्त उपकुलसचिव की पुनर्नियुक्ति की अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्व सम्मति से श्री बी.एम. भार्गव, सेवानिवृत्त उप कुलसचिव की पुनर्नियुक्ति की अवधि बढ़ाये जाने के निर्णय का अनुमोदन किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या – 40/13

नेटवर्किंग हेतु सी.एम.सी. लिमिटेड से किया जाने वाले अनुबन्ध के क्रम में भेजा जाने वाला पत्र अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्व सम्मति से पूर्व में लिये गये निर्णय (बिन्दु संख्या 39/5 दिनांक 29.5.97) के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा मै. सी.एम.सी. लिमिटेड नई दिल्ली भारत सरकार के प्रतिष्ठान को नेटवर्किंग के कार्य करने हेतु भेजे गये पत्र तथा इस कार्य हेतु सी.एम.सी. को रु. 24 लाख का अग्रिम राशि देने का अनुमोदन किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या – 40/14

मैं. जोगमाया सिक्योरिटी सर्विसेज का अनुबन्ध एक वर्ष और बढ़ाये जाने का आदेश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्व सम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा मैसर्स जोगमाया सिक्योरिटी सर्विसेज के अनुबन्ध को एक वर्ष की अवधि और बढ़ाये जाने के आदेश का अनुमोदन किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या – 40/15

क्षेत्रीय केन्द्र जयपुर पर विश्वविद्यालय के प्रारम्भ से पड़ी हुई पुरानी रिक्त उत्तर पुस्तिकाओं को प्रयोग में लाने हेतु तथा वेस्ट एवं स्पाइल्ड को नष्ट करने की स्वीकृति हेतु।

प्रबन्ध मण्डल ने सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि क्षेत्रीय केन्द्र जयपुर पर कोटा खुला विश्वविद्यालय के प्रारम्भ से पूर्व की पड़ी हुई रिक्त उत्तर पुस्तिकाओं में से उपयोग में लाने योग्य उत्तर पुस्तिकाओं को उपयोग में लिया जावे एवं शेष को नष्ट करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने की माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या – 40/16

राजस्थान राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 1997 में परीक्षाऐं आयोजित करने के लिए परीक्षा कार्य क्रम में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने के मानदण्डों को राजस्थान सरकार द्वारा गठित डा. आर.एन. सिंह की कमेटी की रिपोर्ट में निर्धारित पारिश्रमिक दरों को कोटा खुला विश्वविद्यालय की माह जून 1997 के परीक्षा आयोजन में देने हेतु स्वीकृति के अनुमोदन हेतु।

इस प्रकरण पर विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया जा चुका है जिसका अनुमोदन बिन्दु संख्या 40-4 पर किया जा चुका है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या – 40/17

कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटा में माह जून 1997 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया का माननीय कुलपति की स्वीकृति के अनुमोदन हेतु।

कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटा के माह जून 1997 में सम्पन्न हुई परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में परीक्षा नियन्त्रक द्वारा प्रस्तुत प्रक्रिया पर माननीय कुलपति की स्वीकृति का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।

ITEM NO. - 40-18

To consider the amendment in the status 10(1) of the Kota Open University Act 1987 (No. 35 of 1987) for providing the representation of Distance Education Council, New Delhi in the membership of the Finance Committee of Kota Open University, Kota.

Looking to the role of the Distance Education Council in the promotion and development of the State Open Universities and the financial support being received from the Distance Education Council, the Board of Management unamiously resolved to amend the statute 10(1) so as to provide representation of Distance Education Council, the amended statute 10(1) shall now be as under :-

MEMBERS OF FINANCE COMMITTEE AS PER STATUTE 10(1)

(EXISTINMG AND AFTER APPROVAL OF THE PROPOSED AMENDMENT)

EXISTING MEMBERS	MEMBERS AFTER AMENDMENT
(a) Vice-Chancellor Ex-Officio-Chairman;	(a) Vice-Chancellor Ex-Officio-Chairman;
(b) Pro-Vice-Chancellor;	(b) Pro-Vice-Chancellor;
(c) One Director of a Regional Centre to be by nominated by the Vice-Chancellor;	(c) One Director of a Regional Centre to be by nominated by the Vice-Chancellor;
(d) Secretary to the Government, Finance Deptt. Govt. of Rajasthan;	(d) Secretary to the Government, Finance Deptt. Govt. of Rajasthan;
(e) Secretary to the Government, Education Deptt., Govt. of Rajasthan;	(e) Secretary to the Government, Education Deptt., Govt. of Rajasthan;
(f) Two members to be nominated by the Board of Management of whom one could be a member of the Board; and	(f) Two members to be nominated by the Board of Management of whom one could be a member of the Board; and
(g)	(g) One person nominated by the Chairman, Distance Education Council, Indira Gandhi National Open University not below the rank/pay scale of a Professor/Director.

टेबल एजेन्डा

कार्यवाही बिन्दु संख्या – 40-19

राज्य सरकार के लिपिक वर्गीय सेवा नियमों के संदर्भ में ही विश्वविद्यालय के पदोन्नति नियमों में भी छूट प्रदान करने बाबत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कर्मचारी संघ का अभ्यावेदन विचारार्थ।

इस प्रकरण पर विस्तृत चर्चा के पश्चात निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग के कर्मचारियों के पदोन्नति के नियमों के सम्बन्ध में निम्नांकित समिति का गठन किया जाता है।

1.	डॉ. एस.के. वर्मा सेवानिवृत्त प्राचार्य	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. आर.वी. व्यास निदेशक, क्षेत्रीय सेवाऐं कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा	–	सदस्य
3.	श्री जे.एम. भटनागर सेवानिवृत्त आई.ए.एस. विशेषाधिकारी (विकास एवं समन्वय) कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा	–	सदस्य
4.	कुलसचिव	–	सदस्य

उक्त समिति राज्य सरकार के अनु.जाति एवं अनु.जन जाति वर्ग के कर्मचारियों के पदोन्नति के नियमों के आधार पर अपनी रिपोर्ट/अभिशंषा प्रस्तुत करेगी।

इसके अलावा उपरोक्त कमेटी बिन्दु संख्या 40-27 पर प्रस्तुत अशैक्षणिक कर्मचारी संघ के संविधान पर विचार कर अपनी अभिशंषा प्रस्तुत करेगी।

टेबल एजेन्डा
कार्यवाही बिन्दु संख्या - 40-20

श्री राजेश गुप्ता, कनिष्ठ लिपिक के असमर्थता अवकाश स्वीकृति का मामला अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ।

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री राजेश गुप्ता, कनिष्ठ लिपिक को दिनांक 2.10.96 से 1.12.96 तक का विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत किया जावे।

~~~***~~~

टेबल एजेन्डा
कार्यवाही बिन्दु संख्या - 40-21

अशैक्षणिक कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत कर्मचारी संघ के संविधान का अनुमोदन बाबत्।

इस प्रकरण पर बिन्दु संख्या 40-19 पर गठित समिति अपनी रिपोर्ट / अभिशंषा प्रस्तुत करेगी।

~~~***~~~

टेबल एजेन्डा
कार्यवाही बिन्दु संख्या - 40-22

बैरवा समिति के सुझावों पर प्रबन्ध मण्डल की 37वीं बैठक में लिये निर्णयों की अनुपालना अवलोकनार्थ।

इस प्रकरण पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया।

1. श्री आशुतोष श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक की तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव (क्यूमुलेटिव ईफेक्ट) से रोक दी जावे।
2. श्री आशुतोष का कोटा मुख्यालय से बाहर किसी अन्य क्षेत्रीय केन्द्र पर स्थानान्तरण किया जावे।

~~~***~~~
~~~

टेबल एजेन्डा
कार्यवाही बिन्दु संख्या – 40-23

प्रो. एस.एन दुबे, निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी द्वारा इच्छित पेंशन विकल्प विचारार्थ एवं आदेशार्थ।

इस प्रकरण पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के पेंशन नियमों के अन्तर्गत पेंशन विकल्प पुनः आमंत्रित किये जावे। तथा इन नियमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में पेंशन योग्य वांछित सेवा अवधि पूरी करने पर ही पेंशन देय होगी। इसी आधार पर प्रो. दुबे के प्रकरण की जाँच कर प्रशासनिक कार्यवाही की जावे।

टेबल एजेन्डा
कार्यवाही बिन्दु संख्या – 40-24

पठन-पाठन सामग्री हेतु वर्तमान तीन मुद्रकों के अनुबन्धन के काल में एक वर्ष की वृद्धि विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

प्रबन्ध मण्डल ने पठन-पाठन सामग्री मुद्रण कार्य के लिये निम्न तीन मुद्रकों के साथ विश्वविद्यालय के अनुबन्ध को एक वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाये जाने की सर्व सम्मति से स्वीकृति दी।

1. प्रीमियर प्रिन्टर्स, जयपुर
2. परफेक्ट सिक्यूरिटी प्रिन्टर्स, नई दिल्ली
3. न्यू प्रिन्ट इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।

टेबल एजेन्डा
कार्यवाही बिन्दु संख्या - 40-25

नवीं पंचवर्षीय योजना काल में कोटा खुला विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा वित्तीय-सहायता- दृष्टि एवं सुझाव सूचनार्थ।

इस संदर्भ पर अध्यक्ष महोदय ने दूरस्थ शिक्षा परिषद की नवीं योजना के उपलब्ध हेतु बनाये गये प्रस्ताव अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये। यह प्रस्ताव डॉ. आर.वी. व्यास एवं डॉ. पी.के. शर्मा की विशेष सहायता से तैयार हुये है। सदस्यों ने इन पर संतोष प्रकट किया एवं सराहना की।

अन्त में आसन को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

21.7.97.

(एम.सी. शर्मा)
सचिव, प्रबन्ध मण्डल
एवं कुलसचिव

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की 41वीं बैठक दिनांक 18.10.97 का कार्यवाही विवरण

कोटा खुला विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की 41वीं बैठक शनिवार दिनांक 18.10.97 को प्रात: 11.30 बजे समिति कक्ष, कुलपति सचिवालय, विश्वविद्यालय परिसर, रावतभाटा मार्ग, कोटा में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. प्रो. बी.एस. शर्मा — अध्यक्ष
   कुलपति
   कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

2. प्रो. जी.डी. शर्मा — सदस्य
   सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

3. डॉ. एच.एस. महला — सदस्य
   प्रोफेसर ग्रामीण साक्ष
   ह.च.मा.लो.प्र.सं., जयपुर

4. डॉ. आर.बी. व्यास — सदस्य
   निदेशक, क्षेत्रीय सेवाऐं
   कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

5. प्रो. पी.के. शर्मा — सदस्य
   निदेशक, संकाय
   कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

6. डॉ. (श्रीमति) अमृत वालिया — सदस्य
   निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र कोटा खुला विश्वविद्यालय,
   जयपुर

7. श्री. जे.एम. भटनागर — विशेष आमंत्रित
विशेषाधिकारी (योजना एवं समन्वय)
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

8. श्री एम.सी. शर्मा — सचिव
कुलसचिव
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति बैठक में सम्भव नहीं हो सकी –

1. प्रो. जनार्दन झा, समकुलपति, इ.गाँ.रा.मु.वि.वि., नई दिल्ली
2. डॉ. आदर्श किशोर सक्सैना, प्रमुख शासन सचिव वित्त, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्री अनिल वैश्य, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल की 41वीं बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं विशेष रूप से कुलाधिपति द्वारा मनोनीत नये सदस्य प्रो. जी.डी. शर्मा, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली का स्वागत करते हुए अन्य सदस्यों से परिचय करवाया। अध्यक्ष महोदय ने बतलाया कि प्रो. जी.डी. शर्मा एक अनुभवी शिक्षाविद् होने के अलावा एक अच्छे प्रशासक भी है। उनके विस्तृत अनुभव की चर्चा करते हुए उन्होंने बतलाया कि प्रो. जी.डी. शर्मा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूर्व **NIPA, AIU** एवं **Bombay University** जैसी राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थाओं में रह चुके हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में इनके विस्तृत शैक्षिक एवं प्रशासनिक अनुभव का कोटा खुला विश्वविद्यालय को लाभ उपलब्ध होगा।

तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के हाल ही में निवर्तमान सदस्य डा. एस.के. वर्मा, सेवानिवृत प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय कोटा के विशिष्ट योगदान की चर्चा की। प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से डा. एस.के. वर्मा के विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल के सदस्य के रूप में उनके द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रदान सहयोग एवं योगदान की सराहना की।

इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने अत्यन्त हर्ष के साथ प्रबन्ध मण्डल को सूचित किया कि विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षान्त समारोह जो माह दिसम्बर **1997** या जनवरी **1998** में किया जाना प्रस्तावित है, इस हेतु कुलाधिपति कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर सदस्यों को अवगत कराया कि भारत के प्रधानमन्त्री महामहिम श्री इन्द्रकुमार गुजराल ने इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर दीक्षान्त भाषण देने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा निश्चित तिथि अभी तय होनी है, जो लोकसभा के शीतकालीन सत्र के बाद ही होने की सम्भावना है। सदस्यों ने इस सूचना पर अत्यन्त हर्ष व्यक्त किया।

इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को **9th Plan** के प्रस्तावों के बारे में कुछ तथ्य जिसमें राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय, विश्वविद्यालय द्वारा किया जाने वाला व्यय तथा दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा देय अनुदान से सदस्यों को अवगत कराया और इस योजना के तैयार करने की पद्धति, नासिक सम्मेलन के सुझावों तथा इस योजना में उनके समन्वयीकरण सम्बन्धी तथ्य प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखे।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को बतलाया कि जनवरी **1995** में इस विश्वविद्यालय में **7** वर्षों का वार्षिक अंकेक्षण लम्बित था। परन्तु आज स्थिति यह है कि कोटा खुला विश्वविद्यालय केवल मात्र एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ वर्ष **1996-97** तक का आडिट/अंकेक्षण पूर्ण कर उसकी रिपोर्ट तथा अनुपालना प्रस्तुत की जा रही है। सदस्यों ने अत्यन्त हर्ष व्यक्त किया और विश्वविद्यालय को बधाई दी।

इसके तदुपरान्त कार्यसूची अनुसार बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई।

<u>कार्यवाही बिन्दु सं. : **41-1**</u>

प्रबन्ध मण्डल की **40** वीं बैठक दिनांक **9.7.97** का कार्यवाही विवरण की पुष्टि करना।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्व सम्मति से **40**वीं बैठक दिनांक **9.7.97** की कार्यवाही विवरण की पुष्टि की।

---xxx---

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-2

प्रबन्ध मण्डल की 40वीं बैठक दिनांक 9.7.97 में लिए गये निर्णयों पर अनुपालना रिपोर्ट अवलोकनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्व सम्मति से 40वीं बैठक दिनांक 9.7.97 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त कर पुष्टि की।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-3

डा. के.के. खेतान, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र के असाधारण अवकाश में दिनांक 1.8.97 से 6 माह की वृद्धि का मामला सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से डा. के.के. खेतान निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र के असाधारण अवकाश में दिनांक 1.8.97 से 6 माह की वृद्धि के निर्णय का अनुमोदन किया।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-4

प्रो. एस.एन. दुबे द्वारा विभिन्न समितियों के संयोजक / अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप अन्य अधिकारियों के इनके स्थान पर मनोनीत करने के आदेश सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से प्रो. एस.एन. दुबे द्वारा विभिन्न समितियों के संयोजक/अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप अन्य अधिकारियों के इनके स्थान पर मनोनयन के निर्णय का अनुमोदन किया।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-5

वर्ष 1992-93 के बी.एड. प्रवेश प्रकरण में प्रबन्ध मण्डल की 37वीं बैठक दिनांक 28.1.97 के बिन्दु संख्या 37/4 के क्रम में जाँच के लिए श्री सुरेश एच माथुर सेवा निवृत सेशन जज को देय मानदेय रु. 10,000/ ;रु दस हजार; एवं टी.ए. एवं डी.ए. दिये जाने का मामला अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से वर्ष 1992-93 के बी.एड. प्रकरण में जाँच के लिये नियुक्त श्री सुरेश एच. माथुर, सेवा निवृत, सेशन जज को मानदेय रूप में रु. 10,000/- तथा टी.ए. एवं डी.ए. दिये जाने के निर्णय का अनुमोदन किया।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-6

SC & ST प्रकोष्ठ के गठन के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

---x---

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के गठन के सम्बन्ध में प्रो. जी.डी. शर्मा, ने सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस सम्बन्ध में नियमों में संशोधन की कार्यवाही चल रही है और शीघ्र ही संशोधित नियमावली विश्वविद्यालय को प्रकोष्ठ गठन हेतु भेज दी जावेगी और तद्परान्त ही विश्वविद्यालय में इस पर कार्यवाही सम्भव हो पावेगी।

---xxx---

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-7

एशियन ऐसोशिएशन आफ ओपन यूनिवर्सीटीज के 11वें सम्मेलन जो दिनांक 10 नवम्बर 1997 से 15 नवम्बर 1997 तक क्वालालाम्पुर (मलेशिया) में हो रहा है, कुलपति जी की इसमें भागीदारी- अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से एशियन एसोसियेशन के 11वें सम्मेलन जो दिनांक 10.11.97 से 15.11.97 तक क्वालालम्पुर (मलेशिया) में हो रहा है में प्रो. बी.एस. शर्मा कुलपति के सम्मिलित होने का अनुमोदन किया। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण व्यय दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अनुदान में से देय होगा, जिसकी सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। प्रबन्ध मण्डल कुलाधिपति जी की स्वीकृति के अतिरिक्त राज्य सरकार की सहमति भी नोट की है।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-8

क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा को सुसंगठित करने सम्बन्धी जाँच समिति सूचनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने इसे नोट किया।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-9

विश्वविद्यालय के लेखा एवं वित्त विभाग से सम्बन्धित निम्न निश्चय सूचनार्थ :-

(अ) वित्तीय कोड बनाने हेतु सलाहकार की नियुक्ति

(ब) ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स, विस्तार पटल, कोटा खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से वाउचरों के आधार पर लम्बित

प्रोविडेन्ट फण्ड के खाते तैयार करवाने हेतु व्ययों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा करने बाबत्

(स) सभी क्षेत्रीय केन्द्रों का आन्तरिक अंकेक्षण करवाने बाबत्

(द) वर्ष 1996-97 के लेखों का प्रतिवेदन एवं बैलेन्स शीट सूचनार्थ

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने (अ) (स) और (द) नोट किया तथा (ब) के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से ओरियेन्टल बैंक आफ कामर्स, विस्तार पटल कोटा खुला विश्वविद्यालय, के माध्यम से वाउचरों के आधार पर लम्बित भविष्य निधि के खाते तैयार करवाने हेतु व्यय के भुगतान के सम्बन्ध में बैंक से Negotiation करने हेतु कुलपतिजी को अधिकृत किया।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-10

बी.एड. प्रायोगिक परीक्षा के लिए बाहर से पधारने वाले परीक्षकों को होटल में ठहरने के वास्तविक व्यय का पुर्नभरण वि.वि. की ओर से उन्हें अतिथि मानकर करने के माननीय कुलपति महोदय के आदेश अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने इसे नोट किया।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-11

वित्त समिति की 20वीं बैठक दिनांक 15.10.97 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से वित्त समिति की **20वीं** बैठक दिनांक **15.10.97** के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की। पुष्टि के प्रकरण में प्रबन्ध मण्डल ने वित्त समिति के कार्यवाही विवरण में मद संख्या-3 से सम्बन्धित दस्तावेजों का विशिष्ट अवलोकन किया और सर्वसम्मति से हर्ष व्यक्त किया और कार्य की सराहना के करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजों को उदाहरणीय बताते हुए यह चाहा कि यह सब दस्तावेज कुलाधिपति जी को प्रेषित किये जावें। इसके उत्तर में कुलपति जी ने प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया कि यह दस्तावेज कुलाधिपति जी एवं राज्य सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं।

-xxx-

<u>कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-12</u>

विद्या परिषद की **17वीं** (आपात कालीन) बैठक दिनांक **17.9.97** का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से विद्या परिषद की **17वीं** बैठक दिनांक **17.9.97** के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की।

-xxx-

<u>कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-13</u>

आयोजना मण्डल की चौथी बैठक दिनांक **20.9.97** का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से आयोजना मण्डल की चौथी बैठक दिनांक **20.9.97** के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-14

आयोजना मण्डल की चर्चा के आधार पर कोटा खुला वि.वि. की संशोधित पंच वर्षीय योजना विचारार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से आयोजना मण्डल की चर्चा के आधार पर कोटा खुला विश्वविद्यालय की संशोधित पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किया।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-15

8वीं मुद्रण सलाहकार समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ। एवं कागज क्रय सम्बन्धी विज्ञप्ति सूचनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से 8वीं मुद्रण सलाहकार समिति दिनांक 16.8.97 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-16

श्री एम.सी. शर्मा की कुलसचिव पद पर नियुक्त अवधि दिनांक 1.8.97 से छः माह बढ़ाने का आदेश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से श्री एम.सी. शर्मा की कुलसचिव पद पर नियुक्ति की अवधि दिनांक 1.8.97 से छः माह बढ़ाने के निर्णय का अनुमोदन किया।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-17

श्री सोहन लाल न्याती, सेवा निवृत सहायक लेखाधकारी की पुनर्नियुक्ति की अवधि दिनांक 16.6.97 से छः माह तक बढ़ाने का *प्रावेश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।*

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से श्री सोहन लाल न्याती सेवा निवृत, सहायक लेखाधिकारी की पुनर्नियुक्ति की अवधि दिनांक 16.6.97 से छः माह बढ़ाने के निर्णय का अनुमोदन किया।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-18

निदेशक, पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण, कुलसचिव, उप-कुलसचिव, सहायक कुलसचिव एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, कनिष्ठ अभियंता की योग्यताऐं / अर्हताए अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-19

कोटा खुला विश्वविद्यालय के लिए कम्प्यूटराइजेशन एवं नेटवर्किंग के लिए वर्किंग ग्रुप के गठन एवं इनके बाहरी सदस्यों को रु. 2500/- प्रत्येक को प्रत्येक प्रोजेक्ट बनाने के लिये मानदेय देने का आदेश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से कोटा खुला विश्वविद्यालय के लिये कम्प्यूटराइजेशन एवं नेटवर्किंग के लिये वर्किंग ग्रुप के गठन तथा इनके बाहरी सदस्यों को रु. 2500/- प्रत्येक को प्रत्येक प्रोजेक्ट बनाने हेतु मानदेय देने के निर्णय का अनुमोदन किया।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-20

प्रो. पी.के. साहू, आचार्य शिक्षा को निदेशक, पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण के पद पर एक वर्ष या नियमित चयन से अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक नियुक्ति का मामला अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से कुलपति जी के सुझाव के अनुसार प्रो. पी.के. साहू को निदेशक पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण के पद पर एक वर्ष या नियमित चयनित अभ्यार्थी या प्रबन्ध मण्डल की 40वीं बैठक के निर्णयानुसार निदेशक उपलब्ध होने तक नियुक्ति के निर्णय का अनुमोदन किया।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-21

डा. आर.वी. व्यास, निदेशक क्षेत्रीय सेवाऐं, प्रो. पी.के. शर्मा एवं डा. बी.के. शर्मा के दिनांक 11.11.97 से 14.11.97 तक एशियन एसोसियेशन आफ ओपन यूनिवर्सीटीज की 11वीं कांफ्रेन्स में कुआलालम्पुर (मलेशिया) के विदेश भ्रमण पर ट्रेवल ग्रान्ट कमेटी की अभिशंसाए अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

---x---

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि डा. आर.वी. व्यास ने एशियन एसोशिएशन आफ ओपन यूनिवर्सिटीज की 11वीं कान्फ्रेन्स में सम्मिलित होने की असमर्थता प्रकट की है। अतः प्रबन्ध मण्डल ने सर्व सम्मति से प्रो. पी.के. शर्मा एवं डॉ. बी.के. शर्मा, सहायक प्रोफेसर इतिहास के उक्त कान्फ्रेन्स में सम्मिलित होने हेतु विदेश भ्रमण के प्रस्ताव पर वि.वि. की ट्रेवल ग्राण्ट कमेटी दिनांक 22.8.97 की अभिशंसाओ का अनुमोदन किया।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-22

स्व. श्री योगेश्वर शर्मा, पूर्व निदेशक पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण के पूर्व नियोक्ता से स्वैच्छिक सेवानिवृति लेकर इस वि.वि. में उपस्थिति देने के फलस्वरूप इन्हें देय पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं यू.पी.एफ. के भुगतान के बारे में मामला अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में राज्य सरकार को पूर्ण विवरण प्रेषित करते हुए अनुरोध किया जावे कि श्री योगेश्वर शर्मा के **Pension** व **Gratuity & UPF** के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाए अन्यथा विश्वविद्यालय प्रो. योगेश्वर शर्मा की **Pension** व **Gratuity** का उनके परिवार को भुगतान कर देगा।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-23

कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम **1987** के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद के चयन एवं योग्यताओं को निर्धारण का मामला अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया। अनुमोदित कार्यवाही निम्न प्रकार से है :-

कोटा खुला विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा **16**, स्टेट्यूट **5** के अन्तर्गत वित्त अधिकारी के पद पर चयन हेतु निम्न योग्यताऐं एवं वेतन श्रृंखला निर्धारित की जाती है :-

अनिवार्य योग्यताऐं-

1. स्नातकोत्तर डिग्री कम से कम द्वितीय श्रेणी या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या कोस्ट एकाउन्टेन्ट या एम.बी.ए. (वित्त विशिष्टता) या पी.एच.डी. डिग्री (वित्त विषय पर)।

2. वित्तीय एवं लेखा सम्बन्धी कार्यों का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय योग्यताऐं-

1. केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार या विश्वविद्यालय में वित्तीय एवं लेखा सम्बन्धी नियमों की जानकारी और उन पर आधारित कार्यानुभव।

2. कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत तलपट, चिट्ठा इत्यादि सम्बन्धी जानकारी।

3. बैंक समाधान विवरणों सम्बन्धी जानकारी ।

4. विश्वविद्यालय कार्यविधि की सामान्य जानकारी एवं समन्वय क्षमता प्रदर्शन।

वेतन श्रृंखला-

कुलसचिव, कोटा खुला विश्वविद्यालय के समकक्ष वेतनमान/राजस्थान सरकार में राजस्थान लेखा सेवा के अन्तर्गत चयनित वेतनमान संख्या :23: 3700-125-4700-150-5000 एवं नियमानुसार भत्ते।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-24

प्रो. एस.एन. दुबे के वेतन स्थिरीकरण के बारे में प्राप्त महामहिम राज्यपाल महोदय के कार्यालय से प्राप्त पत्र अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ।

---x---

इस सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने सम्पूर्ण पत्रावली का पुनरावलोकन किया। 40वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक के निर्णयानुसार जो पत्रावली कुलाधिपति सचिवालय से प्राप्त हुई थी, उस पर विशेष विचार किया गया। विशेषकर, प्रो. एस.एन. दुबे द्वारा कुलाधिपति जी को प्रेषित नया प्रार्थना-पत्र, कुलाधिपति जी द्वारा दिये गये दोनों पत्र तथा कुलाधिपति जी के द्वितीय पत्र संख्या 25:5:RB/97/3944 दिनांक 18 सितम्बर

1997 के साथ संलग्न प्रो. दुबे के नये प्रार्थना पत्र पर कुलाधिपति जी को प्रेषित कुलसचिव का पत्र। चर्चा के दौरान दिनांक 30-09-1997 को कुलपति जी की कुलाधिपति जी से इस सम्बन्ध में जो चर्चा हुई थी, वह भी प्रबनध मण्डल के समक्ष रखी गई। लम्बी चर्चा के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल इस निर्णय पर पहुँचा कि प्रो. दुबे से केवल अतिरिक्त भुगतान की ही वसूली हो रही है और कोई विभेदात्मक निर्णय की स्थिति भी नहीं है। वेतन स्थिरीकरण के नियमों की अनुपालना के सम्बन्ध में अतिरिक्त भुगतान की वसूली सम्बन्धी निर्णय, जो प्रबन्ध मण्डल ने पूर्व में लिये थे, उसी की प्रबन्ध मण्डल ने पुनः पुष्टि एवं अनुसमर्थन कर दिया और यह भी आदेश दिया कि कुलाधिपति जी को कुलसचिव द्वारा प्रेषित पत्र के अन्तर्गत जो वेतन स्थिरीकरण का आधार है, उसी के अनुसार कार्यवाही की जावे। एक माननीय सदस्य के सुझावानुसार यह भी उचित समझा कि आवश्यकतानुसार इस प्रकरण पर कानूनी राय ले ली जाए।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-25

प्रो. एस.एन. दुबे को कोटा खुला वि.वि. में उपस्थिति देने के समय दिनांक 21.7.88 से 23.7.88 की सेवा में टूट की अवधि का अवकाश स्वीकृत करने का प्रकरण विचारार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से प्रो. दुबे की 21.7.88 से 23.7.88 की सेवा में टूट की अवधि को उन्हें उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने का अनुमोदन इस आधार पर किया कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को पूर्ण विवरण भेजा जाकर उनसे सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यवाही की जावें।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-26

कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 की धारा 16 के अन्तर्गत स्टेच्युट 1(3) के क्रम में कुलपति पद के लिए चयन समिति के लिए प्रबन्ध मण्डल की ओर से सदस्य मनोनीत करने का मामला विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से कोटा खुला विश्वविलय अधिनियम 1987 की धारा 16 के अन्तर्गत स्टेट्यूट 1(3) के क्रम में कुलपति पद के लिए चयन समिति के लिये Prof. R.C. Mehrotra, पूर्व कुलपति, दिल्ली एवं इलाहबाद विश्वविद्यालय, 4/682, जवाहर नगर, जयपुर :राजस्थान: को प्रबन्ध मण्डल की ओर से कुलपति चयन समिति के सदस्य के लिये मनोनीत किया और आदेश दिया कि शीघ्रातिशीघ्र इस मनोनयन की सूचना कुलाधिपति जी को प्रेषित कर दी जाए।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-27

विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की पुर्नसंरचना तथा इसके निदेशक के पद के लिए योग्यताओ एवं अर्हताओ में परिवर्तन का प्रकरण एवं स्टाप-गेप व्यवस्था विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

---x---

इस सम्बन्ध में प्रद विवरणानुसार निम्न तथ्यों पर विचार हुआ :-

:अ: निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी की पूर्व में क्या योग्यताऐं रही है और इस विभाग को क्या-क्या सौंपा गया है ? इस सम्बन्ध में यह भी नोट किया गया कि पूर्व में प्रबन्ध मण्डल ने सारा प्रकरण भविष्य में निर्णयों के लिए स्थगित रखा है।

:ब: वर्तमान में विश्वविद्यालय मूलभूत एवं संरचनात्मक विकास की दृष्टि से तकनीकी क्षेत्र में बहुत विनियोग कर रहा है। इसे ओपन नेट से भी जुड़ना है और नए तकनीकी आयामों से भी लाभ लेना है। यह सब कार्य इसी निदेशालय के द्वारा संचालित होना हितकर होगा।

:स: सन्दर्भ बदल गया है। वर्तमान निदेशक:विज्ञान एवं तकनीकी: दिनांक 31 अक्टूबर, 1997 को सेवा निवृत्त हो रहे है। अत: स्थिति का पुनरावलोकन करना आवश्यक बन गया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के तकनीकी वर्तमान विकास का कार्य स्वयं कुलपति जी देख रहे है। व्यवस्था की दृष्टि से यह उचित होगा कि स्थायी प्रबन्ध होने तक स्टाफ गेप व्यवस्था करना भी उचित होगा।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, लम्बी चर्चा के उपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने निम्नलिखित निर्णय लिए :-

:1: विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की पुन:संरचना एवं इसके निदेशक पद के लिये योग्यताएँ एवं अर्हताओं में परिवर्तन के लिये निम्नलिखित एक समिति का गठन किया जावे :-

1.	Prof. J. Jha Pro. V.C., IGNOU, New Delhi	Chairman
2.	Dr. B.L. Mathur Prof. & Head, Elect. Engg. Deptt. Engineering College, Kota	Member
3.	Dr. R.V. Vyas Director(Regional Services) KOU, Kota	Member
4.	Registrar KOU, Kota	Member Secretary

:2: स्टाफ गेप व्यवस्था की दृष्टि से यह उचित होगा कि तुरन्त उचित कार्यवाही की जाए। कुलपति जी के सुझावानुसार नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो तकनीकी से सम्बन्धित प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी है, उसमें जिस प्रकार की सहायता प्रो. बी.एल. माथुर ने दी है, उनसे सहमति प्राप्त कर, उन्हें विज्ञान एवं तकनीकी के निदेशक पद पर प्रो. एस.एन. दुबे की सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियुक्ति हेतु एक वर्ष के लिये या नियमित चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक के लिये कुलपति जी को अधिकृत किया जाता है। प्रबन्ध मण्डल ने यह भी चाहा कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही कर प्रबन्ध मण्डल को सूचित किया जाए।

-xxx-

<u>कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-28</u>

स्थिर वेतन पर कार्यरत रहे कनिष्ठ लिपिकों को "दैनिक वेतन" पर सेवा की तिथी से ही उन्हें दिये गये पारिश्रमिक के आधार पर ही महंगाई भत्ता और बोनस दिये जाने का मामला विचारार्थ एवं आदेशार्थ।

-xxx-

इस बिन्दु पर चर्चा के उपरान्त और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र संख्या-एफ3(28)कार्मिक/क-2/85 पार्ट-II दिनांक 13.2.1991 के क्रम में कोटा खुला विश्वविद्यालय के सम्बन्धित कनिष्ठ लिपिकों के लिए ही लागू किया जावें और उसी आधार पर लागू किया जावें, जिस आधार पर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में किया गया है, जिसके अन्तर्गत दिनांक 31-3-1990 तक दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों को दैनिक वेतन की सेवा की तिथि से ही कनिष्ठ लिपिक की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम वेतन दिया जावें और इस न्यूनतम वेतन पर समय-समय पर देय मँहगाई भत्ता भी दे दिया जावें तथा अन्य कोई भी क्षतिपूर्ति भत्ते जैसे- मकान किराया भत्ता, क्षतिपूर्ति (नगर) भत्ता आदि एवं विशेष वेतन देय नहीं होंगे। इन्हें कनिष्ठ लिपिक की वेतन श्रृंखला में नियमितिकरण की तारीख तक कोई वार्षिक वेतन वृद्धि भी देय नहीं होगी। इस प्रकार यह निश्चय केवल वित्तीय क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित है। इसका वरिष्ठता (seniority) से कोई सम्बन्ध नहीं होगा अर्थात ऐसे कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता पूर्ववत् ही रहेगी। इस उपरोक्त लाभ को दिये जाने के क्रम में पूर्व में आंकलित रु. 14.00 लाख की अनुमानित राशि की भी इस निर्णय के परिपेक्ष्य में पुन:गणना कर ली जावें। प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि इस हेतु कनिष्ठ लिपिकों को देय बकाया राशि के भुगतान को भी विश्वविद्यालय के वित्तीय स्त्रोतों को देखते हुए किस प्रकार किया जावें, इस हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-29

श्री आर.पी. शर्मा, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र को दिनांक 1.2.90 से 26.11.90 तक के वेतन भत्ते दिये जाने का प्रकरण अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ

---x---

इस प्रकरण पर प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से निम्न समिति का गठन किया। यह समिति इस मामले के सम्पूर्ण तथ्यों का अवलोकन कर यह निर्धारित करेगी कि क्या श्री आर.पी. शर्मा को 1.2.90 का Termination किस आधार पर किया गया था और किस आधार पर

उनकी पुर्ननियुक्ति की गई थी और उन्हें 01.02.1990 से 26.11.1990 तक वेतन न देने का निश्चय किस आधार पर लिया गया था ? इस समिति के निम्न सदस्य होंगे :-

1. प्रो. एच.एस. महला
2. श्रीमति प्रमिला खन्ना (Retd. R.Ac.S.)
3. कुलसचिव/उप कुलसचिव ‡स्थापना‡

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी चाहा कि इस समिति से आग्रह किया जावें कि वे अपना प्रतिवेदन शीघ्रातिशीघ्र देने का श्रम करें ।

-xxx-

<u>कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-30</u>

कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के स्टेच्युट 7‡1‡‡सी‡ के अन्तर्गत डॉ. आर.वी. व्यास के स्थान पर निदेशकों में से प्रबन्ध मण्डल सदस्य के रूप में मनोनयन बाबत् मामला अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ ।

---x---

प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से कुलपति जी को डा. आर.वी. व्यास को कोटा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 statute 7(1) के अन्तर्गत पुनः 1 वर्ष के लिये प्रबन्ध मण्डल के सदस्य के रूप में मनोनीत करने को अधिकृत किया ।

-xxx-

<u>कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-31</u>

परीक्षा आयोजन, काउंसलिंग और प्रयोगिक परीक्षाओ के नियमों एवं देय मानदेय दरों के इग्नों के अनुसार पुनरावलोकन और शोध के नियमों के बारे में विद्या परिषद द्वारा गठित प्रो. आर.एस. मेहरोत्रा समिति की दुसरी बैठक दिनांक 13.10.97 का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

---x---

प्रो. मेहरोत्रा समिति की दुसरी बैठक के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

-xxx-

कार्यवाही बिन्दु सं. : 41-32

वाहन चालकों के रिक्त पदों पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने एवं योग्यता में छूट देने बाबत् अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

---x---

कार्यसूची में प्रस्तावित बिन्दु पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रबन्ध मण्डल ने माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

-xxx-

आसन को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
एवं
सचिव, प्रबन्ध समिति